लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र
Fifteenth Session]

Preservation Unit
18-6-92
Fumigated
On 9.7.89
Parliament Library

[खंड 58 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LVIII contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 14—गुरुवार, 11 अगस्त, 1966/20 श्रावण, 1888 (शक)

No. 14—Thursday, August 11, 1966/Sravana 20, 1888 (Saka)

विषय	SUBJECT	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		**पृष्ठ/PAGES**
S. Q. Nos.		
390. दिल्ली में अनधिकृतकब्जा कर के बैठे हुए लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of Squatters in Delhi	1—4
391. भूमि सुधार कानून	Land Reform Measures	4—8
392. फाइलेरिया का रोग	Incidence of Filaria	8—11
393. ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजन	Harijans in Rural Areas	11—16
394. छिपाये हुए धन का स्वेच्छापूर्वक प्रकट किया जाना	Voluntary disclosure of Unaccounted money	16—19
395. कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के जल का प्रयोग करने में हिस्सा	Sharing of Waters of Krishna and Godavari Rivers ..	19—21
अ० सू० प्र० संख्या		
S. N. Q. No.		
8 बागान मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन	Plantations Wage Board's Report	21—25
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
396. तीसरी पंचवर्षीय योजना में जल संभरण योजनाएं	Water Supply Scheme During Third Plan	25—26
397. राजघाट आदि का विकास	Development of Rajghat Etc.	26
398. एशियाई विकास बैंक	Asian Development Bank	26—27
399. भारत में बैंकों के काम की प्रगति	Progress of Banking in India	27

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या			
S. Q. Nos.			
400. विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लघंन	Foreign Exchange Violations	..	27—28
401. राजस्थान नहर परियोजना	Rajasthan Canal Project	..	28
402. 'लूप' का प्रयोग करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन	Incentives to Loop Users	..	28—29
403. विश्व बैंक से सहायता	Aid from World Bank	..	29
404. चौथी पंचवर्षीय योजना के संसाधनों में कमी	Short fall in Fourth Plan's resources		29—30
405. योजना आयोग के कार्य	Functions of Planning Commission		30
406. सिविल सर्जनों द्वारा निजी प्रैक्टिस	Private Practice by Civil Surgeons	..	30—31
407. मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी	M/S. Bird & Co.		31—32
408. आयातित औषधियों की कमी	Shortage of Imported Medicines		32
409. परिवार नियोजन के लिये राज्यों को सहायता	Aid to States for Family Planning		32
410. गर्भपात कराने के कारण मृत्यु की घटनाएं	Deaths due to induced Abortions		33
411. गर्भाशयी गर्भरोधक (लूप) के चलते फिरते क्लिनिक	Mobile L. U. C. D. Clinics	..	33—34
412. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये ऋण	House building advance to Central Government Employees		34
413. होटल उद्योग	Hotel Industry	..	34—35
414. सहकारी समितियों को भूमि	Lands to Cooperative Societies	..	35
415. सरकारी व्यय में कमी	Reduction in Government Expenditure	..	35—36
416. कलकत्ता में व्यापार गृहों पर छापे	Raids on Business Houses in Calcutta	..	36—37
417. अधिकारियों के विदेशों के दौरे	Officers' Tours Abroad		37
418. मितव्ययता का अभियान	Economy Drive	..	37—38
419. केरल में सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं	Irrigation and Power Projects in Kerala	..	38

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		

1971. केरल में ग्राम्य जल सम्भरण योजना	Rural Water Supply, Schemes in Kerala	38—39
1972. बड़े नगरों में जमीन की कीमतें	Land Prices in Big Cities	39
1973. राज्यस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पीने के पानी का सम्भरण	Supply of Drinking Water in Rajasthan Desert Areas ..	39—40
1974. केरल में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने सम्बन्धी कार्य	Anti-Sea Erosion Work in Kerala	40—41
1975. केरल में पर्वतीय क्षेत्रों का विकास	Development of Hill Areas in Kerala	41
1976. केरल में मानसिक रोगों के अस्पताल	Mental Hospitals in Kerala	41—42
1977. बर्मा से स्वदेश वापस भेजे जाने वाले भारतीय लोग	Indian Repatriates from Burma	42
1979. केरल में सिंचाई सुविधायें	**Irrigation** facilities in Kerala	42—43
1980. केरल में केसरगोड के लिये जल सम्भरण योजना	Water Supply Scheme for Kasargode in Kerala ..	43
1981. परिवार नियोजन के लिये सहायता	Aid for Family Planning	43—44
1982. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को समयोपरि—(ओवर टाइम) भत्ते	Overtime Allowances to Central Government Employees	44
1983. दिल्ली में सरकारी कारें	Cars maintained by Government in Delhi	45
1984. विवाह की आयु बढ़ाना	Raising age of Marriage	45
1985. केरल में जल प्रदाय योजनायें	Water Supply Scheme in Kerala	45—46
1986. पजहास्सी सिंचाई योजना	Pazhassi Irrigation Scheme	46
1987. सोने का तस्कर व्यापार	Gold Smuggling	46—47
1988. वक्फ बोर्ड द्वारा पाकिस्तानी राष्ट्रजन को मुतावल्ली के रूप में रजिस्टर किया जाना	Pakistani National registered as Mutawalli by Wakf Board	47
1989. उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना	Establishment of Industries in U. P. ..	47—48
1990. बेरोजगारी की समस्या	Unemployment Problem ..	48—49

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		

1991. भारत नेपाल सीमा पर तस्कर व्यापार	Smuggling on Indo-Nepal Border ..	49
1992. राजस्थान नहर की लम्बाई का बढ़ाया जाना	Lengthening of Rajasthan Canal	49
1993. तकनीकी परामर्श सेवा सम्बन्धी समिति	Committee on Technical Consultancy Service	49—50
1994. चूहों के उत्पात पर नियंत्रण	Controlling of Rat Menace ..	50
1995. मुखमेलपुर गांव में भोजन के विषाक्त होने का मामला	Food Poisoning Case in Mukhmelpur Village	50—51
1996. परिवहन सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन	Study of Transport Problem	51
1997. भोजन पकाने के काम में आने वाली गैस	Cooking Gas	52
1998. रामपुर में अफीम का पकड़ा जाना	Seizure of Opium at Rampur	52
1999. सहकारी समितियां	Cooperative Societies	52—53
2000. त्रिवेन्द्रम में गर्भनिरोधक सामग्री कारखाना बनाने वाला	Contraceptive Factory at Trivandrum ..	53
2001. जवई बांध (राजस्थान)	Jawai Bund (Rajasthan)	53—54
2002. बैंकों की रक्षित निधियां और लाभ	Bank Reserves and Profits	54
2003. कानपुर में क्षय रोग	Incidence of T. B. in Kanpur	54—55
2004. उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to U. P.	55
2005. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रधान	Chairman, Central Board of Direct Taxes	55—56
2006. ऋणों का पुनर्क्रम बन्धन (रिफेजिंग)	Rephasing of Loans	56
2007. सार्वजनिक स्थानों पर अनधिवास	Squatting in Public Places	57
2008. दिल्ली में अनधिवासियों के पुनर्वास के लिये प्लाट	Plots for Rehabilitation of Squatters in Delhi ..	57
2009. कृषि ऋण निगम	Agricultural Credit Corporation ..	58
2010. वृद्धावस्था पेंशन योजना	Old Age Pension Scheme ..	58

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2011. बम्बई में सोना पकड़ा जाना	Seizure of Gold in Bombay	58
2012. सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये मकान	Accommodation for Employees of Public Undertakings ..	59
2013. दिल्ली के गावों में परिवार नियोजन	Family Planning in Rural Delhi	59
2014. धन की कमी के कारण सिंचाई योजनाओं को पूरा करने में विलम्ब	Delay in completion of Irrigation Schemes for want of Funds	60
2015. त्रिवेन्द्रम आयुर्वेदिक केन्द्र	Trivandrum Ayurvedic Centre	60
2016. दौलेश्वरम् एनीकट सम्बन्धी मित्रा समिति का प्रतिवेदन	Mitra Committee's Report on Dowlaiswaram Anicut	60—61
2017. दिल्ली में पटरियों पर सोने वालों के लिये सस्ते प्लाट	Cheap Plots for Pavement Dwellers in Delhi	61
2018. दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints Against C. P. W. D. Enquiry Offices in Delhi	61—62
2019. दिल्ली में सरकारी अस्पताल	Government Hospitals in Delhi	62
2020. अधिग्रहीत मकानों का किराया	Rents for Requisitioned Houses	62—63
2021. जाली नोट	Fake Currency Notes	63
2022. कृषि से भिन्न सहकारी ऋण संस्थाओं को छूट	Exemption to non-Agricultural Cooperative Credit Societies ..	63—64
2023. कोढ़ निवारण के लिये स्वयं सेवी संस्थाओं को सहायता	Assistance to Voluntary Institutions for Control of Leprosy	64—65
2024. केरल में बिजली की कमी का उत्पादन पर प्रभाव	Impact of Shortage of Power in Kerala on Production ..	65—67
2025. केरल में काल्लडापरियोजना का निर्माण कार्य	Construction of Kallada Project in Kerala ..	67—68
2026. बृहद् योजना के अन्तर्गत हरी पट्टी	Green Belt Under Master Plan	68
2027 बिहार में चिरकुंडा चौकी के रास्ते तस्कर व्यापार	Smuggling Through Chirkunda Post in Bihar ..	68—69
2028. मलनाद क्षेत्र का विकास	Development of Malnad Area	69
2029. चम्बल परियोजना	Chambal Project ..	69—70

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2030. भौतिक-चिकित्सा (फिजियोथेरापी) की सुविधायें	Facilities for Physiotherapy Treatment ..	70—71
2031. सिंचाई और बिजली के सम्बन्ध में उड़ीसा के लिये योजनाओं में धन की व्यवस्था	Plan Allocations for Irrigation and Power to Orissa ..	71
2032. उड़ीसा में जीवन बीमा निगम की पूंजी	L. I. C. Investment in Orissa ..	72
2033. भुवनेश्वर में महा लेखपाल के कार्यालय के कर्मचारी	Employees of Accountant General's Offiice at Bhubaneshwar	73
2034. आनन्दपुर बांध योजना	Anandpur Barrage Scheme	73
2035. अशोक होटल की दरों में वृद्धि	Tariff increase by Ashoka Hotel ..	73—74
2036. फरक्का बांध	Farakka Barrage	74
2037. अल्वाय में नदियों के पानी का दूषित होना	Pollution of Rivers in Alwaye	74—75
2038. आन्ध्र प्रदेश तथा केरल में बिजली का उत्पादन	Power Generation in Andhra Pradesh and Kerala ..	75
2039. आन्ध्र प्रदेश में सिंचाई परि-योजनायें	Irrigation Projects in Andhra Pradesh ..	75—76
2040. श्रीसैलम परियोजना	Srisailam Project	76
2041. ताप बिजली घरों के लिये परामर्शदात्री संस्था	Consultancy Organisation for Thermal Power Station ..	76—77
2042. जीवन बीमा निगम के कर्मचारी	L. I. C. Employees ..	77
2043. ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन	Family Planning in Rural Areas ..	77
2044. कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधायें	Medical Facilities to Central Government Employees in Calcutta ..	78—79
2045. सोना पकड़ा जाना	Seizure of Gold ..	79
2046. कुछ फार्मों द्वारा बैंकों को धोखा देना	Banks Cheated by Certain Firms ..	79—80

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U.S.Q. Nos.		
2047. साबरीगिरी परियोजना	Sabarigiri Project ..	80
2048 भूमि संसाधनो का उपयोग	Utilisation of Land Resources	80—81
2049. हरंगी तथा कम्बाडकाडा परियोजनाएं	Harangi and Kambadakada projects	81—82
2050 धार्मिक संस्थाओं को भूमि का दिया जाना	Allotment of Plot to Religious Institutes ..	82
2051 मोती महल रेस्तरां, दिल्ली	Moti Mahal Restaurant, Delhi	82
2052. दिल्ली में भोजनालयों पर छापे	Raids on Restaurants in Delhi	83
2053 दिल्ली में इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर	Electronic Computers in Delhi	83
2054. दिल्ली में इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर	Electronic Computers in Delhi	83
2055. निर्यात शुल्क	Export Duty	84
2056. भारत में कृषकों की प्रतिशतता	Percentage of Agriculturists in India	84
2057. जीवन बीमा निगम	Life Insurance Corporation ..	85
2058. नई दिल्ली में सुपर मार्केट	Super Market in New Delhi	85
2059. झुग्गी वासियों द्वारा भूख हड़ताल	Hunger Strike by Jhuggi Dwellers	86
2060. बम्बई में घड़ियों और सोने के सिक्कों का पकड़ा जाना	Seizure of Watches and Gold Coins in Bombay	86
2061. मेडिकल कालेजों के विद्यार्थी	Medical College Students ..	87
2062. राजघाट बिजली घर, नई दिल्ली	Rajghat Power House, New Delhi	87
2063. पंजाब में अफीम का तस्कर व्यापार	Opium Smuggling in Punjab ..	87—88
2064. योजना आयोग के सदस्यों द्वारा त्याग पत्र	Resignation by Members of Planning Commission	88
2065. उत्तर प्रदेश में बड़ी लाईनें (ब्राड गेज लाइन्स)	Broad Gauge Lines in U. P.	88—89
2066. अमरीकी सहायता	U. S. Aid	89
2067. त्रिपुरा में डाक्टरों के वेतन-क्रम	Pay Scales of Doctors in Tripura ..	89—90

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2068. अगर तला में एम०बी०बी० एस० कालेज	M. B. B. S. College at Agartala	90
2069. त्रिपुरा में आदिम जातियों के लोगों की बेदखली	Eviction of Tribals in Tripura	90
2070. नये पद बनाने का वित्तीय प्रभाव	Financial impact of Creation of New Posts	91
2071. दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधीन आयुर्वेदिक औषधालय	Ayurvedic Dispensaries in Delhi under C. G. H. S.	91—92
2072. दामोदर घाटी निगम	Damodar Valley Corporation ..	92
2073. दामोदर घाटी निगम	D. V. C. ..	92—93
2074. सरकारी मुद्रणालय, संत्रागाची में कागज का स्टाक	Storage of Paper in Government Press, Santragachi	93—94
2075. हेस्टिंग्स स्ट्रीट प्रेस, कलकत्ता	Hastings Street Press, Calcutta	94
2076. संत्रागाची स्थित सरकारी मुद्रणालय	Government of India Press, Santragachi ..	94—95
2077. संततिनिग्रह के लिये "गर्भाधान परिहार अवधि (सेफ-पीरियड)" प्रणाली	Safe Period Method for Birth Control	95
2078. मद्रास में पिछड़े लोग	Backward People in Madras	95—96
2079. लोकटाक झील योजना (मनीपुर)	Loktak Lake Scheme (Manipur)	96
2080. प्रि-मेडिकल तथा एम० बी० बी० एस० पाठ्य क्रम	Pre-medical and M. B. B. S. Courses	96—97
2081. तिलक नगर दिल्ली में चरस और अफीम का बरामद किया जाना	Charas and Opium recovered in Tilak Nagar, Delhi	97
2082. अलंकार हाऊसिंग कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	Alankar Housing Construction private Ltd.	97—98
2283. त्रिपुरा में अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	Welfare of Scheduled Tribes in Tripura ..	98
2084. त्रिपुरा में आदिम जाति विकास खण्ड	Tribal Development Blocks in Tripura ..	98—99
2085. जापान से सहायता	Aid from Japan ..	99

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2086. मैसूर में ग्राम जल सम्भरण योजनायें	Rural Water Supply Schemes in Mysore ..	99—100
2087. दिल्ली में सहकारी औद्योगिक बस्तियों के लिये भूमि	Land for Cooperative Industrial Estates in Delhi	100
2088. केरल में विकास सम्बन्धी विषमतायें	Development Disparities in Kerala	101
2089. लूप (आई० यू० सी० डी०) प्रणाली द्वारा परिवार नियोजन	I. U. C. D. Method for Family Planning ..	101—102
2090. मंहगाई भत्ता आयोग	D. A. Commission ..	102
2091 उठाऊ सिंचाई योजनाओं के लिये बिजली	Power for Lift Irrigation Schemes ..	102—103
2092. केरल में सिंचाई परियोजनायें	Irrigation Projects in Kerala	103
2093. चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल में उद्योग	Industries in Kerala in Fourth Plan	103
2094. दिल्ली में राज्य भवन	State Houses in Delhi	104
2095. नई दिल्ली स्थित नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक के कार्यालय में रिक्त पद	Posts vacant in Comptroller and Auditor General's Office, New Delhi	105
2096. उड़ीसा में आयकर की बकाया राशि	Income tax Arrears in Orissa	105
2097. भुवनेश्वर स्थित महा लेखापाल के कार्यालय में रिक्त पद	Posts vacant in Accountant General's Office Bhubaneshwar	105
2098. भुनेश्वर में महा लेखापाल (एकाउन्टेंट जनरल) का कार्यालय	Accountant General's Office at Bhubaneshwar	106
2099. नई दिल्ली स्थित नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यालय में कर्मचारी	Employees in Comptroller and Auditor General's Office, New Delhi	106
2100. केरल में इंजीनियरिंग कर्मचारी	Engineering Staff in Kerala ..	106—107
2101. राजोरी गार्डन, नई दिल्ली में श्मशान भूमि	Shamshan Bhoomi in Rajouri Garden, New Delhi	107
2102. कलकत्ता के अस्पताल	Calcutta Hospitals ..	107—108

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
2103. दिल्ली में मोडल टाउन में सोने का तस्कर व्यापार	Smuggling of Gold in Model Town, Delhi	108
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
वामपक्षी साम्यवादी दल द्वारा कथित "तोड़ फोड़ की नीति"	Alleged "Strategy of Sabotage" by the Left Communist Party	.. 108—110
स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाले प्रस्तावों के बारे में	Re. Motions for Adjournment and Calling Attention Notices (Queries)	.. 110—112
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege	.. 112—117
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	117
लोक-लेखा समिति की अठाइसवीं बैठक की शब्दश: कार्यवाही	Verbatim proceedings of the 28th Sitting of Public Accounts Committee	.. 118
देश की वर्तमान आर्थिक स्थित के बारे में प्रस्ताव—	Motion Re. Present Economic Situation in the country—	.. 118—132
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza	.. 118—119
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	Dr L. M. Singhvi	.. 119—121
श्री त्यागी	Shri Tyagi	.. 121—122
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	.. 122—124
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	Shri Harish Chandra Mathur	.. 124—126
श्री अब्दुल गनी गोनी	Shri Abdul Ghani Goni	.. 126—127
श्री दाजी	Shri Daji	.. 128—129
श्री म० ला० द्विवेदी	Shri M. L. Dwivedi	.. 129—130
श्री रमापति राव	Shri Ramapathi Rao	.. 130—131
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	.. 131—132
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa	.. 132
राजस्थान में विकास योजनाओं के बारे में आधे घन्टे की चर्चा—	Half-an-hour discussion Re. Development Scheme in Rajasthan—	.. 133—137
डा० लक्ष्मीमल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi	.. 133—135
श्री अशोक मेहता	Shri Asoka Mehta	.. 135—137

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 11 अगस्त, 1966/ 20 श्रावण, 1888 (शक)
Thursday, 11 August, 1966/Sravana 20, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में अनधिकृत कब्जा करके बैठे हुए लोगों का पुनर्वास

* 390. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका दोनों के क्षेत्रों में अनधिकृत झुग्गी वासियों तथा पटरी पर सामान बेचने वालों का प्रश्न तथा इसके बाद उन्हें बलपूर्वक हटाये जाने और उसके फलस्वरूप उनके पुनर्वास की समस्याएं बहुत विकट रूप धारण कर चुकी हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रश्न के आर्थिक कारणों की तथा इन समस्याओं के मानवीय पहलू की जांच करवाई है अथवा करवाने का विचार है कि अनधि-वासियों तथा पटरी पर सामान बेचने वाले लोगों की संख्या आखिर इतनी क्यों बढ़ रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) जी हां।

(ख) और (ग). इस मामले का परीक्षण श्री ए० डी० पंडित, मुख्य आयुक्त, की अध्यक्षता में 1958 में गृह मंत्री द्वारा नियुक्त की गयी एक समिति के द्वारा किया गया था। समिति को यह

ज्ञात हुआ था कि देश के विभाजन के बाद विस्थापितों के समागम होने तथा ग्रामीण जनसंख्या का नौकरी की खोज में शहर में आने के कारण दिल्ली की जनसंख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। राजधानी में उपलब्ध वास आवश्यकता से अत्यधिक कम था अतएव बाहर से आने वालों में से बहुतों ने सरकारी अथवा सार्वजनिक भूमि पर अस्थायी मकान बना लिए थे। समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने यह निर्णय किया कि ऐसे अनधिवासियों को वैकल्पिक वास दिया जाए तथा जनवरी, 1960 में एक योजना बनाई जो कि झुग्गी झोपड़ी हटाने की योजना के नाम से जानी जाती है।

छोटे मोटे व्यापारी पटरी पर अपनी दुकान लगाना लाभप्रद समझते हैं क्योंकि इन स्थानों का उन्हें किराया नहीं देना पड़ता तथा ग्राहक भी आसानी से मिल जाते हैं। इस समस्या का मुख्य रूप से संबंध स्थानीय निकायों से है।

श्री श्री नारायण दास : झोपड़ियों में रहने वालों और पटरियों पर दूकान लगाने वालों की संख्या बहुत अधिक है और जब बलप्रयोग किया जाता है तो उनमें से बहुत से व्यक्ति विवश और बेघर हो जाते हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि 1958 में कुछ किया गया था। अब 8 वर्ष बीतने के बाद भी समस्या बढ़ती जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने इस समस्या पर नई दिल्ली नगर पालिका, योजना आयोग और दिल्ली नगर निगम के परामर्श से विचार किया है जिससे उन व्यक्तियों को बसाने के लिए एक व्यापक योजना बनाई जा सके क्योंकि वे दिल्ली की अर्थ व्यवस्था का एक बड़ा भाग है ?

श्री भगवती : माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि यह एक बड़ी समस्या है। वास्तव में जब उच्चायुक्त के अधीन बनी समिति ने इस सम्बन्ध में जांच की तो, उसे मालूम हुआ कि सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत रूप से बैठने वाले 25000 लोग हैं। जून, 1960 की विशेष जनगणना के अनुसार दिल्ली में लगभग 50,000 परिवार अनधिकृत रूप से रहते थे। प्रतिमास हजारों की संख्या में लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली आ रहे हैं। आयुक्त के अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष 2 लाख व्यक्ति दिल्ली आते हैं। सरकार ने झुग्गी और झोपड़ी हटाने की योजना के नाम से एक योजना तैयार की है। उसके अन्तर्गत 20,000 परिवारों को झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में ले जाया गया है और उनको सभी प्रकार की सुविधाओं वाले प्लाट और कुछ मकान दिये गये हैं। दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रशासन के साथ इस विषय के बारे में समय-समय पर चर्चा की गई है। इस समस्या के समाधान के लिए कुछ प्रस्तावों पर विचार किया गया है।

श्री श्रीनारायण दास : क्या इस समस्या को प्रभावशाली ढंग से हल करने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली नगर निगम ने केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है।

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): योजना पर लगभग 10 करोड़ रु० लागत आयेगी।

श्री श्रीनारायण दास : क्या उन्होंने सरकार से कोई राशि मांगी है ; यदि हां, तो उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : दिल्ली नगर निगम पर इसकी क्रियान्विति की जिम्मेदारी है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : In view of the fact that in many parts of Delhi those houses which are built on plots already got registered through Courts and thousands of rupees have been spent on their construction and which have been provided with electricity and telephones etc. are also being demolished, may I know what steps are being taken by Government to check the demolition of these houses ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : There is no alternative but to demolish the house constructed against master plan.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : They are discriminating in the matter of demolishing the houses.

Mr. Speaker : He may write about those houses which are being demolished in this way.

श्री अ० प्र० शर्मा : माननीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों वालों की संख्या बढ़ती जा रही है । दिल्ली केन्द्रीय प्रशासित राज्य क्षेत्र है, तो केन्द्रीय सरकार केवल नगर पालिका पर ही इसकी जिम्मेदारी क्यों छोड़ती है और स्वयं ही लोगों को भारी संख्या में आने से क्यों नहीं रोकती । इसके अतिरिक्त जो पहले ही आ चुके हैं उनके लिए आवश्यक प्रबन्ध क्यों नहीं करती है ? इस सम्बन्ध में सरकार की क्या जिम्मेदारी है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : समस्या के दो पहलू हैं पहला तो नयी झोपड़ियों के डालने को रोकना और दूसरा पुरानी झोपड़ियों को हटाना । हम नगर निगम पर कोई जिम्मेदारी नहीं छोड़ रहे हैं । एक समिति है जिसमें दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली विकास प्राधिकार, दिल्ली प्रशासन और मेरे मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं । दोनों प्रकार के कामों के लिए अर्थात् नये अनधिकार वासियों को बसने से रोकने के लिए तथा जो बसे हुए हैं उनको हटाने के लिए एक समन्वित कार्यवाही कर रहे हैं । नई झोपड़ियों के डाले जाने के सम्बन्ध में हाल ही में एक बहुत ऊंचे स्तर पर बातचीत की गई है, और मुझे खेद है कि यदि हम राजधानी को बचाना चाहते हैं तो हमें कुछ ठोस उपाय करने होंगे ।

श्रीमती सावित्री निगम : पिछले पांच साल में यहां कितने अनधिकृत पक्के मकान बनाये गये हैं, कितनों को गिराया गया है और कितनों को हर तरीके से अनधिकृत निर्माण होने के बावजूद भी बाद में अधिकृत किया गया है ।

श्री मेहरचन्द खन्ना : झुग्गी झोपड़ी वाले कभी कोई पक्का मकान नहीं बनाते । उनकी आर्थिक दशा बहुत गिरी हुई है । अतः हमें झुग्गी झोपड़ी वालों से निपटना है । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य दिल्ली विकास प्राधिकार और दिल्ली प्रशासन के नियन्त्राधीन अनधिकृत बस्तियों में निर्मित मकानों का जिक्र कर रही हैं । इन बस्तियों की संख्या लगभग 150 है—शायद कुछ

अधिक हो। दिल्ली नगर निगम ने उनमें से 100-110 बस्तियों को नियमित करने का निर्णय किया है। अब भी लगभग 50 या 60 ऐसी बस्तियां हैं जो एक निश्चित तिथि के बाद बसाई गई हैं। मामले पर विचार किया जा रहा है। फिर, किसी भी बस्ती को नियमित करने के लिए बिजली, पानी और मलमूत्र की नालियों की आवश्यकता होती है और साथ ही वृहत् योजना की शर्तों को भी पूरा करना आवश्यक होता है। उन लोगों के लिए मुश्किल है परन्तु हमें इन बातों पर भी विचार करना है और कुछ सामान्य नियमों के उल्लंघन में हम बड़े पैमाने पर अनधिकृत मकानों की अनुमति नहीं दे सकते।

भूमि सुधार कानून

*391. **श्री वारियर :** क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार कानूनों की कार्यान्विति संबंधी प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिये एक समिति नियुक्त करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख). इस समय केन्द्र में दो सलाहकार समितियां हैं एक भूमि सुधार पर और दूसरी का सम्बन्ध खेतीहर मजदूरों से है। दोनों विषयों का एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है, अतः यह निश्चय किया गया है कि इन दोनों समितियों का पुनर्गठन करके एक समिति बना दी जाय। इस पुनर्गठित समिति के सदस्यों में आठ संसतसदस्य भी होंगे। समिति के विधान की घोषणा शीघ्र ही कर दी जायेगी।

श्री वारियर : जब तक समिति का गठन नहीं हो जाता, क्या योजना आयोग के पास भूमि सुधारों के लिये एक पृथक प्रभाग है जिसने भूमि सुधारों के बारे में कोई प्रतिवेदन दिया हो?

श्री अशोक मेहता : योजना आयोग में भूमि सुधारों सम्बन्धी एक पृथक प्रभाग है। भूमि सुधारों की क्रियान्विति के लिये राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी एक समिति नियुक्त की है। गृह-कार्य मंत्री उस समिति के सभापति हैं। कुछ अन्य सदस्य हैं और सम्बन्धित राज्यों के मुख्य-मंत्री भी इस समिति के सदस्य हैं। ये दो सलाहकार समितियां हैं जिनको अब एक समिति बनाया जा रहा है।

श्री वारियर : योजना आयोग के पास अब तक जो प्रतिवेदन आये हैं क्या उनको देखकर यह कहा जा सकता है कि जहां तक भूमि सुधारों का सम्बन्ध है और विशेष रूप से जमींदारों द्वारा काश्तकारों से भूमि खाली कराने के लिये जिन त्रुटियों का सहारा लिया जाता है उन त्रुटियों को दूर करने के मामले में राज्य सरकारें इतमीनान से नहीं बैठी हैं। क्या यह सच है कि

राज्य योजना आयोग की सिफारिशों पर ध्यान नहीं देते हैं और भूमि सुधारों को क्रियान्वित करने में उनको हिचकिचाहट है ?

श्री अशोक मेहता : जैसा कि मैंने बताया राष्ट्रीय विकास परिषद ने भूमि सुधारों की क्रियान्वित के सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की। यह समिति विभिन्न राज्य सरकारों से परामर्श करती रही है, विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार कानून के काम को आरम्भ करती रही है और बताती रही है कि क्या निश्चित परिवर्तन करने हैं। कुछ मामलों में परिवर्तन किये गये हैं। कुछ मामलों में राज्य विधान मण्डल में चर्चा के बावजूद भी इन संशोधनों में परिवर्तन किया गया है। यह प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। मैं इस बात को मानता हूं कि योजना आयोग भूमि सुधारों में जो कुछ करना चाहता था, उन सब बातों को हमारे सारे प्रयत्नों के बावजूद क्रियान्वित नहीं किया गया है।

श्री मं० रं० कृष्ण : पहले भारत सरकार ने एक समिति बनाई थी जिसने प्रतिवेदन दिया था कि 20 एकड़ के खंडों की 10 लाख एकड़ भूमि है। इस 10 लाख एकड़ भूमि का किस हद तक वितरण किया गया है ? फिर, आन्ध्र जैसे राज्यों में भूमिहीन लोगों के लिये भूमि वितरण की प्राथमिकता में परिवर्तन कर दिया गया है जिसका परिणाम यह निकला है कि भूमिहीन हरिजनों को राज्य में कोई भूमि नहीं मिली है।

श्री अशोक मेहता : इस प्रश्न के लिये मुझे सूचना चाहिये।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : इस बात से सब सहमत हैं कि योजना आयोग द्वारा तैयार किये गये भूमि सुधारों को क्रियान्वित करने में राज्य सरकारें अब तक हिचकिचाहट करती रही हैं। क्या हाल ही में नीति में कोई परिवर्तन किया गया है और क्या योजना आयोग ने निदेश दिया है कि जहां तक भूमि सुधार भूधृति प्रणाली और भूमि पर उच्चतम सीमा का सम्बन्ध है राज्य सरकारें धीमी गति से कार्य करें क्योंकि वे कृषि क्षेत्र में संयुक्त स्कंध निकायों द्वारा संयुक्त खेती आरम्भ करना चाहते हैं।

श्री अशोक मेहता : नहीं श्रीमान, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या योजना आयोग द्वारा लागू किए गए विभिन्न भूमि सुधारों का कृषि उत्पादन पर हुए प्रभाव का अनुमान लगाया है ?

श्री अशोक मेहता : मैं पहिले बता चुका हूँ, कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा नियुक्त की गई भूमि सुधार क्रियान्वित समिति विस्तार पूर्वक विभिन्न राज्यों में राज्य वार भूमि-सुधार की क्रियान्विति पर विचार करती है। यह कानून को लागू करने के बारे में अध्ययन करती है। ठीक की जाने वाली मुख्य-मुख्य त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाती है, उन पर सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा उनके सहयोगियों के साथ बातचीत करती है तथा इस सम्बन्ध में सलाह भी देती है कि क्या किया जाये। अन्त में यह सलाह राज्य विधान सभा के सामने पेश

की जाती है तथा जो भी संशोधन करने योग्य होते हैं उन सब पर राज्य विधान सभा की सहमति लेनी होती है । कभी कभी ये सुझाव मान लिये जाते हैं और कभी-कभी इनको रूपान्तरित किया जाता है, क्योंकि यह राज्य का विषय है । हम उन्हें सलाह देते रहना चाहते हैं किन्तु विशेष कानून का बनाया जाना तथा उसकी कार्यान्विति राज्य के वैधानिक तथा कार्यकारी अधिकारियों पर निर्भर करती हैं ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने लम्बा उत्तर दे दिया है ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : मेरा प्रश्न कृषि के क्षेत्र में अब तक किये गये भूमि सुधारों का उत्पादन पर प्रभाव के सम्बन्ध में था ।

श्री अशोक मेहता : यदि कृषि-उत्पादन पर प्रभाव का प्रश्न है तो इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है । जहां तक संभव था अनुमान लगाया गया किन्तु मैं समझता हूँ कि हम सभी भूमि सुधार के पक्ष में हैं ।

श्री बूटा सिंह : विभिन्न राज्यों द्वारा भूमि-धारण सीमा निर्धारित किये जाने के कारण देश में कृषि-उत्पादन को बड़ा धक्का लगा । क्या नियुक्त होने वाली समिति इस पहलू पर भी विचार करेगी ?

श्री अशोक मेहता : समिति भूमि सुधारों तथा कृषि-उत्पादन से सम्बन्धित किसी भी विशेष समस्या पर विचार करने के लिये स्वतन्त्र है ।

श्री मानसिंह पृ० पटेल : क्या मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालेंगे कि भूमि सुधार, जिनका मुख्यतया सम्बन्ध मध्यवर्तियों को हटाने से है, कृषि श्रम का भी विषय है ।

श्री अशोक मेहता : इसीलिये मैंने बताया कि दो समितियां हैं—एक भूमि-सुधारों से सम्बन्ध रखती है तथा दूसरी कृषि-श्रम से । अब दोनों समितियों को मिलाने का अनुरोध किया गया है तथा अब एक ही समिति दोनों विषयों पर विचार करेगी ।

Shri Bhagwat Jha Azad : The Hon. Minister has stated that there is a committee to see as to how the implementation of Land Reform measures should be taken up in various states. I would like to know what has been done so far in this regard ? Is it not a fact that land reform measures have not been implemented so far in those states where they have been passed ? The present adiministrative set up believes only in passing the legislations but not in giving land and in land reforms.

Shri Asoka Mehta : I have stated a number of times that National Development Council has set up a committee not on just passing legislation but on how land legislation is being implemented.

That committee goes into a statewise examination and gives instructions also. So far as this council is concerned, it can pass on instructions and draw attention. What has to be done further, depends on State Government and State Legislatures

श्री शशि रञ्जन : भूमि सुधारों के महत्व के मामले में सभी सहमत हैं, किन्तु वास्तव में हमारा अनुभव है कि कुछ गोष्ठियों और सम्मेलनों के अतिरिक्त कुछ नहीं हो रहा है। क्या मंत्री महोदय हमें विश्वास दिला सकेंगे कि बैठकों पर तथा योजना आयोग के इस विशेष अनुभाग पर होने वाले भारी व्यय से किये जाने वाले भूमि सुधार के व्यय के अनुरूप ही होंगे।

श्री अशोक मेहता : मैं नहीं मानता कि भूमि-सुधार कार्यान्विति नहीं हुये हैं। भिन्न-भिन्न राज्यों में इनकी कार्यान्विति में अन्तर हो सकता है। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनमें बहुत से भूमि-सुधार कार्यान्वित हुये हैं।

श्री भागवत झा आजाद : उदाहरणत :

श्री अशोक मेहता : दूसरे राज्य हैं जहाँ ऐसा नहीं हुआ।

श्री अ० प्र० शर्मा : कृपया उन राज्यों के नाम बतायें जहाँ इनकी कार्यान्विति हुई है।

श्री अशोक मेहता : जहां तक गोष्ठियां करने और दूसरी बातों का सम्बन्ध, बहुत कम गोष्ठियां हुई हैं।

श्री अ० प्र० शर्मा : राज्यों के नाम बताये जाने चाहिये।

श्री शशि रंजन : मंत्री महोदय यह नहीं बताते कि वास्तव में क्या हो रहा है और सच्चाई क्या है। हम सभी जानते हैं कि इन भूमि-सुधारों से कुछ भी नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य यह जानते हैं, तो उन्हें पूछने की आवश्यकता नहीं है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti: Do the Government know whether propagation of co-operative farming has increased or decreased agricultural production and secondly whether production has not gone down by allotting land to those who are not professional farmers and also by allotting land in the names of girls? The Hon. Minister may please answer these points.

Shri Asoka Mehta: All these laws have been enacted, some of them by Parliament and some by State Assemblies. It is difficult to assess their impact on agricultural production.

Shri Bibhuti Mishra: Is it a fact that in those States where land reformation and Zamindari Abolition have been carried out, the small farmers have not so far received their compensation varying from Rupee one to Rupees five hundred and secondly land could not be improved in the hands of this Government in the same way as it is used to be improved by the Zamindars?

Shri Asoka Mehta: I shall require notice, so far as first question is concerned I can not tell as to how much compensation has been given. So far as second part of the question is concerned, the condition depicted by the Hon. Member exists nowhere.

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, I challenge that there has not been as much of improvement of agriculture under present government as there had been under Betia Government.

Shri Asoka Mehta : The whole country was not under Betia Government.

Shri Bhagwat Jha Azad : This does not mean that the Hon. Member wants to have the rule of Zamindars again.

श्री वासुदेवन नायर : काश्तकारों के वास्तविक हित के लिए उनके अधिकारों का रिकार्ड तैयार करना महत्वपूर्ण गारंटी है। क्या केन्द्र द्वारा लगातार अनुरोध करने पर तथा आर्थिक सहायता देने पर भी अब तक अधिकारों का रिकार्ड तैयार करने से इनकार किया गया है तथा इसी कारण बहुत सारे काश्तकारों को निकाला जाता है।

श्री अशोक मेहता : अधिकारों के रिकार्ड पहिले से काफी अच्छे हो गये हैं।

श्री वासुदेवन नायर : कहाँ ?

श्री अशोक मेहता : किन्तु तथ्य यह है कि पहिले तो देश के बहुत से भागों में रिकार्ड मिलते ही नहीं तथा दूसरी बात यह है कि परिवर्तन समयानुकूल नहीं होते हैं और इसीलिये रिकार्ड पूर्णरूपेण सन्तोषजनक नहीं होते। जैसा कि माननीय सदस्य को पता ही है कि तीसरी योजना के आरम्भ से ही केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोग अधिकारों के रिकार्ड सुधारने के लिये कई प्रकार की सहायता देता आ रहा है किन्तु कार्य सन्तोषजनक रूप से नहीं हुआ है।

फाइलेरिया का रोग

+

*392. **श्री ब० का० भट्टाचार्य :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान फाइलेरिया के रोग में हो रही अत्यधिक वृद्धि की ओर दिलाया गया है; जैसा कि स्कूल आफ ट्रापिकल मेडिसिन, कलकत्ता में फाइलेरिया रोग के क्लिनिक के रिकार्ड से पता चलता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) स्कूल आफ ट्रापिकल मेडिसिन, कलकत्ता के फाइलेरिया क्लीनिक के रिकार्ड में की गई रोगियों की उपस्थिति से पता चलता है कि गत ग्यारह वर्षों (1954-55 से 1965-66 तक) में फाइलेरिया रोग की घटनाओं में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। तथापि सर्वेक्षणों से

मालूम हुआ कि भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है जिनको फाइलेरिया संक्रमण का खतरा है।

(ख) (i) कलकत्ता शहर और उसके उपनगर-पालिकाओं में फाइलेरिया नियंत्रण के लिये तैयार की गई एक योजना पश्चिम बंगाल सरकार के विचाराधीन है।

(ii) पश्चिम बंगाल सरकार ने कांथी (मिदनापुर) में एक फाइलेरिया नियंत्रण एकक खोल रखा है।

श्री च० का० भट्टाचार्य : मंत्री महोदय के उत्तर मे यह पता लगता है कि फाइलेरिया के रोगियों में वृद्धि हुई है। मेरा प्रश्न है कि जब सरकार एनोफीलस मच्छरों, जिनके कारण मलेरिया के कीटाणु फैलते हैं, को समाप्त करने में सफल रही है तो फाइलेरिया के मच्छर कैसे बढ़ गये हैं। जब तक कि मच्छर नहीं बढ़ते, रोगियों की संख्या भी नहीं बढ़ सकती। फाइलेरिया के मच्छरों का उन्मूलन करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं, जैसा कि मलेरिया के मामले में हुआ है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : क्या मैं निवेदन कर सकती हूँ कि एनोफील्स मच्छर पर डी० डी० टी० छिड़कने का असर होता है किन्तु क्यूलेक्स मच्छर, जिसके कारण फाइलेरिया होता है, पर इसका असर नहीं होता ? अतः क्यूलेक्स मच्छर को, प्रजनन स्थानों पर ही समाप्त किया जा सकता है, जिसका अर्थ पानी की उचित निकासी की व्यवस्था करना है। श्रीमान, वह बड़ा महंगा कार्य है, हम जीवाणु के प्रजनन स्थानों को समाप्त करने तथा दूसरी साधारण डिम्भ विरोधी कार्यवाहियों के द्वारा इस दिशा में हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री च० का० भट्टाचार्य : रोग ग्रस्त लोगों की पूर्ण चिकित्सा के लिये क्या कदम उठाये गये हैं, जिनके द्वारा फाइलेरिया की बीमारी आगे फैलने से रोकी जा सके ?

डा० सुशीला नायर : मुझे दुःख है कि फाइलेरिया की बीमारी की कोई सफल चिकित्सा नहीं है। इस दिशा में बहुत से अनुसंधान किये जा रहे हैं किन्तु कोई सफल चिकित्सा नहीं निकाली जा सकी। यही कारण है कि यह रोग मलेरिया से अधिक भयावह है क्योंकि मलेरिया का इलाज मलेरिया विरोधी औषधियों से हो जाता है। फीलपांव की बीमारी बढ़ने से पूर्व रोगग्रस्त लोगों का इलाज होना आवश्यक है तथा इस दिशा में राज्य सरकारों द्वारा बहुत से स्थानों पर चिकित्सालय खोले जा रहे हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : अपने उत्तर में माननीया मंत्री ने बताया है कि पश्चिमी बंगाल में एक योजना पर विचार हो रहा है। मैं समझ न सकी कि यह योजना रोकथाम के संबंध में है या चिकित्सा के सम्बन्ध में है। मैं जानना चाहूँगी कि उस योजना की निश्चित रूपरेखा क्या है तथा इस पर कब विचार होगा और कब इसे अन्तिम रूप दिया जायेगा।

डा० सुशीला नायर : पश्चिमी बंगाल सरकार ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की है जिसमें उन्होंने महानगरीय अधिकारी, निगम विशेषज्ञों तथा दूसरे लोगों को समाविष्ट किया है ।

समिति ने अपने प्रतिवेदन में सफाई सम्बन्धी सेवाओं में सुधार के द्वारा डिम्भों को समाप्त करना, आवर्तक डिम्भ विरोधी कार्यवाही, फाइलेरिया के चिकित्सालय खोलना, जन सहयोग से स्वास्थ्य शिक्षा का विस्तार, समवर्ती तथा सामयिक अनुमान, प्रशिक्षण व्यवस्था तथा कुछ अन्तरिम और दीर्घकालीन इन्जीनियरिंग के कार्यों के द्वारा डिम्भ प्रजनन उन्मूलन की सिफारिश की है । दीर्घकालीन इंजीनियरिंग के कार्यों पर 3,140·40 लाख, रु० अर्थात 314 करोड़ रु० से भी अधिक व्यय आंका गया है । फाइलेरिया नियंत्रण पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्र से 50 प्रतिशत की सहायता मांगी है । अभी पुनर्गठन पूरा नहीं हो सका है तथा चालू वर्ष में केन्द्र ने इस योजना के सम्बन्ध में पूरे देश के लिये 20 लाख रु० की व्यवस्था की है । ऐसी स्थिति में हम इस समय 50 प्रतिशत व्यय वहन नहीं कर सकते ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या यह सच है कि भारत के पश्चिमी तट पर यानी कालीकट से गोआ तक, तथा कोंकण क्षेत्र में, फाइलेरिया बहुत फैला हुआ है तथा लोग बीमारी के कारण इन क्षेत्रों से भाग रहे हैं ? यदि हां, तो बीमारी की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डा० सुशीला नायर : इनमें से बहुत से क्षेत्रों में फाइलेरिया बहुत फैला हुआ है तथा हमने अत्यधिक रोग ग्रस्त क्षेत्रों में विशेष यूनिट नियुक्त की हैं तथा कालीकट भी उन क्षेत्रों में से एक है । मैं इस समय निश्चित रूप से नहीं बता सकती कि गोआ में क्या कुछ किया जा रहा है । इस समस्या का हल निकालने के लिये हम भी इतने ही चिन्तित हैं जितने माननीय सदस्य हैं । समस्या कठिन है और उपाय बड़ा महंगा है । यही हमारी कठिनाई है ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : माननीया स्वास्थ्य मंत्री के उत्तर से मुझे आश्चर्य होता है कि अत्यधिक धन व्यय होने के कारण फाइलेरिया के उन्मूलन के लिये आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा सकी । भारत के विभिन्न भागों में तथा विशेषतया भारत के पश्चिमी तट पर, जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री रघुनाथ सिंह ने बताया है इस रोग के अधिक फैलने के कारण सरकार योजना आयोग से धन प्राप्त करने की क्या व्यवस्था करेगी जिससे इस भयानक रोग का उन्मूलन किया जा सके ?

डा० सुशीला नायर : मैं निवेदन करूँगी कि योजना आयोग ने चौथी योजना में हमें जल संभरण तथा निकास योजनाओं के लिये धन देने की सहमति प्रकट की है । इतना धन उन्होंने अब तक कभी नहीं दिया । 370 करोड़ रु० की व्यवस्था है जबकि हमारी आवश्यकतायें 1600 करोड़ रु० की हैं । राज्य चाहते हैं कि निकास योजनाओं के लिये राजकीय सहायता दी जानी चाहिये जैसी ग्राम्य जल सम्भरण योजनाओं के लिये दी जाती है तथा यह प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन भी है ।

Shri Yashpal Singh : Does the Hon. Minister know that there are still some residences or areas in old Delhi where water supply is suspended for about 8 hours. About 150 persons use one latrine. There is no flush system, no tap system and no water supply. There will be attack of filaria there tomorrow if not today. I would like to know what the Hon. Minister is going to do in this regard? Drainage system is being mentioned many times. Delhi is the Capital of India and people from all parts of the world come to see it.

Mr. Speaker : Are they taking some preventive measures with regard to Filaria?

Dr. Sushila Nayar : Water supply and lavatories have no connection with filaria control.

ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजन

+

*393 **श्री मधु लिमये :**

डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजनों पर अत्याचार किये जाने के बारे में हाल में कोई सूचनाएं मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं का व्यौरा क्या है ; और

(ग) इन प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियों को दबाने लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Shri Madhu Limaye : Has attention of the Hon. Minister been drawn to the misdemeanour meted out to all the aged Harijan ladies of the village in retaliation to the crime committed by a Harijan in a Marathwada area of Maharashtra? Has the Hon. Minister been informed of this? If so, what action has he taken in this regard? This happened in Aurangabad District.

श्रीमती चन्द्रशेखर : जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है। क्योंकि मुझे यह माननीय सदस्य से मालूम हुआ है, मैं अब जांच करूँगी और आवश्यक कार्यवाही करूँगी ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : अपराधियों को दोषी पाया गया तथा उन्हें न्यायालयों द्वारा सजा दी गई है ।

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री को यह मालूम नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : He is not a Minister.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: I am not passing on this information on behalf of the Hon. Minister. I am passing this information to Mr. Speaker.

Shri Madhu Limaye: Please give full imformation, I am prepared to listen to you.

Mr. Speaker: An individual case, whether it pertains to Harijans or others, should not be raised like this. This is not proper. Is it proper to bring a case occurred due to enmity, and as a reaction there to some atrocities were committed, simply because it is regarding a Harijan? It is not necessary that this would result in the way you understand it.

Shri Hari Vishnu Kamath: The question is regarding Harijans.

Shri Madhu Limaye: All of them know that atrocities are perpetrated on Harijans in this country due to untouchability. That is why I have asked this question. And there is policy of the Government to provide protection to the Harijans.

Mr. Speaker: You may put another question.

Shri Madhu Limaye: We are prepared to listen to Shri Shivaji Rao, if he has to say something.

Mr. Speaker: You may put another question. He is not concerned at all.

Shri Madhu Limaye: Some time back I drew the attention of the Hon. Labour Minister to an incident occurred in Monghyr area where house of a Harijan was set on fire? Later on I came to know that there was one more incident of that type in Manjhol area in Begusarai. After all if the policy of the Government is to eliminate untouchability and also to establish social and economic equality in the country, what is the mystery behind this? They should look into it and should take some drastic measures so that the Harijans and backward classes are protected against such atrocities.

श्रीमती चन्द्रशेखर: जब भी हमको सूचना मिलती है, हम राज्य सरकारों तथा स्थानीय अधिकारियों से छानबीन करते हैं तथा आवश्यक कार्यवाही करते हैं। मैं जानती हूं कि अस्पृश्यता के कारण कुछ घटनायें होती हैं। किन्तु मैं कई बार सभा में बता चुकी हूँ कि अस्पृश्यता निवारण के लिये 1955 में पास किया गया अधिनियम लागू है। हम वहीं रुके नहीं रहे; हमने श्री इलियोपेरूमाल के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की। वह समिति सभी राज्यों का भ्रमण कर रही है तथा इससे अगले महीने के आखिर तक अन्तरिम प्रतिवेदन मिलने की आशा की जाती है। उस प्रतिवेदन में अब तक चली आ रही कुछ पुरानी बातें सामने आयेंगी तथा भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही का सुझाव देगी। प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद हम आगे कार्यवाही करेंगे।

Shri Madhu Limaye: I asked as to whether they have enquired? The Hon. Labour Minister had said that day that they would conduct enquiries.

Mr. Speaker: Your whole question was a suggestion for the Government to act upon.

श्री मुथिया : क्या यह सच है कि हरिजनों को अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कुओं तथा कुछ नदियों के स्नान घाटों पर नहीं जाने दिया जा रहा है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मेरे विचार में हरिजनों को सार्वजनिक कुओं के इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है। यदि ऐसी घटनायें होती हैं तो स्थानीय अधिकारी तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा कार्यवाही की जाती है।

Shri Vishram Prasad : Is the Hon. Minister aware of the fact that in Eastern U. P., particularly in Azamgarh District people are being paid two annas a day as their wages and are entitled to get ten chhataks of grains and the Harijans of the area are beaten up every now and then. Besides, they are not allowed to drink water from the well, they can not sit on a cot side by side with others and are harassed in a number of ways even today. Do the Government know all this and if so, what steps has Government taken in this regard ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैंने जो उत्तर दिया है उसके अन्तर्गत यह प्रश्न भी आ जाता है।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य अपने चुनाव क्षेत्रों, जिलों या राज्यों के अलग-अलग मामलों पर प्रश्न करेंगे तो कोई भी मंत्री उत्तर नहीं दे पायेंगे।

Shri Madhu Limaye : How will they eliminate untouchability ? Please direct them to gather full information and place before the House.

Mr. Speaker : That can be done after the submission of the report.

श्री मं० रं० कृष्ण : हरिजनों की समस्या को सुलझाने के लिये बहुत सी समितियां नियुक्त की गई तथा अत्यधिक धन का अपव्यय हुआ। अब जिस समिति का मंत्री महोदय ने सुझाव दिया है उससे भी हरिजनों की कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। मैं एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अनुसूचित जातियों तथा आदिवासियों के आयुक्त, जिन्हें इन सभी मांगों की संसद को सूचना देनी होती है, पिछले चार या छः महीनों से कार्य नहीं कर रहे हैं। मुझे पता नहीं कि कोई नये आयुक्त नियुक्त किये जा रहे हैं। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब से पंचायती-राज व्यवस्था आरम्भ की गई, क्या हरिजनों को सताने की घटनायें बढ़ी नहीं हैं तथा उनकी तरक्की अवरुद्ध नहीं हुई है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : माननीय सदस्य के प्रश्न के कई भाग हैं। एक तो अस्पृश्यता को पूर्ण-रूपेण समाप्त करने की समिति के बारे में था। मेरे विचार में कोई भी समिति इस प्रश्न से सम्बन्धित सभी त्रुटियों को नहीं दूर कर सकती है। किन्तु वे कुछ रचनात्मक सुझाव रखेंगे जिनका हम अनुसरण करेंगे।

दूसरा आयुक्त के बारे में था वह अवकाश पर थे और अवकाश-काल में दूसरे आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो सकती। हम दूसरे आयुक्त द्वारा कार्य-भार सम्भालने की व्यवस्था कर रहे हैं।

तीसरा प्रश्न आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में था। इस पर प्रत्येक वर्ष वाद-विवाद होता है। पिछला 1963-64 का प्रतिवेदन अभी निलम्बित रखा गया है तथा जैसे ही सभा को समय मिलेगा, इस पर वाद-विवाद होगा।

Shri Buta Singh: It has not been discussed for the last three years.

Shri Gulshan: Do Government know about the Harijans who are agricultural labourers in Panjab and Uttar Pradesh and also about the atrocities perpetrated for depriving them of their land by the Police and the land owners? If so, what action has been initiated by the Government in this respect?

श्रीमती चन्द्रशेखर: श्रीमान, राज्यों में होने वाली विभिन्न घटनाओं के सम्बन्ध में अलग-अलग उत्तर देने की कठिनाई को आपने सही रूप में प्रकट किया। किसी घटना विशेष की ओर हम अवश्य ध्यान देंगे। किन्तु मेरे लिये यह सम्भव नहीं है कि मैं सारे देश की घटनाओं का रिकार्ड अपने पास रखूं तथा सभी का उत्तर दूँ।

Shri Gulshan: My question has not been answered. I have not raised an individual point.

I have asked as to whether the attention of the Government has been drawn to the fact that Police and land owners are perpetrating atrocities on the Harijans?

Mr. Speaker: The Hon. Member has asked about two states. He should give these cases in writing to the Hon. Minister, who will look into these.

Shri Gulshan: I have not written only once but many times. I have written even to the Prime Minister, but no action has been taken.

अध्यक्ष महोदय: क्या मंत्री महोदय के पास कोई सूचना आई है तथा क्या इन आरोपों के बारे में कोई छान बीन की गई है?

श्रीमती चन्द्रशेखर: मेरे पास इस समय कोई सूचना नहीं है।

श्री बसुमतारी: अभी एक माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा कि आयुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं हुई। कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि इस प्रतिवेदन पर चार साल से वाद-विवाद नहीं हुआ।

क्या यह सच है कि जब कभी बैठक होती है तो सम्बन्धित मंत्री बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही में भाग नहीं लेते, जिससे आदिवासियों के उत्थान के प्रति विभागीय अवहेलना प्रकट होती है?

अध्यक्ष महोदय: दूसरे मंत्री के बारे वह क्या उत्तर देंगी। वह केवल प्रथम भाग का उत्तर दे सकती हैं।

श्रीमती चन्द्रशेखर: आयुक्त की शीघ्र ही नियुक्ति की जायेगी। यह 1963-64 का अन्तिम प्रतिवेदन है जो स्थगित रखा गया है। इसे सभा पटल पर रखा जा चुका है।

जहां तक मंत्री की अनुपस्थिति का प्रश्न है, मैं समझती हूं कि मंत्री किसी भी बैठक में अनुपस्थित नहीं रहे ।

Shri Ganpati Ram : Do Government know that although three hundred persons were imprisoned on the issue of entrance to the Kashi Vishwanath Temple in Varanasi District in Uttar Pradesh 8 years ago, yet no Harijan can enter the Kashi Vishwanath Temple even today?

श्री रघुनाथ सिंह : मैं इसका विरोध करता हूं । यह मेरे चुनाव क्षेत्र के बारे में है । यह गलत है । (**व्यवधान**)

Mr. Speaker : The Hon. Member has raised a controversial issue. He should sit now so that the Minister can reply.

Shri Ganpati Ram : Mr. Speaker, I have only raised a question, if others drop in what can I do?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं समझती हूं यह आठ साल पहिले की बात है ।

अध्यक्ष महोदय : अब तक हरिजन प्रवेश नहीं कर सकते हैं ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं समझती हूं यह सच नहीं है।

Shri Sheo Narain : I would like to inform Hon. Member, Shri Ganpati Ram and this House also that I have been a member of Uttar Pradesh Temple committee and have been to Hardwar, Kashi and other places, I have been to Kashi Vishwanath Temple also, but no body obstructed.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is the Hon. Member a Harijan?

Mr. Speaker : Has the Hon. Member to ask any question?

Shri Sheo Narain : I would like to know how much of the amount allotted by the Government for Harijans is spent for our benefit.

Mr. Speaker : I could not follow the question of the Hon. Member, but if the Hon. Minister has followed him, she may answer please.

श्रीमती चन्द्रशेखर : नहीं श्रीमान मैं समझी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह प्रश्न को दोहरायेंगे ?

श्री शिव नरायण : मैं जानना चाहता हूं कि हरिजनों के विकास के लिये सरकार जितना धन निर्धारित करती है उसका कितना हिस्सा उनके ऊपर खर्च होता है ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : पिछड़े वर्गों के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, आदिवासियों तथा पिछड़े वर्ग के कार्यक्रम होते हैं । जो कुछ धन अनुसूचित जातियों के लिये निर्धारित किया जाता है वह सब उनके ऊपर ही खर्च किया जाता है ।

Shri Onkar Lal Berwa: Untouchability Eradication Act was passed in 1955 and it is 1966, I would like to know how many persons have been fined and how many persons have been imprisoned for violating this Act?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं इस प्रश्न पर नोटिस चाहती हूं ।

Shri Onkar Lal Berwa: If the Hon. Minister does not come here with full information, does she come for having a photographic snap? The notice for this question was given 20 days earlier.

Mr. Speaker: The notice was not given on the question he is asking now.

Shri Onkar Lal Berwa: After all supplementaries have to be put on a question.

Mr. Speaker: It is improper to say like this.

Voluntary disclosure of Unaccounted money

\+
*394. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Raghunath Singh:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri R. S. Pandey:
Shri S. M. Banerjee:
Shri R. Barua:
Shri Kapur Singh:
Shri Buta Singh:
Shri Narasimha Reddy:
Shri M. K. Kumaran:
Shri D. C. Sharma:
Shri P. C. Borooah:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the further progress made in regard to the voluntary disclosure of unaccounted money:

(b) whether any other steps have been taken to bring out this money; and

(c) if so, the results achieved?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat): (a) Under Section 271 (4a) of the Income Tax Act 1961, from 1-4-1966 to 30-6-1966, 301 persons have disclosed Rs. 2·64 crores as unaccounted income.

(b) Other steps taken are:

(i) Setting up of Intelligence Department for tracing out cases of Tax evasion and for prosecuting the defaulters.

(ii) Appointment of additional officers in the jurisdiction of Central Commissioners for necessary action against cases of Tax evasion on large scale.

(iii) Use of rights for search and seizure.

(c) There is an appraisal for disclosure of Rs. 127·41 crores as unaccounted income consequent upon the steps of search and seizure. As a matter of fact, most of the cases disclosed under Section 68 of Finance Act, 1965, are due to search and seizure. Other cases of disclosure of unaccounted income were also traced out after the Department was posted with or was about to be posted with necessary information regarding evasion through investigations.

In some cases unaccounted income was disclosed because they were afraid of seizure by the Department of Intelligence.

Shri Prakash Vir Shastri : I would like to know what percentage of the total unaccounted money, regarding which rough figures were given before by the Government and which is not being disclosed or which is affecting our economy adversely, has been disclosed ? What steps are being taken to bring out the rest of the unaccounted money ? Do Government propose to take steps so as to ensure that no body tries to conceal unaccounted money in future.

Shri B. R. Bhagat : So far as the figures of the unaccounted money are concerned, no official figures have been given.

Shri Prakash Vir Shastri : Figures calculated roughly.

Shri B. R. Bhagat : Roughly calculated figures have also not been given. It is difficult to assess the amount of unaccounted money. If it can be done, we can easily seize unaccounted money.

Shri Prakash Vir Shastri : Shri T. T. Krishnamachari had given an assessment in this regard.

Shri B. R. Bhagat : That is not official assessment. So far as the seizure of the unaccounted money is concerned, we are trying our best to trace it out. We are enforcing strict compliance in respect of Income Tax Act and Administrative system with a view to tracing out unaccounted money.

Shri Prakash Vir Shastri : Probably I could not make my point clear. My question was whether Government are thinking of taking certain steps or measures so as to ensure that no body tries to conceal unaccounted money and these practices are stopped in the country altogether.

Shri B. R. Bhagat : We shall act according to circumstances in future. At present we can only think of tracing out and capturing the unaccounted money, and also think of taking steps so that no body tries to conceal unaccounted money further. We can also create some sort of social atmosphere. Nothing can be said regarding the future at present.

Shri Brij Raj Singh : What are the Government doing ?

Shri Prakash Vir Shastri : People should bring out unaccounted money voluntarily and it should be declared null and void. Somedays back it was published in News Papers that the Finance Ministry was thinking in terms of demonetisation. Is it a fact ? If so, when is the decision expected ?

Shri B. R. Bhagat : There is no truth in this News item.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Persons who disclosed unaccounted money or arrears of Income Tax, how many of them are Government servants, Income Tax Officers, Political leaders and Ministers ?

Shri B. R. Bhagat : There are neither Government Officers nor Ministers and nor Political leaders among them. They are the persons who have evaded income-tax and have been caught.

Shri Raghunath Singh : May I know the name of the state where the number of persons who have disclosed their unaccounted money, is the highest and also the name of that state where the number of such persons is the lowest ?

Shri B. R. Bhagat : I want notice for this. I can give this information only after collecting it.

Shri R. S. Pandey : The Hon. Minister has just stated that it is very difficult to tell the amount of unaccounted money which has not so far been disclosed. After all they might have some estimate as to the amount of such money is in the country. Let us have a rough estimate only ?

Shri B. R. Bhagat : No, Sir. We have neither any figures nor we can have any guess.

श्री स० मो० बनर्जी : छिपे धन की घोषणा करने के लिए जो रियायत अथवा समय दिया गया था उससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस धन को बाहर निकालने हेतु सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही के अतिरिक्त और क्या उपाय किये जा रहे हैं और क्या इन उपायों में से एक उपाय विमुद्रीकरण है ?

श्री ब० रा० भगत : दोनों प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में दे दिये गये हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या अन्य उपाय विचाराधीन हैं ?

श्री ब० रा० भगत : मुख्य प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में हमने अन्य उपायों का उल्लेख कर दिया है।

श्री रा० बरुआ : छिपे धन की घोषणा करने वाले लोगों को उनके विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही न करने के बारे में क्या आश्वासन दिया गया है और घोषित की गई तथा घोषित न की गई छिपे धन का अनुपात क्या है ?

श्री ब० रा० भगत : कानून में विद्यमान उपबन्धों के अतिरिक्त संसद में दो योजनाओं की घोषणा की गई थी। पहली योजना के अन्तर्गत 52.12 करोड़ रुपये की राशि तथा दूसरी योजना के अन्तर्गत 146.75 करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की गई थी। विद्यमान योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 1965 और 30 जून, 1966 के बीच 25.57 करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की गई।

श्री रा० बरुआ : छिपे धन की घोषणा करने वाले व्यक्तियों को दाण्डिक कार्यवाही न करने के बारे में क्या आश्वासन दिया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : उस योजना में, जिसकी घोषणा की गई है, सभी आश्वासनों का उल्लेख कर दिया गया है।

Shri Buta Singh : Most of the industrialists who have black money, have converted their black money into white money by purchasing land around Delhi with the result that the price of land has gone up and it is not even available at Rs. 20,000 per acre. What action is going to be taken by Government to remove the lacuna in the law so that they are not able to convert their black money into white money ?

Shri B. R. Bhagat : There are such rules under the Law and whenever we come to know that there is any lacuna we take action to remove it.

Shri Buta Singh : Is the Hon. Minister aware of this fact that they have purchased the land ?

Mr. Speaker : I cannot allow the second question.

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच है कि छिपे धन की स्वेच्छा पूर्वक घोषणा करने की योजना से केवल 10 प्रतिशत धन ही बाहर निकाला गया है और यदि हां, तो क्या सरकार आय कर न देने वाले व्यक्तियों का सामान्य ढंग से पता लगाने तथा इस योजना को बिल्कुल बन्द करने का विचार रखती है क्योंकि इस योजना से कोई लाभ नहीं हुआ है ?

श्री ब० रा० भगत : दो योजनायें पहले ही बन्द हो गई हैं। तीसरी योजना की व्यवस्था अधिनियम में उन लोगों के लिये की गई है जो इससे लाभ उठाना चाहें। इसके अतिरिक्त, जैसा कि मैंने पहले बताया, हम निरंतर रूप से उपाय करते रहते हैं और छिपे धन को बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री प्र०चं० बरुआ : क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि काले धन की एक भारी राशि को बट्टे की दरों पर विदेशी मुद्रा में बदल लिया गया है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में ऐसे कितने धन का पता लगाया गया ?

श्री ब० रा० भगत : हम विभिन्न एजेंसियों से आने वाले विभिन्न समाचार सुनते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के जल का प्रयोग करने में हिस्सा

+

*395. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री शिवमूर्ती स्वामी :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री बालकृष्ण वासानक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बासप्पा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री कृष्णा और गोदावरी नदियों के जल का सम्बन्धित राज्यों के बीच वितरण के बारे में 28 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1417 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो बिलम्ब होने के क्या कारण हैं और अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा; और

(ग) क्या इस विवाद को मध्यस्थ निर्णय के लिए सौंपने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कु०ल० राव) (क) तथा (ख): महाराष्ट्र, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के साथ अलग-अलग बातचीत की गई थी। अगली कार्यवाही जारी है। जल विवादों का मित्रतापूर्वक निपटारा करने में समय लगता है।

एक कारण यह भी है कि व्यपवर्तन कार्यों के आंकड़ों और सर्वेक्षण का अभाव है। जल्दी फैसला करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(ग) इस समय प्रश्न नहीं उठता।

Shri Yashpal Singh : May I know since how long this matter is pending ? When this dispute will be settled and if the Ministry of Irrigation and the three Chief Ministers concerned are not able to settle it, may I know whether this will be settled by entrusting this matter to the Ministry of Home Affairs ?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : As the Minister of State has pointed out, discussions have already been held individually with the concerned Chief Ministers. A joint meeting of the concerned Chief Ministers will be called shortly where this matter will be discussed and thereafter we will think as to what should be done.

Shri Yashpal Singh : This dispute is among you people but cultivators are undergoing a loss as a result thereof.

Shri Fakhruddin Ali Ahmed : Cultivators are not undergoing any loss as the construction work of projects relating to these rivers is going on without any impediments as a result of this dispute.

श्री हु० चा० लिंगरेड्डी : क्या पहले सिंचाई और विद्युत मंत्री ने भी बातचीत की थी और वह बातचीत असफल रही थी ? वर्तमान मंत्री यह आशा क्यों करते हैं कि इस समस्या को हल करना संभव होगा ? यह समस्या वास्तव में कब हल की जायेगी और योजना को कब क्रियान्वित करना आरम्भ किया जायेगा ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह सही है कि मेरे पूर्वाधिकारी ने इन मामलों के बारे में बातचीत की थी और उन्होंने सभा में एक वक्तव्य दिया था। तत्पश्चात् कुछ राज्यों ने कई और प्रश्न उठाये हैं और आशा है कि जब वे फिर आपस में मिलेंगे तो मामले को निबटाना सम्भव होगा।

Shri Ram Harakh Yadav : Is Government aware of this fact that a very little quantity of water of these rivers is utilised for irrigation and if so, whether Government would submit a proposal in the conference of the Ministers that more and more water of these rivers is utilised for irrigation purposes ?

Shri Fakhruddin Ali Ahmed : This matter will also be discussed there and a decision will be taken on it.

प्रश्न संख्या 407 के बारे में

Re : Question No. 407

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती से मुझे एक सूचना प्राप्त हुई है। वह चाहती हैं कि प्रश्न संख्या 407 का उत्तर दिया जाय। यदि मंत्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं तो केवल तभी इसे लिया जा सकता है।

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : निवेदन मंत्री महोदय को करना चाहिए।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं ऐसा कोई निवेदन नहीं करता हूं।

श्री नम्बियार : नियमों के अन्तर्गत, जब कोई माननीय सदस्य कहते हैं कि किसी प्रश्न विशेष का उत्तर दिया जाय तो मंत्री महोदय को यह बताना चाहिए कि आया वह उत्तर दे सकते हैं अथवा नहीं दे सकते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। यह कहना उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : नियम ये हैं कि प्रश्नकाल समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि मंत्री समझें कि किसी प्रश्न का उत्तर देना लोक-हित में है तो वह ऐसा निवेदन कर सकते हैं और तभी उस प्रश्न को लिया जा सकता है।

बागान मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन

+

अ० सू० प्र० 8. श्री वासुदेवन नायर :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री मणियंगाडन :
श्री अ० व० राघवन :
श्री केप्पन :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री उमानाथ :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बागान मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन पर, कर्मचारियों के प्रतिनिधि के विमति टिप्पण सहित विचार किया है ; और

(ग) क्या केरल में बागान कर्मचारियों की हड़ताल का निबटारा करने के लिए इस प्रतिवेदन पर शीघ्र निर्णय करने का सरकार विचार कर रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ): (क) रबड़ बागान के मजूरी बोर्ड की अन्तिम रिपोर्ट अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रिपोर्ट के प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री वासुदेवन नायर : महोदय, यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। पिछली बार भी, आप को याद होगा, एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था कि उन्हें मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। श्रीमन, मैं आपको तथा आपके द्वारा सभा को यह सूचना दे दूं कि प्रतिवेदन पर पिछले महीने की 20 तारीख को हस्ताक्षर किये गये थे। पिछली बार मंत्री महोदय ने हमें बताया था कि श्रम प्रतिनिधियों ने विमत टिप्पण देने की भी परवाह नहीं की। श्रम प्रतिनिधियों से मुझे एक तार मिला है जिसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने अपना विमत टिप्पण दिया था। लगभग तीन सप्ताहों के पश्चात सरकार कहती है कि प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी ओर से क्या किया है कि प्रतिवेदन उन्हें शीघ्र प्राप्त हो जिससे वे इस मामले पर विचार कर सकें ?

श्री शाहनवाज खाँ : हमने टेलीफोन तथा तार द्वारा पूछताछ की है और हमें बताया गया है कि प्रतिवेदन हमें एक सप्ताह में प्राप्त हो जाएगा।

श्री वासुदेवन नायर : महोदय, हम सरकार के इस प्रकार के रवैये का विरोध करते हैं। श्रीमन्, रबड़ बागान के 26,000 मजदूर 6 सप्ताह से भी अधिक समय से हड़ताल पर हैं। देश की अर्थ व्यवस्था के लिये रबड़ का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार इस बारे में क्या कर रही है ? प्रतिवेदन को बंगलौर से दिल्ली पहुंचाने में कितना समय लगता है ?

अध्यक्ष महोदय : अब वह कहते हैं कि यह एक सप्ताह में प्राप्त हो जायेगा।

श्री वासुदेवन नायर : प्रतिवेदन के अलावा, श्रम मंत्रालय ने इस विवाद के बीच में पड़ने तथा इसे सुलझाने के लिये क्या किया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : श्रीमान, मेरे विचार में सदस्य के क्रोधित होने का कोई कारण नहीं है।.........

श्री वासुदेवन नायर : विरोध करने का कारण तो है ही क्योंकि वह बड़ा गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं।

श्री जगजीवन राम : श्रीमान, जब ऐसे प्रश्न उठाये जाते हैं तो मुझे सच्ची बात कहनी पड़ती है। चाहे इससे प्रतिपक्षी सदस्य प्रसन्न हों अथवा नहीं। मुझे तो सच्ची बात कहनी ही पड़ती है। मैं अपने आप ऐसी कोई बात नहीं कह सकता हूँ जो सदस्यों को अच्छी लगे। यह एक सामान्य

ज्ञान की बात है कि जब बोर्ड के सभापति को बहुसंख्यक वर्ग की सिफारिशें तथा विमत टिप्पण प्राप्त होते हैं तो यह प्रकल्पना की जानी चाहिये कि सभापति को भी उन सिफारिशों को सरकार के पास भेजने से पूर्व कुछ टिप्पणियां देनी होंगी। यदि वह इसके लिये एक अथवा दो सप्ताह ले लेते हैं तो इसमें कोई असमान्यता अथवा कोई असाधारण विलम्ब नहीं है। मेरे साथी ने कहा है कि हमने सभापति से टेलीफोन पर बात की थी और प्रतिवेदन जल्दी मिलने वाला है। मै नहीं समझता हूँ कि इस प्रकार से विरोध करने का कोई कारण है।

श्री ही०ना० मुकर्जी : इस समाचार को जिसका सरकार ने अभी तक खण्डन नहीं किया है, ध्यान में रखते हुए कि मजूरी बोर्ड ने प्रतिवेदन पर तीन सप्ताह से भी अधिक समय पहले हस्ताक्षर कर दिये हैं और विमति टिप्पण भी प्रस्तुत किये जा चुके हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि जब 26000 श्रमिकों ने इस मामले पर हड़ताल कर रखी है तो सरकार इस मामले में शीघ्रता करने का प्रयत्न क्यों नहीं कर रही है? क्या इसका कारण यह है कि केरल सरकार जो केन्द्रीय मंत्री के अधीन है, इस मामले को एक ऐसी बात के लिये मुल्तवी कर रही है जो किसी भी तरह से प्रशासन के लिए लाभकारी नहीं है?

श्री जगजीवन राम : मैं नहीं समझता कि केरल सरकार का मजूरी बोर्ड से कोई सम्बन्ध है। जैसा कि मैंने कहा, मुझे इस बात का पता नहीं है कि विमति टिप्पण भेजा गया है अथवा नहीं। मुझे यह भी पता नहीं है कि उन्होंने क्या सिफारिशें की हैं। जब तक मुझे प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो जाता तब तक मैं इस बात का पता नहीं लगा सकता हूं कि क्या विमत टिप्पण भेजा गया है और क्या इस पर हस्ताक्षर हो गये हैं अथवा नहीं। मैं माननीय सदस्य की तरह बातों की प्रकल्पना नहीं कर सकता हूं।

श्री वासुदेवन नायर : पिछली बार माननीय मंत्री ने बताया था कि उन्होंने विमत टिप्पण नहीं दिया है।

श्री जगजीवन राम : मैंने ऐसा नहीं कहा था कि उन्होंने टिप्पण नहीं दिया है। मैंने यह कहा था कि यदि श्रमिक बहुसंख्यक वर्ग की राय से सहमत नहीं होते हैं तो उन्हें विमत टिप्पण देने का पूरा अधिकार है। मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या उन्होंने कोई विमत टिप्पण दिया है अथवा नहीं। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि क्या उन्होंने प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। मैं प्रकल्पना नहीं कर सकता हूं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि सरकार निर्णय करने में 17 तारीख तक प्रतीक्षा कर रही है क्योंकि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह 17 तारीख से हड़ताल कर देगी?

श्री जगजीवन राम : मुझे इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की हड़ताल सम्बन्धी घोषणा की कोई जानकारी नहीं है।

श्री मणियंगाडन : क्या यह सच है कि श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने केरल के राज्यपाल के सलाहकार से मुलाकात की और सलाहकार ने उन्हें विश्वास दिलाया कि प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् इस मामले पर तुरन्त निर्णय किया जायेगा और उन्होंने श्रम-प्रतिनिधियों से हड़ताल की सूचना वापस ले लेने के लिए कहा ? क्या श्रमिकों ने उनकी इस बात को स्वीकार कर लिया है ?

श्री जगजीवन राम : मुझे इस बात का पता नहीं है । परन्तु मैं केरल सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन को दोहरा देता हूं कि मजूरी बोर्ड से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर शीघ्र कार्यवाही की जायेगी ।

श्री केप्पन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्रमिकों के सभी वर्गों ने हड़ताल करने की धमकी दी है, सरकार इस विवाद को जल्दी सुलझाने के लिये क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री जगजीवन राम : जैसा कि मैंने कहा, जैसे ही प्रतिवेदन प्राप्त होगा, सरकार इस पर शीघ्र कार्यवाही करेगी ।

श्री अ० क० गोपालन : क्या यह सच है कि केरल सरकार इस मामले को शीघ्र सुलझाना चाहती है परन्तु यह केन्द्रीय सरकार है जो इस विवाद को सुलझाने नहीं दे रही है ?

श्री जगजीवन राम : जी नहीं ।

श्री उमानाथ : सामान्य प्रथा यह है कि जब कभी किसी क्षेत्र में हड़ताल होती है जिसका विदेशी मुद्रा के अर्जन पर प्रभाव पड़ता है तो भारत सरकार विवाद को निबटाने में बीच में आती है । क्या यह सच है कि इस मामले में सरकार पक्षों को बुलाने तथा विवाद को सुलझाने के लिये जानबूझ कर पहल नहीं कर रही है जिससे हड़ताल लम्बे अर्से तक रहे और स्वयंमेव समाप्त हो जाये चाहे इससे विदेशी मुद्रा की हमारी स्थिति पर कुप्रभाव ही क्यों न पड़े ?

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य एक ध्यान दिलाने वाली सूचना के रूप में पहले उठाये गये प्रश्न के बारे में दिये गये मेरे उत्तर को भूल गये हैं । उस समय मैंने बताया था कि श्रमिकों से बातचीत करने के लिये केरल सरकार द्वारा किये गये प्रयत्न असफल रहे थे । अतः यह कहना सही नहीं है कि सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है ।

श्री स० मो० बनर्जी : जब ध्यान दिलाने वाली सूचना के संदर्भ में माननीय मंत्री ने अपना वक्तव्य दिया था तो हमने उन्हें ध्यानपूर्वक सुना था । ध्यान दिलाने वाली सूचना तथा आज के इस अल्प सूचना प्रश्न के बीच की अवधि में यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि लोक-सभा में उत्तर देने के साथ साथ इस मामले को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाये ?

श्री जगजीवन राम : यहां से कोई कार्यवाही नहीं की जानी थी । सारा विवाद मजूरी के प्रश्न के बारे में है और इस पर मजूरी बोर्ड विचार कर रहा है । मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के

मिलने तक मजूरी निश्चित करने के मामले में और कोई कार्यवाही नहीं की जानी है । अतः मैंने मजदूर संघ के नेताओं तथा श्रमिकों से अपील की कि वे काम पर लौट आयें । मैंने उनको यह आश्वासन भी दिया कि जैसे ही प्रतिवेदन प्राप्त होगा हम इस पर निर्णय कर लेंगे ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : कितने श्रमिक हड़ताल पर हैं । उनकी मुख्य मांगे क्या हैं और मजूरी बोर्ड की सिफारिशों से उनकी मांगों को किस प्रकार से पूरा किया जायेगा ?

श्री जगजीवन राम : इन सभी प्रश्नों का उत्तर पिछली बार दे दिया गया था ।

श्री श्रीकान्तन नायर : चूंकि सभापति की टिप्पणियों सहित प्रतिवेदन जल्दी मिलने वाला है, इसलिये क्या मंत्री महोदय संसद के सम्बन्धित सदस्यों की एक बैठक बुलायेंगे और इस मामले को यहीं सुलझाने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री जगजीवन राम : हम इस प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करते हैं ।

श्री वारियर : केन्द्रीय सरकार द्वारा इस मामले पर कोई कार्यवाही करने से पहले क्या केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने इस मामले को सुलझाने के बारे में राज्य सरकार के विचारों का पता लगा लिया था ?

श्री जगजीवन राम : श्रम मंत्रालय केरल सरकार से सम्पर्क बनाये हुए है ।

श्री वारियर : मैं यह भी जानना चाहता था कि क्या केन्द्रीय सरकार ने समझौता कराने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्री जगजीवन राम : मैंने कहा कि केन्द्रीय श्रम मंत्रालय केरल में श्रम विभाग से सम्पर्क बनाये हुए है और जब तक केरल सरकार का श्रम विभाग कार्य कर रहा है तब तक, मेरे विचार में, केन्द्रीय सरकार को बीच में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The Hon. Minister has just stated that we are in touch with the Kerala Government and we are negotiating with the Labour Department in Kerala, may I know whether the Labour Department has assured the workers or any Minister of that state has ever gone to them and made any such appeal that we are trying for conciliation and that their demands will be met besides making this appeal in this House ?

Shri Jagjiwan Ram : I have nothing to add to what I have already stated.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तीसरी पंचवर्षीय योजना में जल संभरण योजनाएं

*396. **श्रीमती विमला देवी :**

श्री लिंग रेड्डी :

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में ताजा जल संभरण की नई योजनाओं के लिये कुल कितना धन मंजूर किया गया था ;

(ख) क्या इस कार्य के लिये नियत धन राशि पूर्णत: खर्च की जा चुकी है;

(ग) यदि नहीं, तो व्यय कम होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में ताजा पेय जल की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम के देहात वाले अंश के लिये 15.59 करोड़ रुपये की एक धन राशि नियत की गई थी।

(ख) जी हां।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Development of Rajghat etc.

*397. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a scheme is being formulated for the combined development of Vijay Ghat, Shanti Van and Rajghat Samadhis ; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) Yes.

(b) The plans are in the process of preparation by the architect and it is too early to speak with any finality about the salient features. But in general, the idea is to lay out the entire stretch of the river front in this portion in large landscaped and contoured areas.

एशियाई विकास बैंक

*398. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

श्री रा० बरुआ :

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाई विकास बैंक ने भारत में कुछ और विकास परियोजनाओं के लिए ऋण देने की पेशकश की है :

(ख) अब तक जिन ऋणों की पेशकश की गई है अथवा जो ऋण बैंक के साथ तय हुए हैं उनका ब्यौरा क्या है, और

(ग) एशियाई विकास बैंक के द्वारा अपने सदस्य राष्ट्रों को ऋण दिये जाने के बारे में बैंक के अब तक के कार्यो का संक्षिप्त विवरण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). एशियाई विकास बैंक की अभी स्थापना नहीं हुई है। दिसम्बर 1965 में मनीला में जिस करारनामे पर हस्ताक्षर हुए थे उसका अनुसमर्थन किया जाना अभी बाकी है और तभी बैंक के गवर्नरों के बोर्ड की उद्घाटनकारी बैठक बुलायी जायगी । उसके बाद ही बैंक की नियमित रूप से स्थापना हो सकेगी। इन परिस्थितियों में, एशियाई विकास बैंक से ऋण मिलने का सवाल अभी समय से पहले है।

भारत में बैंकों के काम की प्रगति

*399. **श्रीमती रेणुका राय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में बैंकों के काम की प्रवृत्ति तथा प्रगति के बारे में रिजर्व बैंक की 1965 की रिपोर्ट के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है : और

(ख) जो उधार सम्बन्धी नीतियां अपनाई गई हैं उनसे मूल्यों में वृद्धि को रोकने में कहां तक सहायता मिली है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) रिपोर्ट में अर्थ-व्यवस्था के विकास, रिजर्व बैंक द्वारा अपनायी गयी ऋण-नीतियों और बैंक व्यवसाय से सम्बद्ध कानूनों और संगठन के क्षेत्र में हुई प्रगति का तथ्यात्मक विवरण दिया गया है । रिपोर्ट में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके सम्बन्ध में सरकार की किसी विशिष्ट प्रतिक्रिया की आवश्यकता हो।

(ख) रिजर्व बैंक की ऋण-नीतियों का उद्देश्य इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करना है कि अत्यावश्यक कामों के लिए काफी ऋण मिलें और मूल्यों की वृद्धि रुके। मूल्यों पर पड़ने वाले, इन नीतियों के प्रभाव को मूल्यों पर प्रभाव डालने वाली दूसरी बातों से अलग करना संभव नहीं है।

विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन

*400 **श्री उटिया :**

श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री 24 मार्च 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 766 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये मामलों को दर्ज करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) विभिन्न मामलों में की जाने वाली जांच पूरी करने में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) नये मामलों का न्याय-निर्णयन (एडजूडीकेशन) करने में इस बीच कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) उपरोक्त भाग (ग) में निर्दिष्ट मामले में कितना अर्थदण्ड दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) 1 जनवरी 1966 से 30 जून 1966 तक की, अवधि में प्रवर्तन निदेशालय ने 1231 नये मामले दर्ज किये।

(ख) उस निदेशालय ने उपर्युक्त अवधि में 1489 मामलों में जांच-पड़ताल पूरी की।

(ग) उपर्युक्त अवधि में न्याय निर्णय किये गये मामलों की कुल संख्या 426 थी।

(घ) पार्टियों पर कुल मिलाकर 6,81,471 रुपये के दण्ड लगाये गये और कुल 4,42,096 रुपये की भारतीय और विदेशी मुद्राओं की जब्ती की आज्ञा दी गयी।

राजस्थान नहर परियोजना

*401. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा राजस्थान नहर परियोजना को अपने अधीन लिये जाने तथा राजस्थान नहर बोर्ड स्थापित करने के बारे में निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ग). जी, नहीं। मामला विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

'लूप' का प्रयोग करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन

*402. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री दी० चं० शर्मा : **डा० श्री निवासन :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में लूप को बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बनाने के बारे में लूप के अविष्कर्त्ता डा० जैक लिप्स के सुझावों पर विचार किया है ; और

(ख) क्या सरकार ने डाक्टरों तथा 'लूप' का प्रयोग करने वाली महिलाओं को राष्ट्र-व्यापी आधार पर अधिक आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर): (क) और (ख). डा० लिप्स के सुझाव विचाराधीन हैं ।

विश्व बैंक से सहायता

*403. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री दाजी :**
श्रीमती सावित्री निगम : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री वारियर : **श्री द्वारका दास मंत्री :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में परियोजना से विभिन्न कार्यों के लिये सहायता की राशि के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो वास्तव में कितनी राशि मंजूर की गयी है अथवा मंजूर करने का वचन दिया गया है ;

(ग) भारत को कितने धन की आवश्यकता थी ; और

(घ) यह आवश्यकता कहां तक पूरी हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (घ). भारत-सहायता-संघ के सदस्यों द्वारा दिये गये वचनों और प्रकट किये गये इरादों के आधार पर, विश्व बैंक के अध्यक्ष ने अपना पूरा विश्वास प्रकट किया है कि गैर-प्रायोजना सहायता की 90 करोड़ डालर की सारी रकम, जिसे भारत और विश्व बैंक आवश्यक समझते हैं, चालू वित्त वर्ष में भारत को दे दी जायगी। इस 90 करोड़ डालर की रकम में से 31 करोड़ 46 लाख डालर के बारे में अंतिम रूप से व्यवस्था कर ली गयी है और बाकी के बारे में बातचीत की जा रही है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के संसाधनों में कमी

*404. **श्री बूटा सिंह :**
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने चौथी पंचवर्षीय योजना के संसाधनों में कमी का कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए चौथी पंचवर्षीय योजना के आकार को घटाया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). चौथी आयोजना के लिए उपलब्ध साधनों की स्थिति और इस स्थिति के सन्दर्भ में आयोजना के आकार के सम्बन्ध में योजना आयोग, वित्त मंत्रालय के परामर्श से विचार कर रहा है। व्यौरों के साथ, निष्कर्षों का उल्लेख आयोजना की रूपरेखा में किया जायगा, जो अनुमानतः कुछ ही सप्ताहों में तैयार हो जायगी।

योजना आयोग के कार्य

*405. **श्री किशन पटनायक :**
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डा० वी० के आर० वी० राव के इस आशय के वक्तव्य पर ध्यान दिया है कि रुपये का अवमूल्यन करने के सम्बन्ध में योजना आयोग से परामर्श न किया जाना उचित नहीं था ; और

(ख) क्या सरकार का इरादा योजना आयोग के कार्यों तथा मंत्रिमंडल के साथ उसके सम्बन्ध की व्याख्या करने के लिए कोई कानून बनाने का है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) प्रो० वी०के०आर०वी० राव ने इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं दिया है।

(ख) जी, नहीं।

सिविल सर्जनों द्वारा निजी प्रैक्टिस

*406. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा संस्था की कुछ राज्य शाखाओं ने इस आशय के अभ्यावेदन दिये हैं यद्यपि उनकी राज्य सरकारों ने सिविल सर्जनों को निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति न देने का निश्चय तो कर लिया है किन्तु इसके साथ साथ केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में लागू वेतन-क्रमों को लागू करने का निश्चय नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इन राज्य सरकारों को यदि सरकार का विचार कोई राय देने का है तो क्या राय दी जायगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) भारत सरकार को कोई ऐसा अभ्यावेदन नहीं मिला है। राज्य सरकारों को ऐसे अभ्यावेदन मिले हैं या नहीं इस बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) और (ग). इस अवस्था में ये प्रश्न नहीं उठते।

मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी

*407. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी ने न्याय निर्णायक द्वारा उन पर विदेशी मुद्रा सम्बन्धी दुरुपयोग के कारण लगाये गये जुर्माने के विरुद्ध अपील दायर की हैं ;

(ख) अपील कब दायर की गई थी ;

(ग) अपील पर निर्णय होने में इतनी देरी क्यों लग रही है जब कि सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा किये गये जुर्माने में पहले ही बहुत कमी कर दी गयी थी ; और

(घ) अपील पर कब निर्णय हो जायगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). जी हां। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमा बोर्ड के समक्ष अपीलें 24-11-1965 को दायर की गई थीं।

(ग) न्याय-निर्णायक अधिकारी द्वारा लगाये गये दण्ड में कमी नहीं की गई है। लगाये गये दण्ड में कमी (यदि कोई होगी तो उस) के बारे में निर्णय अपील के निर्णय में किया जाता है। सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अपील पर उस समय तक सुनवाई नहीं हो सकती है जब तक कि लगाया गया दण्ड जमा न करा दिया जाय अथवा अपीलीय प्राधिकारी, यदि चाहे तो, ऐसे दण्ड की अदायगी को अत्यधिक कठिनाई के आधार पर शर्त लगाकर अथवा बिना शर्त छोड़ देने का निर्णय किया हो। इस मामले में पार्टी के अभ्यावेदन पर अपीलीय प्राधिकारी ने फैसला किया है कि पार्टी दण्ड का 25 प्रतिशत जमा करे तथा बाकी रकम बैंक गारन्टी द्वारा सुरक्षित कराए। पार्टी ने ऐसा 7-5-66 को किया और उसके बाद ही अपील विचार करने योग्य हुई।

(घ) बिल्कुल सही तौर से यह बताना सम्भव नहीं है कि किस तारीख तक अपील के निपटाये जाने की संभावना है। तथापि, इस मामले में तथ्य और कानून सम्बन्धी सवालों की जटिलता और लम्बी-चौड़ी गवाहियों की जांच को नजर में रखते हुए अपील के निपटाने में कुछ समय लगने की संभावना है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड इस मामले के महत्व को भली भांति समझता है तथा अपीलों को शीघ्र निपटाने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

आयातित औषधियों की कमी

*408. **श्री सुबोध हंसदा : श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त : श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अवमूल्यन के बाद आयातित औषधियां बाजार में नहीं मिल रही हैं अथवा उन्हें छिपा लिया गया है ;

(ख) इन दवाइयों को बिक्री के लिये निकलवाने के हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) मुख्य औषधियों की मांग को सरकार किस तरह पूरी करना चाहती है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) जी नहीं। सरकार को कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अधीन औषध एवं दवाइयों के सम्बन्ध में आयात नीति को 1966-67 में उदार कर दिया गया है ताकि आयातित औषधियों की मांग पूरी हो सके।

परिवार नियोजन के लिये राज्यों को सहायता

*409. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने परिवार नियोजन के लिये राज्य सरकारों को योजनावार सहायता न देकर 10 वर्षों के आधार पर देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) जी हां।

(ख) परिवार नियोजन कार्यक्रम को और अधिक तेजी से चलाने के लिए राज्य सरकारें सहायता के इस उदार किये गये स्वरूप का लाभ उठा रही हैं।

गर्भपात कराने के कारण मृत्यु की घटनाएं

*410. **श्री राम हरख यादव :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या डा० लिप्स द्वारा किया गया यह विश्लेषण सही है कि गर्भपात कराने के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभाव से भारत में प्रति वर्ष काफी बड़ी सख्या में स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मृत्यु की घटनाओं का ब्यौरा क्या है तथा कितने बच्चे प्रति वर्ष मातृविहीन हो जाते हैं ;

(ग) क्या डा० लिप्स ने देश में "लूप" कार्यक्रम के बारे में भी कोई मूल्यांकन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी जांच का क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) डा० जैक लिप्स द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि गर्भपात कराने के प्रतिकूल प्रभाव से भारत में प्रति वर्ष लगभग 180,000 स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है। भारत सरकार को मालूम नहीं है कि यह वक्तव्य किस आधार पर दिया गया है।

(ख) स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों को छोड़ शेष मामलों में गर्भपात अवैधानिक होने के कारण देश में इस गर्भपात के विपरीत प्रभावों से कितनी मौतें हो जाती हैं इसके बारे में विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी हां।

(घ) डा० लिप्स ने बतलाया है कि जिन राज्यों का उसने दौरा किया है उनमें से कुछ राज्यों जैसे पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में लूप लगाने का कार्यक्रम बहुत सफल रहा है किन्तु उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कुछ राज्यों में यह इतना सफल नहीं रहा है।

गर्भाशयी गर्भरोधकों (लूप) के चलते-फिरते क्लिनिक

*411. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या देश के प्रत्येक जिले में गर्भाशयी गर्भरोधक (लूप) लगाने वाले चलते फिरते

क्लिनिकों की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) और (ख). प्रत्येक जिले के लिए एक-एक परिवार नियोजन क्लिनिक तथा एक चलता-फिरता शल्य-चिकित्सा एकक जिसमें एक पुरुष डाक्टर और एक महिला डाक्टर होते हैं, पहले से ही मंजूर किए हुए हैं। शल्य चिकित्सा एकक बन्ध्यीकरण आपरेशन करने तथा गर्भाशयी गर्भरोधक (लूप) लगाने, दोनों प्रकार के काम करता है। प्रत्येक जिले के लिए एक अलग चलता फिरता बन्ध्यीकरण एकक तथा प्रति 5 से 7.5 लाख तक की आबादी के पीछे एक चलता फिरता गर्भाशयी गर्भरोधक (लूप) एकक खोलने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये ऋण

*412 **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गृह-निर्माण लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली अग्रिम राशि के बारे में पुनर्विलोकन किया है तथा उसमें संशोधन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का निर्णय क्या है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). हाउस बिल्डिंग एडवान्स रूल्ज में नये मकान बनाने के लिए अथवा बने बनाये मकान खरीदने के लिए, कुछ शर्तों के साथ अधिकतम 25,000 रुपये तक 36 माह के मूल वेतन के बराबर ऋण देने की पहले ही से व्यवस्था है। क्योंकि निधियां सीमित हैं अतएव ऋण की मात्रा में वृद्धि करने से "लाभान्वितों" (बैनेफीसियरीज) की संख्या कम हो जायेगी तथा उसे वापस लौटाने की सामर्थ्य अनेक सरकारी कर्मचारियों की सीमा से बाहर हो जायेगी। अतएव वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निर्धारित ऋण की सीमा को बढ़ाना वांछनीय नहीं समझा गया है।

होटल उद्योग

*413. **श्री हेम राज :**

श्री दलजीत सिंह :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में होटलों का निर्माण करने के सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो कहां कहां पर ; और

(ग) क्या परिवहन और उड्डयन मन्त्रालय, जिसका होटलों के निर्माण के सम्बन्ध में अपना कार्यक्रम है, तथा उनके अपने मन्त्रालय के बीच कोई समन्वय स्थापित किया गया है जिससे भारत में होटल उद्योग समुचित ढंग से चल सके ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :(क) और (ख). चौथी योजना अभी बनाई जा रही है ।

(ग) जी हां । सभी महत्वपूर्ण मामलों में, निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्रालय तथा परिवहन एवं विमानन मंत्रालय में विचार विमर्श होते हैं ।

सहकारी समितियों को भूमि

*414. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण समितियों को अपने सदस्यों में भूमि वितरित करने की अनुमति न देने का निर्णय किया है ताकि भूमि की स्वामी समितियां रहें और उस पर बने मकानों के स्वामी समितियों के सदस्य रहें ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). गृह निर्माण समितियों को विकसित भूमि का आवंटन करने का प्रस्ताव है, ताकि मकान/फ्लैट "वर्ग आवास आधार" (ग्रुप हाउसिंग बेसिस) पर बनाये जा सकें । इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि समिति का स्वामित्व भूमि तथा इसके साथ साथ फ्लैटों/मकानों पर भी बना रहेगा तथा सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था होगी । जिन सदस्यों को मकान/फ्लैट आवंटित किये जायेंगे वे समिति के केवल पट्टेदार रहेंगे । यह प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है ।

सरकारी व्यय में कमी

*415. **श्री प० कुन्हन :**
डा० सारादीश राय :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री इम्बीचिबावा
श्री हेम राज :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने राज्यों को तथा केन्द्रीय मन्त्रालयों को निदेश दिया है कि सरकारी व्यय में 10 प्रतिशत कमी की जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्यों और केन्द्रीय मन्त्रालयों ने इस निदेश को क्रियान्वित किया है ;

(ग) यदि नहीं, तो, इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह निदेश भी दिया है कि बचत के इन उपायों के कारण कर्मचारियों की छटनी न की जाये ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :(क) से (घ). सूचना का विवरण-पत्र सदन की मेज पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 6748/66]

कलकत्ता में व्यापार गृहों पर छापे

*416. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री हेम बरुआ : **श्री नाथ पाई :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपना पद सम्भालने के तुरन्त बाद उन्होंने कलकत्ता में आय कर तथा सीमा शुल्क अधिकारियों की एक सभा में भाषण दिया था और उन्हें नगर में प्राइवेट व्यापार गृहों तथा अन्य कम्पनियों पर छापे मारने का कार्य धीरे धीरे करने की सलाह दी थी ;

(ख) इन अधिकारियों ने कलकत्ता में अगस्त से दिसम्बर, 1965 के बीच और जनवरी से जून, 1966 के बीच की अवधि में क्रमशः कितने छापे मारे ; और

(ग) कुछ प्रमुख कांग्रेसी नेताओं तथा व्यापारियों के घरों पर छापे मारने के लिये उनसे कितनी बार अनुमति ली गई और क्या यह अनुमति दे दी गई थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) वित्त मंत्री ने अपना पद संभालने के तुरन्त बाद कलकत्ता में आय-कर और सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के अवसर पर सामान्य रूप से छापों का जिक्र किया था। यह सही नहीं है कि उन्होंने नगर में गैर-सरकारी व्यापार गृहों या अन्य संस्थाओं पर छापे मारने के सम्बन्ध में या किन्हीं भी छापों के सम्बन्ध में अधिकारियों को काम की रफ्तार धीमी करने की सलाह दी थी। वित्त मंत्री ने उन्हें यह सलाह दी थी कि सभी उपयुक्त मामलों के सम्बन्ध में पूरी कानूनी कड़ाई के साथ जोरदार छान-बीन की जानी चाहिये परन्तु सम्बन्धित विभागों को चाहिये कि तलाशी लेने से पहले, जिस सूचना के आधार पर तलाशी ली जा रही है उसकी विश्वसनीयता पर उचित • ध्यान दें, जिससे निर्दोष व्यक्तियों की परेशानी तथा बाद में उससे सरकार को होने वाली उलझन और सरकारी धन के अनावश्यक व्यय को कम से कम किया जा सके।

(ख) कलकत्ता में सीमाशुल्क और आयकर अधिकारियों ने क्रमशः दोनों अवधियों में कुल 349 और 163 तलाशियां लीं ।

(ग) कानून के अनुसार तलाशी की अनुमति आयकर के मामलों में आयकर आयुक्त द्वारा और सीमाशुल्क के मामलों में सहायक सीमाशुल्क समाहर्त्ता द्वारा दी जाती है । ऐसी अनुमति देने वाले अधिकारी जब भी आवश्यक समझें अपने वरिष्ठ अधिकारियों या सम्बन्धित राजस्व बोर्ड से सलाह ले सकते हैं । मंत्री की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है और अगस्त 1965 से जून 1966 तक की अवधि में आयकर तथा सीमा शुल्क विभागों द्वारा मंत्री के पास प्रमुख कांग्रेस नेताओं और व्यापारियों के सम्बन्ध में अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रस्तावित तलाशी का कोई भी मामला नहीं भेजा गया ।

अधिकारियों के विदेशों के दौरे

*417. **श्री बूटा सिंह :**

श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जुलाई, 1966 तक अधिकारियों द्वारा किये गये विदेशों के दौरों का ब्यौरा क्या है और ये दौरे किन प्रयोजनों के लिये किये गये थे ; और

(ख) सरकार ने इन दौरों पर कितनी धन राशि व्यय की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

मितव्ययता का अभियान

*418. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**

श्री लखमू भवानी :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री बृजबासी लाल :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) केन्द्र (दो) राज्यों और (तीन) सरकारी क्षेत्रों में इस वर्ष और आगामी वर्षों में हमारे मितव्ययता अभियान का स्वरूप और रूपरेखा क्या है ।

(ख) इस बारे में क्या निर्णय किये जा चुके हैं और खर्च में कितनी कमी होने की आशा है ;

(ग) अभी किन किन मामलों पर विचार किया जा रहा है ;

(घ) इसको प्रभावशाली ढंग से कार्यरूप देने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस बारे में प्रगति प्रतिवेदन संसद् सदस्यों को परिचालित करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ). सूचना का विवरण-पत्र सदन की मेज पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 6749/66**]

(ङ) जहां तक केन्द्रीय सरकार के बजट का सम्बन्ध है, खर्च में हो सकने वाली बचत का विवरण-पत्र सचिवों की समिति द्वारा की जा रही समीक्षा समाप्त होने पर, सदन की मेज पर रख दिया जायगा। लेकिन सामयिक प्रगति रिपोर्टें माननीय सदस्यों के बीच प्रचारित करना शायद सम्भव न हो।

केरल में सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं

*419. **श्री अ० क० गोपालन :**

श्री प० कुन्हन :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने राज्य की सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिये 1966-67 में कितने धन की मांग की है ; और

(ख) कितना धन नियत किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1975.50 लाख रुपये।

(ख) 1775.50 लाख रुपये।

केरल में सग्राम्य जल सम्भरण योजना

1971. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार** नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) केरल में कौन कौन सी ग्राम्य जल सम्भरण योजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक योजना के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ;

(ग) किन किन योजनाओं पर कार्य आरम्भ हो चुका है ;

(घ) शेष योजनाओं पर कार्य कब आरम्भ किया जायगा ; और

(ङ) कन्नूर जिले में इस समय किन किन योजनाओं का कार्य चल रहा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा॰ सुशीला नैयर) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल॰ टी॰** 6750/66]

(ग) और (घ). अपेक्षित सूचना भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) कन्नूर जिले में टेकुमपड़ू, मत्तूल और चेरूकुन्नू ग्राम में जलपूर्ति योजनाओं का कार्य चल रहा है ।

बड़े नगरों में जमीन की कीमतें

1972. **श्री मे॰ क॰ कुमारन :** क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के बड़े नगरों में जमीन की बहुत अधिक बढ़ रही कीमतों की समस्या पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). नगरीय-क्षेत्रों की तीव्र वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के परीक्षण के लिये 1963 में एक समिति की नियुक्ति की गयी थी जिसमें पश्चिमी बंगाल, मद्रास, महाराष्ट्र तथा पंजाब के मंत्री तथा केन्द्रीय सरकार के वरिष्ठ अधिकारी थे । नगरीय भूमि का अनुकूलतम उपयोग प्राप्त करने, सरकारी प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत व्यक्तियों को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध करने, भूमि के विकास, आवास तथा निर्माण के क्षेत्र में सहकारी सामुदायिक प्रयत्नों को प्रोत्साहन देने तथा कुछ निजी हाथों में भूमि के स्वामित्व के केन्द्रीकरण को रोकने के लिए समिति ने अनेक सिफारिशें की हैं । समिति की रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकारों को आवश्यक कार्यवाई के लिए पहले ही से भेजी जा चुकी हैं ।

राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पीने के पानी का सम्भरण

1973. **श्री मे॰ क॰ कुमारन :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों के निवासियों को पीने का पानी प्राप्त करने के लिये 10-15 मील जाना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समस्या को हल करने में राज्य सरकार की सहायता करने के लिये कोई कार्यवाही की है ।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) इस तथ्य के बारे में सरकार के पास कोई विशिष्ट सूचना नहीं है ।

(ख) राजस्थान के जल की कठिनाई वाले क्षेत्रों की जल पूर्ति समस्याओं को हल करने में राज्य सरकार की मदद करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :–

(1) तीन पंचवर्षीय योजनाओं में राजस्थान के लिए राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 612.57 लाख रुपये की अनुमानित लागत की 51 नगर योजनाएं और 241.90 लाख रुपये की अनुमानित लागत की 146 ग्राम योजनाएं मंजूर की गई थीं; तथा राजस्थान की राज्य सरकार को 558.83 लाख रुपये ऋण के रूप में और 128.78 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिये जा चुके हैं ।

(2) राजस्थान के जलाभाव वाले तथा जल की कठिनाई वाले क्षेत्रों में जल पूर्ति योजनाओं के सर्वेक्षण तथा निर्धारण के लिए भारत सरकार ने एक विशेष जांच प्रभाग खोलने की मंजूरी दे दी है जिसके अन्तर्गत चार उप-प्रभाग होंगे । इसके लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जायगी ।

(3) स्थानीय विकास कार्यों के कार्यक्रम के अधीन राजस्थान में 47.77 लाख रुपये की अनुमानित लागत की नलों द्वारा पानी पहुंचाने की 31 योजनाओं को कार्यान्वित करने की मंजूरी दे दी गई है और इस कार्य के लिए 20 लाख रुपये पहले ही दिये जा चुके हैं ।

(4) राजस्थान के जलाभाव वाले क्षेत्रों में भूमिगत पानी को क्रमिक ढंग से निकालने की एक प्लान आफ आपरेशन्स संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है ।

(5) राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में ग्राम जल पूर्ति के लिए 54,36,91,000 रुपये की अनुमानित लागत की एक वृहद् योजना तैयार की है । धन के लिए उनकी प्रार्थना पर भारत सरकार ध्यान दे रही है ।

केरल में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने सम्बन्धी कार्य

1974. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में केरल में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने सम्बन्धी कार्य पर कितनी धन राशि खर्च की गई है ;

(ख) किन स्थानों पर अब समुद्री दीवार बनाई जा रही है ;

(ग) 1966-67 में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने सम्बन्धी कार्य के लिये कितनी राशि नियत की गई है ; और

(घ) समुद्री दीवार, ग्रोइन आदि के निर्माण में अब तक कितना लक्ष्य पूरा हुआ है ;

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद): (क) 67 लाख रुपये ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है, [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 6751/66]

(ग) 75 लाख रुपये ।

(घ) तीसरी योजना के अन्त तक लगभग 38 मील समुद्र-दीवार और 553 ठोकरों का निर्माण किया गया है ।

केरल में पर्वतीय क्षेत्रों का विकास

1975. **श्री इम्बीचिबावा :**

श्री अ० क० गोपालन :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने केरल में पर्वतीय क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन्हें क्रियान्वित कब किया जायेगा ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख). राज्यों की चौथी पंचवर्षीय योजनाओं का मसौदा बनाते समय, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिये विशेष कार्यक्रमों का ब्यौरा तैयार किया जायेगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में मानसिक रोगों के अस्पताल

1976. **श्री इम्बीचिबावा :**

श्री अ० क० गोपालन :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल में मानसिक रोगों के अस्पतालों का विस्तार करने के लिये कुल कितना धन खर्च किया जायेगा ;

(ख) किन किन अस्पतालों का विस्तार किया जायेगा ;

(ग) क्या मानसिक रोगों के नये अस्पताल खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे अस्पताल खोलने के लिये कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) चौथी पंचवर्षीय

योजना में केरल में मानसिक रोगों के अस्पतालों के विस्तार करने के लिये अस्थायी रूप से कुल 35 लाख रुपये खर्च करने का विचार किया गया है ।

(ख) जिन अस्पतालों का विस्तार किया जाना है वे त्रिवेन्द्रम, कालीकट और त्रिचूर के मानसिक रोग अस्पताल हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

बर्मा से स्वदेश वापस भेजे जाने वाले भारतीय लोग

1977 **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा से स्वदेश लौटने वाले भारतीय प्रव्रजकों को उस भूमि पर बसाने का कोई प्रस्ताव है जो राजस्थान नहर द्वारा सिंचित है ;

(ख) यदि हां, तो कितने परिवारों को बसाया जायगा ;

(ग) इस कार्य के लिये कितनी भूमि नियत की गई है ; और

(घ) यह भूमि संभवतः किस क्षेत्र में आवंटित की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में सिंचाई सुविधायें

1979 **श्री मे० क० कुमारन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के लिये नियत की गई राशि को राज्य सरकार द्वारा अन्य कार्यों के लिये जाने के कारण सिंचाई सुविधाओं के प्रसार में विलम्ब हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार नियत राशि को अन्य कार्यों के लिये प्रयोग करने से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नियत राशि का निर्धारित कार्यों के लिये ही प्रयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) हां कुछ हद तक ऐसा ही हुआ है ।

(ख) 11.42 करोड़ रुपये के तृतीय योजना के मूल प्रबन्ध के प्रति वास्तविक व्यय लगभग 10.38 करोड़ रुपये हुआ है ।

(ग) धनराशि के परियोजना क्रम से आवंटन हर साल वर्किंग ग्रुप की बैठक में हुए विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात किये जाते हैं जिसमें राज्य सरकार, सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों और योजना आयोग के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। बिजली क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ धन को सिंचाई क्षेत्र में लगा देने का कारण केरल में कुछ बिजली स्कीमों पर कार्य में तेजी लाना है और इसलिये उन परियोजनाओं के लिये अतिरिक्त धन की आवश्यकता है। सिंचाई क्षेत्र के लिये धन का आवंटन कार्यों की प्रगति के अनुसार किया जाता है और हर वार्षिक योजना विचार विमर्श के दौरान राज्य सरकार द्वारा धन की आवश्यकता सूचित करने से किया जाता है।

केरल में केसरगोड के लिये जल सम्भरण योजना

1980 **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को तकनीकी मंजूरी के लिये केरल राज्य में केसरगोड के लिये जल सम्भरण योजना मिल चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मंजूरी दे दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) योजना आयोग ने 5.32 लाख रुपये की अनुमानित लागत की केसरगोड जलपूर्ति योजना 28-6-1966 को इस मंत्रालय को भेजी थी। राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि इस योजना को राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के देहात वाले अंश के अन्तर्गत मंजूर किया जाय। योजना आयोग को सूचित कर दिया गया है कि 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार यह कस्बा नगर घोषित किया गया है। अतः इस योजना को इस कार्यक्रम के देहात वाले अंश के अन्तर्गत नहीं लिया जा सकता। किन्तु यदि राज्य सरकार इसे राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के नगर वाले अंश के अन्तर्गत लेना चाहती हो तो इसे मंजूर कर सकते हैं और उन्हें दी गई शक्तियों के अन्तर्गत उसे कार्यान्वित कर सकते हैं।

परिवार नियोजन के लिये सहायता

1981. **श्री लखमू भवानी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि सरकार ने वर्ष 1966-67 में परिवार नियोजन के प्रचार के लिये राज्यों को राज्यवार कुल कितनी राशि दी थी और उन्होंने कितनी राशि का उपयोग किया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर): परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति में लिये 1966-67 में की गई कुल 13 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था में से राज्य

सरकारों को 9 करोड़ 7 लाख रुपये की पूंजी सहायतानुदानों के रूप में मंजूर की जा चुकी है जिसका व्यौरा इस प्रकार है :

क्रम संख्या	राज्यों के नाम	राशि (लाखों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	48.44
2.	असम	22.56
3.	बिहार	35.17
4.	गुजरात	42.40
5.	जम्मू तथा कश्मीर	12.78
6.	केरल	117.60
7.	मध्य प्रदेश	58.45
8.	मद्रास	55.70
9.	महाराष्ट्र	123.72
10.	मैसूर	71.29
11.	उड़ीसा	30.20
12.	पंजाब	69.11
13.	राजस्थान	75.29
14.	उत्तर प्रदेश	97.79
15.	पश्चिम बंगाल	46.50
		907.00

राज्य सरकारें इसका उपयोग इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं पर कर रही हैं।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को समयोपरि (ओवर टाइम) भत्ते

1982. **श्री सेझियान :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1965-66 में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को समयोपरि भत्तों की कुल कितनी धनराशि दी गयी ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : सारे भारत में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों के बारे में अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और यह खयाल है कि इस सूचना को इकट्ठा करने में लगने वाला समय तथा परिश्रम उससे हासिल होने वाले नतीजे के अनुरूप नहीं होगा। सचिवालय के कार्यालय कर्मचारियों को मई 1966 को समाप्त होने वाले वर्ष में दिये गये अतिरिक्त समय के भत्ते की रकम नीचे दी गई है :

जून 1965 से मई 1966 तक 34,37,785 रुपये

दिल्ली में सरकारी कारें

1983. **श्री सेझियान :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में सरकार के पास विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रयोग के लिये कितनी कारें हैं ; और

(ख) उनके रख-रखाव पर कितना वार्षिक खर्च बैठता है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख). विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से अब तक की सूचना इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

विवाह की आयु बढ़ाना

1984. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में आर्थिक विकास संस्था द्वारा किये गये सर्वेक्षण से पता चलता है कि यदि लड़कियों को 19 वर्ष की आयु से पहले विवाह न करने दिया जाय तो लगभग 20 वर्षों में जन्म दर आधी हो सकती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का लड़कियों की विवाह की आयु 16 वर्ष से बढ़ाकर 19 वर्ष करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) आर्थिक विकास संस्थान्, दिल्ली ने कोई ऐसा सर्वेक्षण नहीं किया है किन्तु विवाह के समय की आयु तक महिलाओं की उर्वरता शक्ति सम्बन्धी उपलब्ध सूचना के आधार पर उस संस्थान् द्वारा लगाये गये हिसाब के अनुसार यदि लड़कियों के विवाह की औसत आयु 15.6 से बढ़ाकर 19.2 कर दी जाये तो इससे स्थायी आबादी में जन्मदर में अनुमानत: 27 प्रतिशत की कमी हो जायेगी।

(ख) और (ग). केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् ने 27 और 28 जून 1966 को बंगलौर में हुई अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया है कि समाज कल्याण एजन्सियां तथा अन्य स्वयंसेवी संगठन विवाह की आयु बढ़ाने के पक्ष में जनमत तैयार करने की दिशा में अपने प्रयास आगे जारी रखें तथा विवाह की आयु बढ़ाने के लिये वर्तमान कानूनों की पुनरीक्षा की जाये।

केरल में जल प्रदाय योजनाएं

1985. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० व० राघवन :
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) केरल में कण्णानूर, तेल्लिच्चेरि और माही जल प्रदाय योजनाओं को क्रियान्वित करने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस वर्ष कौन सा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) चूंकि केरल सरकार ने कण्णानूर, तेल्लिच्चेरि और माही की जल पूर्ति योजना के अपर्याप्त विवरण भेजे थे अत: स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय के केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन ने राज्य के मुख्य इंजीनियर को लिखा है कि वह जांच तथा मंजूरी के लिए इस योजना के पूर्ण विवरण भेंजे। इस विवरण की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

पजहास्सी सिंचाई योजना

1986. **श्री पोट्टेकाट्ट:**
श्री अ० व० राघवन:
श्री मुहम्मद कोया:

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने पजहास्सी सिंचाई योजना के लिये मंजूर किये गये धन को काल्लड़ा सिंचाई योजना के लिये देने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि केरल के कण्णानूर जिले में 'पजहास्सी' अकेली ऐसी सिंचाई परियोजना है जिसे अब तक मंजूरी दी गई है ; और

(ग) 'पजहास्सी' परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) इस परियोजना को चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक पूरा करने की योजना बनाई गई है।

सोने का तस्कर व्यापार

1987. **श्री वै० तेवर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964-65 और 1965-66 में पूर्वी घाट में मद्रास से कन्या कुमारी तक जब्त की गई तस्कर व्यापार की वस्तुओं का मूल्य कितना है ;

(ख) उक्त अवधि में उन कर्मचारियों पर कितना खर्च आया जिन्होंने इन वस्तुओं को जब्त किया ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस कार्य के लिये इस क्षेत्र में सक्रिय गश्ती के लिये हेली-कोप्टर विमानों को काम में लाने का है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 1964-65 और 1965-66 में मद्रास और कन्याकुमारी के बीच पूर्वीय समुद्रतट पर पकड़े गये माल का मूल्य क्रमश: 31,70,167 रुपये तथा 38,72,802 रुपये है।

(ख) 1964-65 और 1965-66 में कर्मचारियों पर खर्च की गई रकम क्रमश: 7,91,120 रुपये तथा 8,29,872 रुपये है।

(ग) तटीय क्षेत्रों में गश्त की व्यवस्था को मजबूत बनाने के विभिन्न तरीकों पर सरकार विचार करती ही रहती है।

Pakistani National Registered as Mutawalli by Wakf Board

1988. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether this attention has been drawn to a comment published in "Vir Arjun" of the 17th May, 1966 that one Nasir Hussain, a Pakistani National was registered as a Mutawalli by the Wakf Board in 1962 without his acquiring Indian citizenship ;

(b) if so, whether the whole matter has been investigated; and

(c) the facts that came to light as a result thereof?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) to (c). In pursuance of the terms of the Wakf Nama pertaining to Dargah Sabria, Delhi, Syed Nazir Hussain assumed Sajjadanashini and Mutawalliship of the said Dargah in 1962. On his application to Delhi Wakf Board under Section 25 of the Central Wakf Act, 1954, the Board registered the Waqf accordingly. The question of the nationality of Syed Nazir Hussain is **sub-judice.**

उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

1989. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना अवधि में उत्तर प्रदेश में बड़े, मध्यम तथा छोटे आकार के कुछ और उद्योग स्थापित किये जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के क्या नाम हैं ; और

(ग) उन उद्योगों की स्थापना के लिये अन्तिम रूप से कितनी सहायता देने का वचन दिया गया है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) चार केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं, यानी गोरखपुर उर्वरक, गोरखपुर, प्रति-जैविकी (ऐंटी वायरिक्त) संयंत्र, ऋषिकेश, भारी बिजली के सामान की परियोजना, हरिद्वार और डीजिल लोको मोटिव वाराणसी पर काम हो रहा है और इनका काम चौथी योजना के

दौरान पूरा हो जायेगा। चौथी योजना में केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत जो नई बड़ी तथा मध्यम औद्योगिक परियोजनाएं शामिल की गई हैं तथा जिनका स्थान-निर्धारण कर दिया गया है वे उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाएं निम्न प्रकार हैं :–

नैनी (इलाहाबाद) में एक भारी पम्पस और कम्प्रेसर्स परियोजना तथा भारी संरचनात्मक परियोजना तथा हरिद्वार में भारी बिजली के सामान के लिए एक केन्द्रीय फाउण्डरी-फोर्ज। इसके अलावा नैनी (इलाहाबाद) में एक इस्पात फाउण्डरी स्थापित करने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है।

राज्य क्षेत्र में, दाला सेमेंट का कारखाना और लखनऊ के सूक्ष्म औजारों के कारखाने में प्रकाशीय उपकरण के निर्माण सम्बन्धी दो मुख्य योजनाओं पर काम हो रहा है और चौथी योजना के दौरान वे पूरी हो जायेंगी। जहां तक राज्य सरकार द्वारा चौथी योजना अवधि के दौरान नई परियोजनाएं स्थापित करने का प्रश्न है, राज्य योजना को अन्तिम-रूप देते समय उनके बारे में निश्चय किया जायेगा।

जहां तक लघु उद्योग क्षेत्र का सम्बन्ध है, अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि चौथी योजना के दौरान किस प्रकार के उद्योग स्थापित किये जायेंगे, क्योंकि इनमें से अधिकांश नीजी क्षेत्र में होंगे।

(ग) चौथी योजना में उद्योगों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता का निर्णय, राज्य योजना को अन्तिम रूप देते समय किया जायेगा।

बेरोजगारी की समस्या

1990. **श्री लिंग रेड्डी :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री दशरथ देव :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री वीरेन दत्त :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी की समस्या कहां तक हल की है और बेरोजगारी तथा कम रोजगार की कितनी समस्या चौथी पंचवर्षीय योजना में हल करने के लिये शेष रह गई है ; और

(ख) चौथी योजना में कितने शिक्षितों तथा अशिक्षितों, कुशल तथा अकुशल व्यक्तियों को रोजगार दिलाया जा सकेगा।

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) अनुमान है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 40 लाख कृषि क्षेत्र में तथा एक करोड़ पांच

लाख कृषि से बाहर अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध किये गये। बेरोजगारी तथा अर्ध-रोजगारी के अनुमान कई प्रतिबन्धक नियमों पर निर्भर करते हैं। फिर भी हिसाब लगाया गया है कि चौथी योजना के आरम्भ में बेरोजगारों की संख्या 90 लाख से एक करोड़ के मध्य थी। जिनमें से तीन चौथाई गावों में थे। मोटे तौर पर लगभग एक करोड़ साठ लाख बेरोजगार व्यक्ति ऐसे हैं जो अतिरिक्त काम करने के इच्छुक हैं तथा काम के लिए उपलब्ध हैं।

(ख) चौथी योजना में रोजगार के प्रश्नों के बारे में रूपरेखा की तैयारी के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

Smuggling on Indo-Nepal Border

1991. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to a news published in the Navbharat Times dated the 19th/20th May, 1966 that Russian, Chinese and Pakistani goods are being smuggled in large quantities through Rupidih check-post on the Indo-Nepal border ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps being taken in the matter ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) Yes sir.

(b) Nepal imports manufactured goods from various countries, and in the absence of a regular customs cordon on the Indo-Nepal border some of these goods find their way into India. However, as far as the Government are aware, such smuggling has been on a very small scale.

(c) All officers posted on the border areas have been alerted. The attention of His Majesty's Government of Nepal has also been drawn to this matter.

राजस्थान नहर की लम्बाई का बढ़ाया जाना

1992. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **सिंचाई और बिजली** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाड़मेर जिला परिषद् ने यह मांग की है कि राजस्थान नहर की 100 मील की लम्बाई और बढ़ा दी जाये, और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तकनीकी परामर्श सेवा सम्बन्धी समिति

1993. **श्री रा० बरुआ :**

श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी परामर्श सेवा सम्बन्धी समिति का गठन किया जा चुका है और क्या इसने कार्य आरम्भ कर दिया है ;

(ख) इस समिति के कार्य की क्या प्रगति है ; और

(ग) इस समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति फरवरी, 1966 में स्थापित की गई थी और तब से इसकी चार बैठकें हो चुकी हैं ।

(ग) आशा है कि यह समिति सितम्बर-अक्तूबर, 1966 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ।

Controlling of Rat Menace

1994. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Director of Central Food Technological Research Institute has advised that a separate Ministry should be formed for controlling rat menace;

(b) whether it is also a fact that he has stated that foodgrains worth Rs. 4600 crores are destroyed by rats every year, whereas Government's annual budget amounts to Rs. 2800 crores; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) The question of controlling the rat menace is under consideration of the National Rodent Control Committee of which the Director, Central Food Technological Research Institute is a member. The Committee has not yet submitted its report to the Government. The Director has sent a note to the Rodent Control Committee suggesting that one of the essential requirements for a satisfactory Rodent Control Campaign would be to start a Department constituting technical personnel of high calibre to plan, programme and execute the rodent control campaign.

(b) No such statement has been sent to the Committee by the Director.

(b) In view of replies to part (a) and (b) of the Question, this does not arise.

Food Poisoning Case in Mukhmelpur Village

1995. **Shri Rameshwaranand :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 54 members of a marriage party became unconscious after eating sweets in Mukhmelpur Village, Delhi in the second week of May, 1966;

(b) whether it is also a fact that members of the marriage party became unconscious, because the peras contained something poisonous;

(c) where from the sweets were brought; and

(d) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) The members of a marriage party got symptoms of vomitting or diarrhoea or both after eating sweets. About 32 cases requiring treatment were admitted in the hospital. The other cases got treatment in the outpatient department of the Primary Health Centres, Alipur.

(b) The members of the marriage party got symptoms of food poisoning after consumption of sweets like balushai, pera, ladoo, amarti with tea on the 8th May, 1966 at 9.30 A.M. The Epidemilogical investigations showed that most probably the pera prepared from Khoya contained the Toxin which caused food poisoning.

(c) The sweets were prepared at the residence of the bride's father at Mukhmelpur village. Peras were prepared out of Khoya which had been purchased from the market and had become unwholesome due to storage for two days.

(d) The sweets which caused food poisoning were taken into possession for destruction.

Study of Transport Problems

1996. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Conference has been convened recently to study the problems relating to transport ;

(b) if so, the main points considered at the Conference ; and

(c) the recommendations made by the Conference in regard to connect rural areas with National Highways ?

The Minister of Planning and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : (a) Yes. The Second Conference on Transport Studies was convened by the Joint Technical Group for Transport Planning, Planning Commission, at New Delhi on the 20th and 21st May 1966.

(b) The Conference reviewed the progress of commodity transport studies and regional transport surveys undertaken and initiated by the Joint Technical Group and the problems connected therewith.

(c) Among other recommendations, the Conference expressed the view that the provision of approach roads to important arterial highways in selected areas deserved careful consideration and that it was essential to improve roads linking centres of agricultural production with markets.

भोजन पकाने के काम आने वाली गैस

1997. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या शहरी उपभोक्ताओं को निकट भविष्य में सस्ती दरों पर भोजन पकाने के काम आने वाली गैस सप्लाई करने के हेतु सीवेज प्लांट से भोजन पकाने के काम आने वाली गैस तैयार की जायेगी, जैसा कि सभी यूरोपीय देशों में किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : यूरोपीय देशों में घरेलू कार्यों के लिये सीवेज गैस का उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि वहां प्राकृतिक गैस तथा कोयला-गैस इससे सस्ती पड़ती है। तथापि कुछ स्थानों में मलोपचार सयंत्र को चलाने के लिये स्लज गैस का उपयोग किया जा रहा है।

बम्बई शहर में स्लज गैस घरेलू कार्यों के लिये कुछ हद तक उपयोग की जा रही है। केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर में इस सम्बन्ध में जो काम हुआ है उससे पता चला है कि मलोपचार परम्परागत पद्धति की अपेक्षा जिसमें स्लज डाइजेशन तथा गैस उत्पादन भी सम्मिलित हैं, आक्सिडेशन पौण्ड्स प्रणाली सस्ती पड़ेगी। बाद की प्रणाली से गैस पैदा नहीं होती है।

Seizure of Opium at Rampur

1998. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Raghunath Singh : Shri Rameshwaranand : Shri Bade :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 11 kilos of opium was seized from a person at Rampur (U. P.) during the last week of April, 1966 ;

(b) if so, where from this opium was brought ; and

(c) the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) No Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Cooperative Societies

1999. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Rameshwaranand : Sari Raghunath Singh :**

Will the Minisiter of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4000 on the 20th April, 1966 and state :

(a) the full details of the matters settled in respect of the first three categories of Cooperative Societies : and

(b) the societies which have been allotted land and which have not been allotted land so far ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House **[Placed in Library, see. No. L. T.-6752/66]**

त्रिवेन्द्रम में गर्भनिरोधक सामग्री बनाने वाला कारखाना

2000. **श्री वारियर :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में गर्भनिरोधक सामग्री बनाने वाला एक कारखाना स्थापित करने के लिये विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग के बारे में बातचीत पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो सहयोग की शर्तें क्या हैं ;

(ग) कारखाने में उत्पादन कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ;

(घ) कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी होगी ; और

(ङ) इस कारखाने पर कुल कितना खर्च होगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर): (क) जी नहीं।

(ख) सहयोग की शर्तों के निपटारे के लिये अभी बातचीत चल रही है।

(ग) विदेशी सहयोगियों से होने वाले करार पर हस्ताक्षर होने के 18 महीने बाद सम्भवतया यह फैक्टरी उत्पादन शुरू कर देगी।

(घ) प्रारम्भ में इसकी उत्पादन क्षमता सम्भवतया प्रति वर्ष 14 करोड़ 40 लाख गर्भरोधकों की होगी।

(ङ) सहयोग के सम्बन्ध में विदेशी कम्पनियों से अभी बातचीत चल ही रही है। अतः इस फैक्टरी पर कुल कितनी लागत बैठेगी यह बतलाना इस समय सम्भव नहीं है।

जवई बांध (राजस्थान)

2001. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवई बांध (राजस्थान) की क्षमता तथा अपवाह (कैचमैंट) क्षेत्र को बढ़ाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी तथा इसे पूरा करने के लिये कौनसी तिथि निर्धारित की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) राजस्थान सरकार ने उदयपुर जिले की सई नदी के पानी को जवई जलाशय में डालने के लिये एक परियोजना रिपोर्ट और 114 लाख रुपये का प्राक्कलन तैयार किया है। राज्य सरकार परियोजना को चौथी योजना में शामिल करने का विचार रखती है। भारत सरकार ने अभी परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों की रक्षित निधियां और लाभ

2002. **श्री विभूति मिश्र :**

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960 से 1965 तक की अवधि में बैंकों की रक्षित निधियां और लाभ की कुल राशि कितनी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि 1965 में बैंकों की रक्षित निधियां और लाभ की दर अधिक थीं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(घ) इससे मूल्यों में वृद्धि कहां तक हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965
सभी वाणिज्यिक बैंकों की प्रकाशित निधियां (करोड़ रुपयों में) ...	33.4	36.5	40.7	44.3	47.1	49.6
उन सभी अनुसूचित बैंकों और गैर-अनुसूचित बैंकों का, कर देने से पहले लाभ (करोड़ रुपयों में), जिनकी चुकता पूंजी और प्रारक्षित निधि 5 लाख रुपये या इससे अधिक है ...	21.4	28.5	28.4	31.0	35.0	32.0**

(**उन सात बैंकों को छोड़कर, जिनकी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई)

(ख) जी नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

कानपुर में क्षयरोग

2003. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर में क्षय रोगियों की संख्या सर्वाधिक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर में तपेदिक का एक अस्पताल खोलने के लिये कुछ वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) :(क) कानपुर में क्षय रोग का सही सही कितना प्रकोप है यह जानने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

2004. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार अपनी राज्य की बड़ी जनसंख्या और अपने सीमित साधनों तथा राज्य के सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक पिछड़ेपन की दृष्टि से अधिक केन्द्रीय सहायता मांगती रही है ; और

(ख) उसकी मांगें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख). जी, हां। राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि को अन्तिम रूप देते समय इन तथा अन्य सम्बद्ध घटकों को केन्द्रीय सहायता का निश्चय करने में ध्यान में रखा जायगा ।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रधान

2005. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वित्त** मंत्री 21 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4172 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब किला चन्द देवी चन्द ग्रुप के बारे में कर-निर्धारण में 56.50 लाख रुपये की राशि की छूट "सट्टे में हानि" के रूप में दी गई थी, उस समय केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान प्रधान, उस आयकर अधिकारी के, जिसने 'सट्टे में हानि' की छूट दी थी, आसन्न उच्च (सुपीरियर) अधिकारी अथवा उच्च अधिकारी थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आसन्न उच्च अधिकारी अथवा उच्च अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण थे ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) प्रश्न में बताया गया कर-निर्धारण-आदेश 24-3-1954 को बम्बई के एक आयकर अधिकारी द्वारा दिया गया था । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष, जो उस समय निरीक्षी सहायक आयुक्त थे, इस आयकर अधिकारी के 2-3-1954 तक, आसन्न उच्च अधिकारी रहे, और उक्त तारीख को वे स्थानान्तरण पर कलकत्ता चले गये थे । कर निर्धारण का आदेश देने की तारीख 24-3-1954 को श्री एम० एन० वाघ निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त थे, जिनका उक्त आयकर अधिकारी पर क्षेत्राधिकार था । श्री वाघ अब सरकारी सेवा से रिटायर हो चुके हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस मामले में आयकर अधिकारी के फैसले के लिए दोनों उच्च अधिकारियों में से कोई भी जिम्मेदार नहीं पाया गया ।

ऋणों का पुनर्क्रमबंधन (रिफेजिंग)

2006. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह अपेक्षा पूरी हो गई है कि विश्व बैंक सार्थ संघ के कुछ सदस्य देशों को ऋणों और उनकी अदायगी का पुनर्क्रमबंधन करने के लिये सहमत करा सकेगा ;

(ख) यदि हां, तो यह आशा किस प्रकार तथा कितनी पूरी हुई है ; और

(ग) ऋण के पुनर्क्रमबंधन के परिणामस्वरूप भारत को इस वर्ष विदेशी ऋणों की कितनी राशि लौटानी पड़ेगी ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी). (क) और (ख). भारत सहायता संघ (इंडिया कंसार्शियम) के सदस्यों से सहायता सम्बन्धी बातचीत पहले सहायता-संघ और विश्व बैंक की मार्फत की जाती है । चालू वर्ष में, इस प्रकार की बातचीत के दौरान, विश्व बैंक ने सहायता संघ के विभिन्न देशों को गैर-प्रायोजना सहायता की जरूरत बतायी है ; इस सम्बन्ध में यह भी बताया गया है कि ऋण कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण, जिसमें मूलधन और व्याज दोनों की अदायगी शामिल है, जल्दी से प्राप्त की जा सकने वाली गैर-प्रायोजना सहायता का ही एक रूप है । अभी तक केवल कनाडा ने 1 करोड़ कनाडियन डालर या 6.93 करोड़ रुपयों की वापसी का स्थगित किया जाना स्वीकार किया है । अन्य सदस्य देशों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) चालू वर्ष में अनुमानत: 177.12 करोड़ रुपये की रकम, विदेशी ऋणों के सम्बन्ध में मूलधन की वापसी और व्याज की अदायगी के लिए दी जानी है । अभी इस बात का पता नहीं है कि इसमें से कितनी रकम के चुकाये जाने का कार्यक्रम पुनर्निर्धारित किया जायगा ।

सार्वजनिक स्थानों पर अनधिवास

2007. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक स्थानों तथा परिसर में अनधिवास को हस्तक्षेप्य अपराध बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). पब्लिक प्रेमिसेस (एविक्शन आफ अन-आथराईज्ड आक्यूपैन्टस) एक्ट, 1958 में संशोधन के द्वारा अनधिवास तथा पुनर्निधिवास को हस्तक्षेप्य अपराध घोषित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

दिल्ली में अनधिवासियों के पुनर्वास के लिये प्लाट

2008. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री गुलशन :
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने दिल्ली प्रशासन से कहा है कि अनधिवासियों के पुनर्वास के लिये दिल्ली में 80 वर्ग गज के प्लाटों का विकास न किया जाये और केवल 25 वर्ग गज के प्लाटों का ही विकास किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). 31 जुलाई, 1960 से पूर्व सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि पर अनधिवासी परिवारों की संख्या अनुमानतः लगभग 50,000 थी। इस संख्या में अनुमानतः 20,000 परिवार और बढ़ गये हैं, तथा नया अनधिवास अभी तक चल रहा है। झुग्गी झोंपड़ी हटाने की योजना के अंतर्गत अभी तक लगभग 20,000 परिवारों को वैकल्पिक वास दिया गया है। इस प्रकार लगभग 50,000 परिवार अभी भी सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि से हटाये जाने के लिए शेष हैं। अनधिवासियों की समस्या को शीघ्रता से सुलझाने के लिए फिलहाल 25 वर्ग गज के प्लाटों को विकसित करने पर बल दिया जा रहा है ताकि पात्र अनधिवासियों को अधिक संख्या में वैकल्पिक वास दिया जा सके। यह दिल्ली नगर निगम पर छोड़ दिया गया है कि वे इसका निर्णय करें कि 80 वर्ग गज के और प्लाटों का विकास किया जाये अथवा नहीं।

Agricultural Credit Corporation

2009. **Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 67 on the 17th February, 1966 and state :

(a) whether the recommendations made by the informal group in regard to the scheme of setting up Agricultural Credit Corporations in States have since been examined by Government ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) and (b). The matter is still under consideration.

Old Age Pension Scheme

2010. **Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shri Bibhuti Misra :
Shri Ram Chandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :
Shri Sivamurthi Swamy :
Shri Jedhe :

Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 972 on the 25th February, 1966 and state :

(a) When old age pension scheme will be introduced throughout the country ; and

(b) the salient points of this scheme and the extent of contribution to be made by the State Governments towards the expenditure to be incurred thereon ?

Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Shrimati Chandrasekhar): (a) and (b). The Scheme is still under consideration.

बम्बई में सोना पकड़ा जाना

2011. **श्री विश्व नाथ पाण्डेय :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के केन्द्रीय आबकारी अधिकारियों ने 6 मई, 1966 को बम्बई की उपनगरीय बस्ती में एक मकान में से 8.5 लाख रुपये के मूल्य का लगभग 5,000 तोला अवैध सोना पकड़ा था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 6 मई, 1966 को बम्बई केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता-कार्यालय के अधिकारियों ने बम्बई के उपनगर बान्दरा में एक मकान से उस समय की अंतर्राष्ट्रीय दर पर 3,12,500 रुपये मूल्य का विदेशी मार्का का 5000 तोला सोना पकड़ा ।

(ख) एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था और बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया । मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये मकान

2012. **श्री यशपाल सिंह : श्री स० चं० सामन्त :**
श्री भागवत झा आजाद : श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी : श्री रामसेवक यादव :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के कर्मचारी सरकारी मकान प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हें रहने के लिये मकान देने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). इस मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित सामान्य पूल के सरकारी रिहायशी वास मुख्यत: उन व्यक्तियों के लिए हैं जो कि केन्द्रीय सरकार की सेवा में हैं तथा यह सार्वजनिक उपक्रमों पर निर्भर करता है कि वे अपने कर्मचारियों के लिए रिहायशी वास देने के उपायों पर विचार करें।

Family Planning in Rural Delhi

2013. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the details of measures so far taken in respect of popularising family planning in villages in Delhi ; and

(b) the number of villages so far covered ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) The following measures have been undertaken to popularise the family planning programme in villages of Delhi :—

(i) Indentification and training of community leaders and their use as communication channels.

(ii) Organisation of individual, group and mass communication and motivation through puppet shows, Cinema shows mobile vans, dramas and door to door canvassing by the staff of MCH and family planning centres. Also holding of exhibitions, seminars, group meetings, and orientation camps followed by sterilisation and IUCD camps.

(iii) Advertisements in local dailies and distribution of literature on family planning.

(iv) Display of hoardings on family planning and panels on D. T. U. Buses.

(v) Involvement of village dais.

(vi) Appointment of local depot holders for supply of conventional contraceptives.

(vii) Meetings with Panchayat leaders in collaboration with Block Development Officers.

(b) 117 villages.

Delay in Completion of Irrigation Schemes for want of Funds

2014. **Shri Sidheshwar Prasad:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of irrigation schemes could not be completed with in the prescribed time for want of funds;

(b) if so, the State-wise details of such schemes as at the end of July, 1966; and

(c) the reaction of Government in the matter?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ali Ahmad): (a) to (c). Funds are allocated to irrigation projects on the basis of an annual review and discussions between the Centre and the State Governments, keeping in view the States' resources and the likely central assistance. Due to the tight position of funds, it has not been possible to allocate adequate funds for speedy execution of irrigation schemes and this has led to delays in completion of almost all schemes, as compared to the time schedule envisaged at the time of their formulation and sanction.

Periodical reviews are, however, being carried out by Government to see how far and to what extent they could allocate additional funds to irrigation schemes with a view to expedite their completion.

Trivandrum Ayurvedic Centre

2015. **Shri Kindar Lal:**
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3651 on the 14th April, 1966, regarding Trivandrum Ayurvedic Centre and state:

(a) whether the proposal to upgrade the centre has since been considered in consul tation with the State Government; and

(b) if so, the decision taken in the matter?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) and (b). The matter is still under consideration.

दौलेश्वरम् ऐनीकट सम्बन्धी मित्रा समिति का प्रतिवेदन

2016. **श्री किन्दर लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री दौलेश्वरम् ऐनीकट सम्बन्धी मित्रा समिति के प्रतिवेदन के बारे में 3 मार्च 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1504 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोदावरी नदी पर दौलेश्वरम् ऐनीकट सम्बन्धी मित्रा समिति के प्रतिवेदन पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पर कब तक अन्तिम रूप से विचार कर लिया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें आन्ध्र प्रदेश सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही करने के लिये भेज दिया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में पटरियों पर सोने वालों के लिये सस्ते प्लाट

2017. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पटरियों पर सोने वाले लोगों को सस्ते प्लाट देने के बारे में कोई नई योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों के विरुद्ध शिकायतें

2018. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की विभिन्न सरकारी बस्तियों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों के विरुद्ध हाल में इस आशय की शिकायतें की गयी हैं कि मकानों में छोटी मरम्मत तथा अन्य कार्यों के बारे में शिकायतों पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात के लिए कोई कार्यवाही की है कि इन पूछताछ कार्यालयों में ठीक कार्य हो तथा वहां के निवासियों की शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाही की जाये ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द्र खन्ना): (क) कभी-कभी देरी की शिकायतें मिली हैं ।

(ख) सरकारी क्वार्टरों के आवंटियों की मांगें यथाशीघ्र पूरी की जाती हैं। कभी आवश्यक सामग्री के अभाव के कारण देरी हो जाती है। मांगों का तुरन्त पालन किया जाये इसे सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे पूछ-ताछ कार्यालय (इन्क्वारी आफिस) में बहुधा जाया करें।

Government Hospitals in Delhi

2019. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** **Shri Sonavane:** **Shri Bhagwat Jha Azad:** **Shri Raghunath Singh:**

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4189 on the 21st April, 1966 and state:

(a) whether Government have since considered the question of increasing the number of beds in Government hospitals in Delhi;

(b) if so, the details thereof; and

(c) when this work will be completed?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) The present bed strength in the various hospitals in Delhi is distributed as follows:—

Safdarjang Hospital	1,142
Willingdon Hospital	600
Irwin Hospital	1,068
G. B. Pant Hospital	258
Lady Hardinge Medical College	567
Kalavati Saran Children's Hospital	158
All India Institute of Medical Sciences.	555
Corporation Hospitals	2,146

The question of increasing the bed strength in Government hospitals in Delhi is constantly under consideration of the Government subject to the availability of funds.

(b) and (c). During the Fourth Five Year Plan it is proposed to add more beds as per details given below, subject again to availability of funds:

Safdarjang Hospital	..	395	
Willingdon Hospital	..	360	
Irwin Hospital	..	48	(for the burns ward).
G. B. Pant Hospital	..	150	
Lady Hardinge Medical College	..	200	
Kalavati Saran Children's Hospital	..	42	paediatric beds.
Corporation Hospitals	..	44	isolation T. B. beds.

अधिग्रहीत मकानों का किराया

2020. **श्री काशी राम गुप्त:** क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक दर में भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा अर्जित मकानों

के मासिक तथा वार्षिक मूल्य और मकान मालिकों को सरकार द्वारा दी जाने वाली किराये की राशि का हिसाब लगाने के प्रयोजन के लिए मकानों में विनियोजित पूंजी पर ली जा सकने वाली ब्याज की दर में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ताकि मकानों में अधिक पूंजी लगाई जा सके ।

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) जी नहीं । अर्जित मकान के सम्बन्ध में देय मुआवजे की राशि का निर्धारण संबंधित पक्ष के करार के द्वारा किया जाता है, इस प्रकार के करार के सफल न होने पर रिक्वीजीशनिंग तथा एक्यूजीशन आफ इम्मूवेबल प्रापर्टी एक्ट 1952 की धारा 8 की व्यवस्था के अनुसार मध्यस्थ के फैसले के आधार पर किया जाता है । लगे हुए धन पर क्या ब्याज दिया जाये इस तथ्य पर विशेष रूप से मुआवजा निर्धारित करते समय ध्यान नहीं दिया जाता ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

Fake Currency Notes

2021. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of currency notes of the denominations from Re. 1 to Rs. 100 in circulation as on 31st March, 1966;

(b) whether Government are aware that despite strict vigilance, fake notes were manufactured in the country;

(c) the number of persons indulging in the preparation of fake notes arrested during the year 1965-66 and in 1966 so far; and

(d) the action taken against them ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) The total number of notes of the denominations of Re. 1 to Rs. 100 issued by the Reserve Bank and in circulation as on 31st March, 1966, is 367,49,39,349 pieces.

(b) Some cases of counterfeiting of notes have come to the notice of Government from time to time.

(c) and (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

कृषि से भिन्न सहकारी ऋण संस्थाओं को छूट

2022. **डा० रानेन सेन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत के रिजर्व बैंक और केन्द्रीय वित्त मंत्रालय से कहा है कि कृषि से भिन्न सहकारी ऋण संस्थाओं को बैंकिंग कंपनियों के संशोधित विनियमों के पर्यवलोकन से निकाल दिया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार को लिखा है कि (1) वेतन भोगियों की सहकारी ऋण-समितियों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के (जिस रूप में वह सहकारी समितियों पर लागू होता है) उपबन्धों से छूट दी जाय और (2) शहरी सहकारी बैंकों के मामले में न्यूनतम नकद प्रारक्षित निधि और सरलता से नकदी के रूप में परिवर्तित की जा सकने वाली परिसम्पत्तियां (लिक्विड ऐसेट) बनाये रखने की आवश्यकताओं में ढील दी जाये। इस विषय पर, रिजर्व बैंक के साथ मिल कर विचार किया गया है और इसके परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक ने 20 जुलाई, 1966 को सभी राज्यों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों के नाम एक परिपत्र जारी किया है जिसमें बताया गया है कि किन शर्तों के पूरा किये जाने पर वेतनभोगियों की सहकारी ऋण-समितियां, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क (2) के अनुसार इस अधिनियम के कार्य-क्षेत्र से बाहर रह सकती हैं। जहां तक न्यूनतम नकद प्रारक्षित निधि और सरलता से नकदी के रूप में परिवर्तित की जा सकने वाली परिसम्पत्तियां बनाये रखने की आवश्यकताओं में ढील देने का सम्बन्ध है, यह प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है।

Assistance to Voluntary Institutions for Control of Leprosy

2023. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state the names of voluntary institutions to whom Central assistance is being given at present for undertaking domiciliary work in Leprosy Control ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : The names of voluntary institutions to which Central assistance is being given at present for undertaking domiciliary work in Leprosy Control are given below :—

Andhra Pradesh

1. Shri V. S. S. Devasthanam, Annavaram, East Godavari District.
2. Leprosy Investigation and Treatment Centre, Zaheerabad.
3. Sri Gowtami Jeevakarunya Sangham, Rajahmundry.

Assam

4. Mikir Hills Seva Kendra, Sarihajan.
5. Assam Seva Samiti, Gauhati.
6. Sreemanta Shankar Mission, Nowgong.

Bihar

7. Kushta Seva Samiti, Kapasia.
8. Gandhi Kushta Nivaran Pratisthan, Akhlaspur.

Gujarat

9. The Broach City and District Leprosy Association, Broach.
10. The Baroda District Anti-Leprosy Association, Baroda.

Kerala

11. Holy Cross Convent, Kotiyam, Quilon.
12. Poor Leprosy Hospital, Green Gardens, Shartallai.
13. Demian (Leprosy) Institute, Trichur.

Madras

14. The Deenbandhu Medical Mission, R. K. Pet, Chingleput, Madras.
15. Hind Kushta Nivaran Sangh, Kancheepuram Branch.
16. Kasturba Kushta Nivaran Nilayam, Madras.
17. Dayapuram Hospital and Home for Lepers, Manamadurai.

Maharashtra

18. The Purva Khandesh Kushta Seva Mandal, Bhusaval District, Jalgaon.
19. The Leprosy Centre at Ambawadi District Sangli.
20. American Marathi Mission, Vadala, (Ahmednagar)
21. American Marathi Mission, Satara.
22. Kushta Rogi Seva Samiti, Malegaon.

Madhya Pradesh

23. Kushta Seva Samiti, Visarjan Ashram, Indore.

Mysore

24. The Mary Calvert Holdsworth Memorial Hospital, Mysore.

Uttar Pradesh

25. Kushta Sevashram, Deoria.
26. Kushta Sevashram, Basti.
27. Kushta Sevashram, Gorakhpur.

केरल में बिजली की कमी का उत्पादन पर प्रभाव

2024. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने बिजली की कमी के कारण सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में उत्पादन में होने वाली हानि का कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो 1961-62 से 1965-66 की अवधि में कितने दिन बिजली की सप्लाई में कमी की गई और उसके परिणामस्वरूप उत्पादन में अनुमानतः कितनी हानि हुई ; और

उक्त अवधि में कितने कारखाने बन्द हुए और कितने कर्मचारियों को जबरी छुट्टी दी गई ?

सिचाई और विद्युत मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद): (क) जी हां।

(ख) 1961-62 से 1965-66 तक के वर्षों में बिजली की कटौती कितनी मात्रा में और कितनी अवधि के लिए की गई, इसके सम्बन्ध में सूचना नीचे दी जाती है :—

1	2	3
वर्ष	जो उपभोक्ता केरल ग्रिड से बिजली लेते हैं—	जो उपभोक्ता मद्रास ग्रिड से बिजली लेते हैं (मालावार क्षेत्र)
1961-62	1-5-61 से 22-5-61 तक अर्थात् 22 दिनों के लिए उद्योगों को दी जा रही बिजली में 30% की कटौती	1-5-61 से 1-6-61 तक अर्थात् 32 दिनों के लिए उद्योगों को दी जा रही बिजली में 50% की कटौटी ।
1962-63	1-2-63 से 31-3-63 तक अर्थात् 59 दिनों के लिए उद्योगों को दी जा रही बिजली में 40% कटौती ।	1-2-63 से 28-2-63 तक अर्थात् 28 दिनों के लिए उद्योगों को दी जा रही बिजली में 40% कटौती ।
1963-64	उद्योगों को दी जा रही बिजली में 1-4-63 से 21-5-63 तक (51 दिनों के लिए) 40%, 27-5-63 से 6-6-63 (11 दिनों के लिए) 100%, और 15-1-64 से 31-3-64 तक (77 दिनों के लिए) 40% तक कटौती की गई ।	
1964-65	1-4-64 से 4-7-64 तक (95 दिनों के लिए) 40% की कटौती की गई ।	उच्च वोलटता वाले उद्योगों को दी जा रही बिजली में 18-6-64 से 27-6-64 तक (10 दिनों के लिए) 100% और 27-6-64 से 6-7-64 तक 10 दिनों के लिए) 50% की कटौती की गई ।
1965-66	उद्योगों को दी जा रही बिजली में 7-6-65 से 18-6-65 (12 दिनों के लिए) 100% और 30-6-65 से 15-7-65 (16 दिनों) के लिए 50% की कटौती की गई ।	

1	2	3
	उद्योगों, सिनेमाघरों और व्यापारिक संस्थानों को दी जा रही बिजली में 15-11-65 से 10-12-65 (20 दिनों के लिए) 25% कटौती की गई। 11-12-65 से 18-6-66 तक (111 दिनों के लिए) उद्योगों, सिनेमाघरों और व्यापारिक संस्थानों को दी जा रही बिजली में 50% और घरेलू कामों के लिए दी जा रही बिजली में 25% की कटौती की गई।	केरल ग्रिड से बिजली लेने वाले उपभोक्ताओं जैसी ही स्थिति (26+111 दिन)

1961-62 से 1964-65 तक की अवधि में दी गई बिजली की कटौती के दौरान उत्पादन में कितनी हानि पहुंची, इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। 1965-66 के दौरान सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में लघु व कुटीर उद्योगों में हुई हानि को मिलाकर उत्पादन में 20.5 करोड़ रुपये की हानि हुई है, ऐसा अनुमान है।

(ग) बिजली में की गई कटौती के कारण 1965-66 में कारखानें बिलकुल बन्द नहीं किये गये थे। परन्तु बहुत से कारखानों में कारीगरों की अंशतः छांटी की गई। ऐसे कारखाने वृहत् तथा मध्यम सैक्टर के 100 और छोटे पैमाने के 1000 थे। वृहत् तथा मध्यम सैक्टर में बिजली की कटौती के कारण प्रति मास लगभग 14,000 व्यक्ति-दिनों की हानि हुई है।

केरल में काल्लडा परियोजना का निर्माण-कार्य

2025. **श्री अ० व० राघवन :** **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री मे० क० कुमारन : **श्री इम्बीचिबावा :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में काल्लडा सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुयी है ;

(ख) इस परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यह काम कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ; और

(घ) इस परियोजना पर कितना अनुमानित व्यय होगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) केवल प्रारंभिक कार्यों को हाथ में लिया गया है और वे प्रगति कर रहे हैं। कार्यालय भवन, भण्डार घर, कारखाने,

कर्मचारियों के 31 क्वार्टरों, बांध स्थल तक एक मील पहुंच सड़क, आदि का निर्माण पूरा हो गया है। जलाशय क्षेत्र में पूर्ण जलाशय स्तर की रेखा के चिन्हों को लगाने का काम और सैडल स्थल पर छेदन कार्य भी पूरे हो गये हैं। नहर प्रणाली में मुख्य संरचनाओं और वियर स्थल पर भवनों के सम्बन्ध में विस्तृत अनुसन्धान प्रगति पर है।

(ख) तथा (ग). राज्य सरकार ने मुख्य अभियन्ता को एक लाख रुपयों के योजना प्रबन्धों के अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष (1966-67) के दौरान इस परियोजना पर 30 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार दे दिया है। इस परियोजना पर कार्य को शीघ्र करने के लिये अतिरिक्त स्टाफ की स्वीकृति के प्रस्तावों पर राज्य सरकार विचार कर रही है। इस परियोजना के पांचवी योजना में पूरा होने की संभावना है।

(घ) 13.28 करोड़ रुपये।

Green Belt under Master Plan

2026. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all the houses falling within the green belt under the Master Plan of Delhi would be demolished;

(b) if so, the estimated number of such houses;

(c) the estimate amount spent on the construction of those houses ;

(d) the extent of compensation to be paid to the owners of those houses; and

(e) whether alternative accommodation would be provided to the owners of those houses ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) Yes, except the village abadis and the structures which were put up before the 13th November, 1959.

(b) and (c). No detailed survey of unauthorised constructions in the green belt areas has been carried out.

(d) No compensation is payable, as the constructions are unauthorised.

(e) Alternative plots will be allotted only to those persons whose land has been acquired by the Government.

बिहार में चिरकुंडा चौकी के रास्ते तस्कर व्यापार

2027. **श्री उटिया :**
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में चिरकुंडा चौकी के रास्ते होने वाले तस्कर व्यापार के

बारे में 'इंडियन नेशन' में प्रकाशित समाचारों, विशेष रूप से 13 जून 1966 के "टेट-ए-टेटे" (Tete-A-Tete) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित 'फीचर' लेख की ओर ध्यान दिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस तस्कर व्यापार में बिहार के उच्च गण्यमान्य व्यक्तियों का हाथ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) बिहार में चिरकुंडा चौकी के रास्ते चोरी-छिपे होने वाले व्यापार के बारे में 2 जून, 1966 और 13 जून, 1966 को 'इण्डियन नेशन' में प्रकाशित खबरें सरकार के देखने में आई हैं। चिरकुंडा धनबाद जिले की एक चौकी है जिसकी स्थापना बिहार सरकार द्वारा बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच एक राज्य से दूसरे राज्य में माल के लाने ले जाने की रोक-थाम करने के लिए की गई है। अत:, पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों में उल्लिखित चोरी-छिपे होने वाला व्यापार राज्य सरकार का विषय है।

(ख) इस बारे में इस मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

मलनाद क्षेत्र का विकास

2028. **श्री काजरोलकर** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी घाट के मलनाद क्षेत्र का विकास करने का कोई प्रस्ताव है ताकि वन सम्पत्ति को बढ़ाया जा सके और खनिज सम्पत्ति का पता लगाया जा सके और पास के घनी आबादी वाले प्रदेशों से बहुत से परिवार बसाये जा सकें ; और

(ख) मलनाद क्षेत्र का विकास करने के प्रस्ताव पर सम्बन्धित राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, नहीं। मलनाद क्षेत्र को अभी साफ साफ सीमांकित किया जाना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चम्बल परियोजना

2029. **श्री बसवन्त** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1966-67 के पहली तिमाही में चम्बल परियोजना

पर खर्च किये जाने के लिये राजस्थान सरकार को ऋण मंजूर किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह ऋण कुल कितनी धनराशि का है?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) 1966-67 की प्रथम तिमाही के दौरान चंबल परियोजना पर खर्च करने के लिये निम्नलिखित ऋण स्वीकार किये गये थे :

सिंचाई		(लाख रुपयों में)
चरण I	(राजस्थान के हिस्से के कार्य)	15.00
चरण II	(सांझे कार्य)	20.00
बिजली		
चरण II	(सांझे कार्य)	25.00
चरण II	(राजस्थान के हिस्से के कार्य)	50.00
चरण III	(सांझे कार्य)	15.00
	कुल	125.00

इसके अतिरिक्त राज स्थान सरकार द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे चंबल परियोजना के चरण-II (राणा प्रताप सागर परियोजना) और चरण-III (जवाहर सागर बिजली परियोजना) के सांझे कार्यों पर हो रहे मध्य प्रदेश के हिस्से के खर्च को पूरा करने के लिये इसी ही अवधि में राजस्थान सरकार को निम्नलिखित ऋण भी दिये गये थे :

सिंचाई		लाख रुपयों में
चरण-II		20.00
बिजली		
चरण-II		25.00
चरण-III		15.00
	कुल	60.00

भौतिक-चिकित्सा (फिजियोथेरापी) की सुविधायें

2030. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में भौतिक-चिकित्सा और भौतिक-चिकित्सा में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की सुविधायें तथा व्यवस्था अपर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) : जी हां, यह सच है कि धन की कमी तथा अपर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारियों के कारण पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है। तथापि बड़े चिकित्सालयों तथा विशेष संस्थाओं में इन सुविधाओं की व्यवस्था है।

प्रशिक्षण देने के लिए इस समय 6 संस्थायें हैं। इसके अलावा आल इन्डिया फिजीकल मैंडीसन एण्ड रीहैबिलीटेशन, बम्बई तथा के० ई० एम० हास्पीटल, बम्बई में अध्यापकों को प्रशिक्षण देने हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चालू कर दिया गया है। चौथी योजना में अधिक प्रशिक्षण तथा उपचार केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

सिंचाई और बिजली के सम्बन्ध में उड़ीसा के लिये योजनाओं में धन की व्यवस्था

2031. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीनों ही पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में उड़ीसा राज्य के लिए सिंचाई और बिजली के बारे में बहुत ही कम धन की व्यवस्था की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उड़ीसा राज्य के लिए सिंचाई और बिजली के सम्बन्ध में इस नियतन को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख). सिंचाई तथा बिजली के लिए योजना व्यय-व्यवस्था का आवंटन, जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है मुख्यतः अन्वेषित परियोजनाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं और बिजली परियोजनाओं के लिए भार सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है। उड़ीसा राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गत तीन योजनाओं में सिंचाई तथा बिजली के लिए, उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत अधिक से अधिक आवंटन करने का प्रयत्न किया गया। पिछली तीन योजनाओं में उड़ीसा को सिंचाई तथा बिजली के लिए 170 करोड़ रुपये आवंटित किये गये, जबकि सब राज्यों का कुल आवंटन 3045 करोड़ रुपये था।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के आवंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

उड़ीसा में जीवन बीमा निगम की पूंजी

2032. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा राज्य में भारत के जीवन बीमा निगम ने उद्योगों अथवा अन्य गैर-औद्योगिक क्षेत्रों में वर्ष वार कितनी पूंजी लगाई थी ;

(ख) क्या राज्य में 1966-67 में और पूंजी लगाने के लिये उड़ीसा सरकार ने निगम को कोई योजना प्रस्तुत की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस योजना पर कितने खर्च आने के अनुमान हैं तथा उसके बारे में निगम ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) तृतीय योजना के प्रत्येक वर्ष में जीवन बीमा निगम द्वारा उड़ीसा राज्य में औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक क्षेत्रों में लगाई गई पूंजी के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	लगाई गई पूंजी की रकम (लाख रुपयों में)	
	औद्योगिक क्षेत्र	गैर-औद्योगिक क्षेत्र (इसमें राज्य सरकार को दिये गये ऋण भी शामिल हैं)
1961-62	26.3	2,10.6
1962-63	33.0	4,65.0
1963-64	93.7	1,04.0
1964-65	13.4	9,37.0
1965-66	37.5	4,89.9

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भुवनेश्वर में महा-लेखापाल के कार्यालय के कर्मचारी

2033. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री 17 फरवरी 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 387 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भुवनेश्वर (उड़ीसा) में महालेखापाल के कार्यालय के शेष 519 कर्मचारियों को उचित सरकारी रिहायशी क्वार्टर देने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : 256 क्वार्टर और बनाने की मंजूरी दे दी गयी है और ठेकेदारों को काम सौंप दिया गया है।

आनन्दपुर बांध योजना

2034. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 21 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4129 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने इस बीच आनन्दपुर बाँध योजना के बारे में परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया है और उसे केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) इसमें वैतरणी नदी पर एक वराज और दो मुख्य नहरें, दोनों किनारोंपर एक एक, सम्मिलित हैं। बांए किनारे की नहर को सालंदी परियोजना के विद्याधर वराज के ऊपर स्थित झील से जोड़ दिया गया है ताकि सिंचाई के विस्तार के लिये झील में पानी की अनुपूर्ति की जा सके। इसमें सालंदी नहर के विस्तार के लिये भी प्रबन्ध है। आनन्दपुर वराज परिजोना के पूरा हो जाने पर इसको 6,51,000 एकड़ की वार्षिक सिंचाई के लिये (बारहमासी, 8000 एकड़, खरीफ, 4,03,000 एकड़, रबी, 2,40,000 एकड़) समाकलित परियोजना के रुप में सालंदी के साथ चलाया जायगा। आनन्दपुर वराज परियोजना की अनुमित लागत 20.09 करोड़ रुपये है और सालंदी समेत समाकलित परियोजना की कुल लागत 31·92 करोड़ रुपये है।

(ग) परियोजना रिपोर्ट की जांच हो रही है।

अशोक होटल की दरों में वृद्धि

2035. **श्री गुलशन :**

श्री नरसिम्हा रेड्डी :

श्री हरिविष्णु कामत :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के अवमूल्यन के बाद अशोक होटल ने हाल में अपनी दरें बढ़ा दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस वृद्धि का रुपये के अवमूल्यन से कोई सम्बन्ध है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) स्थिति निम्न प्रकार है :—

कमरे का टाईप	पहले की दरें	वर्तमान दरें
	रुपये	रुपये
सिंगल रूम	50 तथा 55	60 तथा 65
सिंगल स्वीट्	70 तथा 75	90 तथा 95
डबल रूम	90 तथा 100	110 तथा 120
डबल स्वीट्	120 तथा 130	140 तथा 150
लक्जरी स्वीट्	200	250
डीलक्स स्वीट्	250	300

(ग) जी नहीं ।

फरक्का बांध

2036. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त : **डा० रानेन सेन :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवमूल्यन के कारण फरक्का बांध योजना के प्लान तथा प्राक्कलन पर कोई प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नया प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है ; और

(ग) मूल प्राक्कलन की तुलना में नये प्राक्कलन में क्या अन्तर है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). प्राथमिक मूल्यांकन के अनुसार परियोजना की अनुमित लागत अवमूल्यन के कारण लगभग 4 से 5 करोड़ रुपये तक बढ़ जायेगी ।

अल्वाय में नदियों के पानी का दूषित होना

2037. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बीचिबावा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केरल सरकार ने नदियों की स्वच्छता तथा औद्योगिक गन्दगी की निकासी की समस्या का अध्ययन करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अल्वाय में एक केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में अनुरोध किया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि अल्वाय में औद्योगिक गन्दगी के कारण नदियों के पानी के दूषित हो जाने की बहुत बड़ी समस्या है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) औद्योगिक गन्दगी निस्तारण एवं जल दूषण शोध केन्द्र की स्थापना का एक प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

आन्ध्र प्रदेश तथा केरल में बिजली का उत्पादन

2038. **श्री पें० वेंकटासुब्बय्या :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश तथा केरल राज्यों में पन बिजली तथा ताप बिजली दोनों के ही उत्पादन में काफी असन्तुलन रहा है ; और

(ख) इस असन्तुलन को ठीक करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक आन्ध्र प्रदेश में पन तथा ताप बिजली के उत्पादन में कोई असन्तुलन नहीं था । तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में पन तथा ताप बिजली के उत्पादन में बहुत असंतुलन था ।

(ख) केरल में चतुर्थ योजनावधि में इस असंतुलन को कुछ तो कोचीन के निकट ताप बिजली केन्द्र स्थापित करके ठीक किया जा रहा है और कुछ सहवर्ती राज्यों नामशः मद्रास और मैसूर, की ग्रिड प्रणाली तथा केरल की पारेषण ग्रिड प्रणाली में अन्तः सम्पर्क स्थापित करके ठीक किया जा रहा है ।

आन्ध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनायें

2039. **श्री पें० वेंकटासुब्बय्या** :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में अकालग्रस्त क्षेत्रों में कुछ मध्यम और छोटी सिंचाई परियोजनायें केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता न मिलने के कारण रुकी हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन सी परियोजनायें हैं और उनके लिये मंजूरी देने तथा उन्हें शीघ्रता से क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फरुरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). आन्ध्र प्रदेश में अकालग्रस्त क्षेत्रों में ऐसी कोई भी मध्यम और छोटी सिंचाई परियोजना नहीं है जो केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता न मिलने के कारण रुकी हुई है।

श्रीसैलम परियोजना

2040. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **प्रधान मंत्री** को जून 1966 में श्रीसैलम जलीय परियोजना को बदलकर सिंचाई एवं जलीय परियोजना बनाने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन की ओर से ;

(ग) इस परियोजना के अन्तर्गत कितने क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है ;

(घ) इस परियोजना पर कितना अतिरिक्त व्यय होगा ; और

(ङ) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता :

ताप बिजली घरों के लिये परामर्शदात्री संस्था

2041. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** :
श्री राम सहाय पांडेय :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पन बिजली घरों तथा ताप बिजली घरों के डिजायन तैयार करने तथा उन्हें स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार ने एक परामर्शदात्री संस्था स्थापित की है, और

(ख) यदि हां, तो इस संस्था का गठन किस प्रकार किया जायेगा और उसके मुख्य कृत्य क्या होंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) तथा (ख). भारत सरकार ने देश में जलीय तथा तापीय बिजली घरों के अभिकल्पन तथा प्रतिष्ठापन के लिये सलाह सम्बन्धी सेवा करने हेतु केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग (बिजली स्कन्ध) में 1961 में एक विशेषज्ञ अभियंत्रण संस्था स्थापित की। इस संस्था के दो भाग हैं—एक भाग पन बिजली घरों और दूसरा भाग ताप बिजली घरों के सम्बन्ध में काम करता है। केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के बिजली

स्कन्ध के सदस्य एक एक यूनिट को देखते हैं। यह संस्था विविध परियोजना अधिकारियों और राज्य बिजली बोर्डों को वृहत ताप व पन बिजली घरों के अभियंत्रण, अधिकल्पन, प्राप्ति तथा प्रतिष्ठापन से सम्बद्ध सलाही सेवा प्रदान करती है। ये परियोजना अधिकारी/राज्य बिजली बोर्ड समय व लागत आधार पर इस प्रकार की सेवाओं के लिये पैसा देते हैं।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारी

2042. **श्री राम सेवक यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने बम्बई में 30 सितम्बर से 3 अक्तूबर, 1964 तक हुए सम्मेलन में पास किया गया एक ज्ञापन सरकार को पेश किया है, जिसमें उनकी कुछ मांगें दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने तो नहीं परन्तु अभिकर्ताओं ने इस प्रकार का एक ज्ञापन जीवन बीमा निगम और सरकार को अवश्य पेश किया था।

(ख) इस प्रकार के मामलों पर विचार करना जीवन बीमा निगम का काम है, जो एक स्वायत्त संस्था है। वास्तव में, जीवन बीमा निगम, ज्ञापन में पेश किये गये प्रस्तावों पर विचार करता रहा है जिनमें से कुछ स्वीकार किये जा चुके हैं जबकि अन्य अभी स्वीकार करने योग्य नहीं पाये गये हैं।

Family Planning in Rural Areas

2043. **Dr. Mahadeva Prasad :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether any special arrangements have been made by Government to popularise the family planning devices in rural areas ; and

(b) the extent of success achieved in publicising these devices during the Third Five Year Plan ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) :(a) Yes, Sir.

(b) The Family Planning Programme has made considerable headway in rural areas. More and more people are now coming forward for advice and service in various methods of Family Planning. During the Third Five Year Plan, the number of regular Family Welfare Planning Centres (including sub-centres) in the rural areas rose from 1379 to 10,761 and the number of Centres (other than Family Welfare Planning Centres) for distributing contraceptives rose from 1864 to 8517. The total number of sterilization operations performed during the Third Five Year Plan was above 13 lakhs. The total number of IUCD insertions between July, 1965 to March, 1966 was above 8 lakhs. These figures include the progress made in rural areas but separate figures for rural areas are not available.

कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधायें

2044. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ चिकित्सा सुविधायें कलकत्ता निगम के क्षेत्र में रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को तो मिलती हैं लेकिन कलकत्ता के उपनगरीय क्षेत्रों में रहने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस असमानता को दूर करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये चिकित्सा सुविधा तथा उपचार की व्यवस्था राज्य सरकारों के माध्यम से की जाती हैं। जहां तक कलकत्ता शहर का प्रश्न है पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अराजपत्रित तथा 500 रुपये से कम वेतन पाने वाले अन्य कर्मचारियों के लिये अपेक्षित व्यवस्था नहीं की है। जिसके परिणामस्वरूप ऐसे कर्मचारियों के पास प्राइवेट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनरों की शरण में जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाता। तथापि राज्य सरकार ने कलकत्ता में रहने वाले प्रथम श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और पांच सौ रुपये या इससे अधिक वेतन पाने वाले राजपत्रित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिये अधिकृत चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किये हैं।

निम्नलिखित बस्तियों को कलकत्ता की सीमा के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है जहां अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी प्राइवेट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनरों से परामर्श ले सकते है :—

1. कलकत्ता नगरपालिका
2. हावड़ा नगरपालिका
3. टालीगंज नगरपालिका
4. दक्षिणीय दम दम नगरपालिका
5. दक्षिणीय सुबुरबन नगरपालिका
6. बड़ानगर नगरपालिका
7. गार्डन रीच नगरपालिका
8. लिलुवा
9. दम दम (दक्षिणीय दम दम के अलावा)
10. दासनगर
11. रामराजटोला
12. सन्तरागाछी

कलकत्ता के अतिरिक्त अन्य स्थानों में पश्चिम बंगाल सरकार ने आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कर दी है और कलकत्ता के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल के किसी भी स्थान में रहने वाले तथा उन स्थानों से होकर जाने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य केवल अधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारियों से ही उपचार आदि करवाते हैं।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार से उन कर्मचारियों के लिये आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है जिन्हें वाध्य होकर ही निजी चिकित्सकों की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

सोना पकड़ा जाना

2045. **श्री राम सहाय पांडेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण नियंत्रण आदेश लागू होने के बाद देश भर में सरकार ने 18 कैरेट से अधिक शुद्धता का कुल कितना सोना पकड़ा है ; और

(ख) क्या उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिनके पास से यह सोना पकड़ा गया है, कोई कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) स्वर्ण नियंत्रण नियमों के लागू होने के बाद, अर्थात् 10-1-1963 से लेकर 30-6-1966 तक, पकड़े गये 18 कैरट से अधिक शुद्धता के सोने की मात्रा नीचे दी जाती है :

(i) स्वर्ण नियंत्रण नियमों के अधीन	———	2692	किलोग्राम
(ii) सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन	———	5428	किलोग्राम
जोड़	—	8120	किलोग्राम

(ख) जी, हां।

सोना जब्त करने और/अथवा वैयक्तिक दण्ड लगाने की विभागीय कार्रवाई उन सब मामलों में की गयी है जो इस अवस्था में थे कि उन पर कार्रवाई की जा सकती थी और जिनके बारे में न्याय-निर्णय अधिकारी का निष्कर्ष था कि उन मामलों की परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकार की कार्यवाई न्यायोचित थी। गम्भीर मामलों में, सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय न्याय-निर्णय के अलावा मुकदमे भी चलाये गये हैं।

Banks Cheated by Certain Firms

2046. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Kashi Ram Gupta :
Shri Raghunath Singh :
Shri Bade :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the United Commercial Bank and the Bank of India, Bombay were

cheated of several lakhs of rupees by Messrs Jhunjhunwala Bros., and Messrs Oriental Timber Trading Corporation by giving wrong figures of their stocks ;

(b) if so, whether on conducting an enquiry, these Companies were found-guilty and if so, the action taken against them ;

(c) the total amount of income-tax paid by these Companies during the last five years ;

(d) whether Income-tax to the tune of lakhs of rupees is being evaded by presenting false figures of loans advanced to individuals to the Income Tax Authorities; and

(e) if so, the action taken against these firms ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) Government have no information.

(b) Does not arise.

(c) M/s Jhunjhunwala Bros. Rs. 9,100
M/s. Oriental Timber
Trading Corporation. Rs. 99,814

(d) and (e). Certain complaints have been received which are being investigated.

Sabarigiri Project

2047. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Kashi Ram Gupta :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Brij Basi Lal :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that imported equipment worth about rupees ten lakhs required for the Sabarigiri Hydroelectric project, Kerala became unserviceable as it was not stored properly by the Officers as a result of which it became rusty ;

(b) whether it is also a fact that the said equipment was imported from U. S. A. and was not manufactured in the country; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) Equipment worth about Rs. 10 lakhs became unserviceable due to rusting. The causes of this deterioration are under investigation.

(b) The said equipment was imported from the U. S. A. At the time the orders were placed in U. S. A., such equipment was not being manufactured in the country.

(c) In order that no delay is involved in the implementation of the Project, free foreign exchange to the tune of 139,700 has been released for replacement of the damaged parts.

भूमि संसाधनों का उपयोग

2048. **श्री चांडक** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग की प्राकृतिक संसाधनों संबंधी समिति भूमि

संसाधनों के उपयोग के बारे में विस्तृत अध्ययन कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो किस पैमाने के भूमि उपयोग नक्शे प्रकाशित किये जा रहे हैं अथवा अध्ययन किया जा रहा है ;

(ग) क्या जिला स्तर पर प्रत्येक किस्म की भूमि की विशेषताओं के विवरण उपलब्ध हैं ;

(घ) यदि हां, तो भारत में विभिन्न राज्यों की ऐसी जानकारी के वितरण की प्रतिशतता क्या है ;

(ङ) क्या नदी घाटी परियोजनाओं में बांधों के अपवाई (कैचमेंट) क्षेत्रों में भू-संरक्षण सम्बन्धी अध्ययन खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय, अथवा प्राकृति संसाधन सम्बन्धी समिति द्वारा किया जा रहा है ; और

(च) यदि हां, तो दो संस्थाएं एक ही प्रकार के अध्ययन क्यों कर रही हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय जो भूमि उपयोग के नक्शे तैयार किये जा रहे हैं वे लगभग 1:10 लाख के हैं ।

(ग) और (घ). प्राकृतिक संसाधन समिति का सम्बन्ध नमूने के पार्श्वचित्रों से है और महत्वपूर्ण पार्श्वचित्रों के विवरण अब उपलब्ध हैं । भूमि का वर्गीकरण जिलों की सीमाओं के अनुरूप नहीं है, अतः प्रत्येक किस्म की भूमि के बारे में, जिलावार, पार्श्वचित्र एकत्रित नहीं किये गये हैं । फिर भी, सघन कृषि विकास कार्यक्रम जिलों के बारे में जिलावार भूमि का विवरण तैयार कर दिया गया है । राज्य सरकारों और अखिल भारतीय भूमि तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन के पास भी भूमि पार्श्वचित्रों का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध है ।

(ङ) खाद्य और कृषि मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के सहयोग से प्राकृति संसाधन समिति द्वारा अध्ययन किया जा रहा है ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

हरंगी तथा कम्बाडकाडा परियोजनाएं

2049. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल मैसूर राज्य की हरंगी तथा कम्बाडकाडा परियोजनाओं की क्रियान्विति में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) इन परियोजनाओं पर कितना खर्च आने का अनुमान है और इनसे कितनी भूमि की सिंचाई होने की सम्भावना है ; और

(ग) इन्हें कब से क्रियान्वित किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) परियोजनाएं कार्यान्विन के लिये अभी स्वीकार होनी हैं ।

(ख) (1) हरंगी परियोजना की अनुमित लागत 1169 लाख रुपये है और इससे 90,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ।

(2) मूल कम्वाडकाडा परियोजना की अनुमित लागत 190 लाख रुपये थी और इससे वर्तमान मानसून आयाकट के 20,000 एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई को स्थाई बनाने के अतिरिक्त 2500 एकड़ (नया क्षेत्र) की सिंचाई होनी अनुमित थी । किन्तु मैसूर सरकार कावेरी पर एक वैकल्पिक परियोजना का अनुसन्धान कर रही है और पुनरीक्षित प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) इस समय प्रश्न नहीं उठता ।

धार्मिक संस्थाओं को भूमि का दिया जाना

2050. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962 से अब तक धार्मिक संस्थाओं को कहां कहां पर कितने कितने प्लाट दिये गये ; और

(ख) यदि इन संस्थाओं को कोई रियायती दरों पर प्लाट दिये गये हैं, तो वे दरें क्या हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 6753/66**]

मोती महल रेस्तरां, दिल्ली

2051. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली के प्रसिद्ध रेस्तरां, मोती महल पर खाद्य पदार्थों में मिलावट करने के आरोप में मुकदमा चलाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) मुकदमे की वर्तमान स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) जी, हां ।

(ख) न्यायालय में यह मुकदमा केन्द्रीय जांच व्यूरो के एक अधिकारी की शिकायत पर चलाया गया था जिसे 22 जून 1966 को इस रेस्तरां ने एक अपमिश्रित कुल्फी बेची थी ।

(ग) अभियोग का सबूत रिकार्ड किया जा रहा है ।

दिल्ली में भोजनालयों पर छापे

2052. **श्री रा० बरुआ :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि मिठाइयों तथा खाद्यपदार्थों में मिलावट करने के सम्बन्ध में जून-जुलाई, 1966 में दिल्ली और नई दिल्ली के बहुत से भोजनालयों तथा मिठाई की दुकानों पर छापे मारे गये ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक मारे गये छापों का व्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) जी, हां ।

(ख) भोजनालयों तथा मिठाई की दुकानों पर जून 1966 में 22 और जुलाई 1966 में 12 छापे मारे गये जिसके परिणामस्वरूप 24 दुकानें अलग-अलग अवधि के लिये बन्द कर दी गईं ।

दिल्ली में इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर

2053. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की गड़बड़ी वाले स्थानों का पता लगाने के लिये राजधानी में बहुत से इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर लगाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने और किन-किन स्थानों पर; और

(ग) ये कम्प्यूटर किस-किस देश से तथा कितनी लागत पर आयात किये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

राजधानी में इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर

2054. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पानी की गड़बड़ी वाले स्थानों का पता लगाने के लिये राजधानी में बहुत से इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर स्थापित किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने और किन-किन स्थानों पर ; और

(ग) उनका आयात किस देश और कितनी लागत पर किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठने ।

निर्यात शुल्क

2055. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनेक वस्तुओं पर निर्यात शुल्क से छूट देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो वे वस्तुएं कौन सी हैं ; और

(ग) यह निर्णय किस आधार पर किया गया है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) जो सामान 6 जून 1966 से पहले किये गये तथा विदेशी मुद्रा में व्यक्त किये गये वायदा-करारों के अन्तर्गत आते हैं उनको कुछ शर्तों के साथ निर्यात-शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। यह छूट अवमूल्यन होने पर उन सभी वस्तुओं के बारे में दी गयी है जिन पर छूट की घोषणा की तारीख को, अर्थात् 11 जुलाई 1966 को, निर्यात शुल्क लगता था। 11 जुलाई 1966 के बाद जिन अन्य वस्तुओं पर निर्यात-शुल्क लगाया गया है उनके सम्बन्ध में भी यह छूट देने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) यह छूट इस आधार पर दी गयी हैं कि जिस निर्यात करने वाले ने 6 जून 1966 से पहले विदेशी मुद्रा विनियम की अग्रिम बिक्री कर दी है उसके कारण उसको अवमूल्यन के पश्चात् इन मामलों में रुपया मुद्रा में मिलने वाली वसूलियों में कोई आकस्मिक अतिरिक्त लाभ नहीं होगा।

भारत में कृषकों की प्रतिशतता

2056. **श्री हेमराज : क्या योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने से पहले कितने प्रतिशत जनसंख्या पूर्णतया कृषि पर निर्भर थी ;

(ख) पहली, दूसरी तथा तीसरी योजना अवधि में कृषि पर निर्भर प्रतिशत जनसंख्या में से कितने प्रतिशत लोग कृषि की बजाय उद्योग पर निर्भर करने लगे ;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में कृषि पर निर्भर करने वाली जनसंख्या में से कितने लोगों को उद्योगों में लगाने का विचार है ; और

(घ) कृषि तथा उद्योग पर निर्भरता किस प्रतिशत अनुपात में बनाए रखने का विचार है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) से (घ). कृषि पर निर्भर आबादी के अनुपात में 1951 तथा 1961 के मध्य कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। दूसरी तथा तीसरी दोनों योजनाओं का उद्देश्य, कृषि पर निर्भर श्रम शक्ति का अनुपात 1976 तक लगभग 60 प्रतिशत करने का रखा गया था।

जीवन बीमा निगम

2057. **श्री सेझियान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परक्राम्य लिखित अधिनियम के अन्तर्गत 6 और 7 जून, 1966 को सार्वजनिक छुट्टियां घोषित की गई थीं ;

(ख) क्या जीवन बीमा निगम ने वे छुट्टियां मनाई थीं ;

(ग) क्या यह सच है कि दक्षिण जोन में जोनल कार्यालय तथा कुछ अन्य कार्यालयों ने 6 जून, 1966 को छुट्टी न मना कर उस दिन काम किया था ;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा घोषित छुट्टी न मनाये जाने का क्या कारण था ; और

(ङ) जीवन बीमा निगम द्वारा उन कर्मचारियों को, जिनको 6 और 7 जून, 1966 को अनजाने से काम करने के लिए बुलाया गया था कितनी समयोपरि मजूरी दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) जी हां ।

(ख) और (ग). दक्षिण क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय तथा कुछ अन्य कार्यालयों को छोड़कर जिनमें 6 जून 1966 को छुट्टी नहीं मनाई जा सकी, देश में जीवन बीमा निगम के सभी कार्यालयों में 6 और 7 जून, 1966 को छुट्टी मनाई गई ।

(घ) 6 और 7 जून, 1966 को छुट्टी मनाने के सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय मद्रास को समय पर आदेश नहीं भेजे जा सके ।

(ङ) 6 जून के लिए अतिरिक्त समय के वेतन पर लगभग 7 लाख रुपये खर्च हुए ।

Super Market in New Delhi

2058. **Shri Hem Raj**: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the super market in New Delhi has been opened in the market named after the late Pandit G. B. Pant ;

(b) if so, whether the name of the Pant market has been changed and the foundation stone laid there by Pandit Pant has also been removed ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes.

(b) There has been no change in the name of the market which is known as G. B. Pant Super Market in the records of the New Delhi Municipal Committee.

The market has been leased out to the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation for running a Departmental Store which is now known as Super Bazar. The foundation stone, which had been laid by the late Shri Lal Bahadur Shastri, the then Home Minister, has been removed.

(c) The Foundation Stone was coming within the road alignment. The New Delhi Municipal Committee propose to instal it at the entrance gate of the market.

Hunger Strike by Jhuggi Dwellers

2059. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 500 jhuggi-jhopri-dwellers observed hunger strike in front of Prime Minister's residence on the 4th July, 1966.

(b) if so, the reason therefor; and

(c) the action taken on their demands ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) A group of about 250 persons came in a procession to the Prime Minister's House on the 4th July, 1966. They claimed that they had been on hunger strike for 24 hours.

(b) and (c). The main demand of the demonstrators was that they should be allotted sites for residential purposes permanently in lieu of their houses demolished by the Municipal authorities. As the demonstrators were apparently persons who had been squatting unauthorisedly on Government and public lands, which are being cleared under the Jhuggis and Jhopris Removal Scheme, their representations were forwarded to the Delhi Municipal Corporation. The Corporation will deal with their cases in accordance with the provisions of the Jhuggis and Jhopris Removal Scheme.

Seizure of Watches and Gold Coins in Bombay

2060. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Dighe :
Shri Bade :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Sonavane :
Shri Y. D. Singh :
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to a news-item published on the 5th July, Central Excise Officials have recovered watches worth Rs. 20 lakhs and some gold coins from Juhu Beach, Bombay ;

(b) if so, whether these persons were Indians or foreigners ; and

(c) the steps proposed to be taken in the matter ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) On 5th July, 1966 the officers of the Bombay Central Excise Collectorate seized 13,168 pieces of watches, 10 gold coins, 4 transistorized telephone amplifiers and Indian currency amounting to Rs. 281/- (in all valued Rs. 20 lakhs) at Juhu Beach in Bombay.

(b) and (c). All the five persons involved are Indian nationals and they were arrested and subsequently released on bail. After the investigations are over, the question of confiscation of the goods and prosecuting the persons involved will be considered. The investigations are still in progress. Only after these have been completed can the question of further action by way of departmental adjudication (involving confiscation of goods as well as imposition of personal penalties) under the Customs and allied Acts together with the question of prosecution in a competent court, be decided.

Medical College Students

2061. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have asked both the male and female students of the Medical Colleges to fill the bond that they would observe family planning habits ; and

(b) if so, the outline thereof?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) No.

(b) Does not arise.

Rajghat Power House, New Delhi

2062. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to a news item published on the 20th June, 1966, a boiler at the Rajghat Power Station in the Capital caught fire and there was loss of two and half lakhs of rupees as a result thereof ;

(b) if so, whether any enquiry has been made ; and

(c) if so, the outcome thereof?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) No, there was no fire in the power plant but the boiler of the plant suffered damage to the extent of Rs. 1.85 lakhs due to starvation of water.

(b) As required under the provisions of the Boilers Act, an Enquiry Committee consisting of the Chief Inspector of Boilers, Delhi (Chairman), Director, C W & P C (Power Wing) and Superintending Engineer, Rajghat Power Station, DESU, went into the causes of the accident.

(c) According to the findings of the Committee the accident was due to human error. The boiler attendant, on duty, who was concerned with the accident was suspended on 14-6-66 and a Departmental Enquiry Committee has been constituted by DESU to investigate into the charges framed against him.

पंजाब में अफीम का तस्कर व्यापार

2063. **श्री गुलशन :**

श्री प० ह० भील :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1962 के पश्चात् अफीम का तस्कर व्यापार करने के कारण पंजाब में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ;

(ख) उनसे चोरी छिपे लाई गई कितनी अफीम बरामद की गई और उनमें से कितने व्यक्तियों को अन्त में न्यायालयों द्वारा सजा दी गई ; और

(ग) क्या सरकार का विचार अफीम के तस्कर व्यापार के विरुद्ध अपने अभियान को और बढ़ा देने का है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) अलग अलग वर्षों में गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	गिरफ्तार व्यक्ति
1962	2,630
1963	2,045
1964	3,322
1965	1,088
1966 (30 जून तक)	18

(ख) चोरी-छिपे रूप में लायी गई जो अफीम बरामद की गई उसकी मात्रा के आंकड़े तथा अदालतों द्वारा दण्डित व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	बरामद की गई मात्रा	अदालतों द्वारा दण्डित व्यक्ति
1962	942 किलोग्राम	2,096
1963	530 किलोग्राम	1,289
1964	1504 किलोग्राम	2,234
1965	237 किलोग्राम	909
1966	58 किलोग्राम	सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जी, हां । अफीम के चोरी-छिपे किये जाने वाले व्यापार को रोकने के लिए विभिन्न प्रवर्तन-विभागों द्वारा लगातार सभी सम्भव कार्यवाही की जा रही है ।

योजना आयोग के सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

2064. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के कुछ सदस्यों ने अपने त्यागपत्र दे दिये है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Broad Gauge Lines in U. P.

2065. **Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shri Dighe :

Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Joint Technical Team of the Ministries of Railways,

Transport and Civil Aviation have made a suggestion to lay certain broad-gauge lines in the Eastern Districts of Uttar Pradesh ; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of Planning and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : (a) and (b). The Joint Technical Group for Transport Planning have not made any specific suggestion relating to broad-gauge lines in the Eastern Districts of Uttar Pradesh. The Group have, however, initiated a regional transport survey of Uttar Pradesh along with transport surveys of other regions, and also studies relating to transportation requirements of major commodities. These studies and surveys are in progress and are of help in identifying problems of transport development in different regions. The results of the studies will be taken into account in working out the details of national and State transport plans.

अमरीकी सहायता

2066. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार द्वारा विदेशी सहायता ऋण निधि में 25 करोड़ डालर की कमी करने तथा व्याज की दर को बढ़ाने के नवीनतम निर्णय का भारत पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो चौथी योजना के दौरान भारत को मिलने वाली अमरीकी सहायता पर इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) और (ख). पता चला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वैदेशिक सहायता विधेयक, 1966, को कानून का रूप नहीं दिया गया है और वह प्रतिनिधि-सभा (हाउस आफ रेप्रेजेण्टेटिव्स) तथा सेनेट के संयुक्त सम्मेलन में विचारार्थ भेजा जा रहा है, क्योंकि प्रतिनिधि-सभा और सेनेट दोनों में से प्रत्येक ने विधेयक को संयुक्त राज्य अमेरिका के विकास ऋणों की अलग अधिकृत रकम और व्याज की अलग दर के साथ पास किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत को दी जाने वाली सहायता के प्रभाव का पता स्पष्ट रूप से तभी चलेगा जब इस विधेयक को कानून का रूप दे दिया जायगा और अंतिम रूप से अधिकृत रकम तथा भविष्य में मिलने वाले अमरीकी ऋणों की शर्तों का पता लग जायगा।

त्रिपुरा में डाक्टरों के वेतनक्रम

2067. **श्री वीरेन दत्त :**
श्री दशरथ देव :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के कुछ ऐसे एल० एम० एफ० डाक्टरों को जिनकी दस

वर्ष से अधिक सेवा हो गई है, वह वेतनक्रम नहीं मिल रहा है जो उसी श्रेणी के कुछ अन्य एल० एम० एफ० डाक्टरों को दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर): (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

अगरतला में एम० बी० बी० एस० कालेज

2068. **श्री दशरथ देव** :

श्री बीरेन दत्त :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि अगरतला (त्रिपुरा) के एम० बी० बी० एस० कालेज के कुछ प्राध्यापकों को, वेतनक्रम निर्धारित न किये जाने के कारण पुनरीक्षित वेतनक्रमों और बढ़े हुए मंहगाई भत्ते का लाभ नहीं मिल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वेतनक्रम निर्धारित करने में देरी होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर): (क) अगरतला में कोई एम० बी० बी० एस० मेडिकल कालेज नहीं है ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

त्रिपुरा में आदिम जातियों के लोगों की बेदखली

2069. **श्री दशरथ देव** :

श्री बीरेन दत्त :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966 में कैलाशहर सब डिवीजन, त्रिपुरा में आदिम जातियों की जबरन बेदखली के बारे में केन्द्रीय सरकार तथा त्रिपुरा सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कैसे बेदखल किया गया है? और

(ग) उनकी बेदखली को रोकने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) तथा (ख). 1966 में त्रिपुरा के कैलाशहर सब डिवीजन में आदिम जातियों की जबरन बेदखली के बारे में त्रिपुरा सरकार को अभ्यावेदन दिया गया था । जाचों से पता चला है कि जबरन बेदखली की कोई घटना नहीं हुई है और जहां कहीं आवश्यक हो, बेदखली पूरी तरह कानूनी उपबंधों के अनुसार की जाती है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नये पद बनाने का वित्तीय प्रभाव

2070. **श्री रामसेवक यादव :**
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न विभागों की आय-व्यय सम्बन्धी व्यवस्था के भीतर नये पदों के बनाये जाने पर लगे हुए प्रतिबन्ध को हटाने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस निर्णय से वेतन क्रमों में वृद्धि तथा मंहगाई भत्ते की बढ़ती हुई राशि के फलस्वरूप वर्तमान व्यय बढ़ जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इससे अनुत्पादक व्यय में अधिक वृद्धि नहीं होगी और मुद्रा स्फीति दबाव नहीं बढ़ेगा ; और

(घ) क्या सरकार का विचार अपने निर्णय पर पुनर्विलोकन करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) जी, हां। पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित योजनाओं या सुरक्षा प्रयोजनों के लिये आवश्यक पदों को छोड़कर अन्य पदों के निर्माण पर पिछले कुछ समय से लगी हुई रोक 15 मार्च 1966 से हटा दी गयी है जिससे मंत्रालय जून 1962 में उन्हें सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग कर सकें ।

(ख) और (ग). यह संभावना नहीं है कि रोक हटा देने से खर्च बढ़ जायगा क्योंकि मंत्रालय और अन्य अधिकारी पदों के निर्माण के मामले में उनको दिये गये अधिकारों का प्रयोग इन शर्तों के अधीन ही कर सकते हैं कि सम्बन्धित बजट- अनुदान में उनके लिये व्यवस्था हो या ऐसी विशेष बचत की गयी हो जिसका पुनर्विनियोग वे अपने अधिकारों के अन्तर्गत कर सकते हों । अधिकारियों को काम के बारे में सामान्यत: निर्दिष्ट प्रतिमान और मानदन्ड का भी ध्यान रखना होगा ।

(घ) पदों के निर्माण पर फिर से रोक लगाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधीन आयुर्वेदिक औषधालय

2071. **श्री जेधे:** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बहुत से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी तथा उनके संबंधी आयुर्वेदिक इलाज कराते हैं;

(ख) क्या यह सच भी है कि सरकारी कर्मचारियों ने अनेक बार अभ्यावेदन दिये हैं जिनमें यह मांग की गई है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उनके लिए आयुर्वेदिक औषधालय खोले जायें; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) से (ग). केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत 1 अप्रैल 1963 से गोल मार्केट क्षेत्र में एक आयुर्वेदिक औषधालय खोला गया था । दक्षिण दिल्ली के क्षेत्रों में ऐसी ही सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में मिले अभ्यावेदनों के परिणाम स्वरूप 8 मार्च, 1966 से किदवई नगर में एक दूसरा औषधालय खोल दिया गया है । इन दोनों औषधालय में दैनिक औसत उपस्थिति क्रमशः 260 और 215 है ।

दामोदर घाटी निगम

2072. **श्री प्रभात कार :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी न होने के कारण उक्त राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उस ऋण पर ब्याज न लगाने की मांग की है जो दामोदर घाटी निगम के बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई परियोजनाओं के लिए दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने दामोदर घाटी निगम की बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं के सम्बन्ध में 50 प्रतिशत व्यय वहन किया है जैसा कि दामोदर घाटी निगम अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) दामोदर घाटी निगम के बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यों पर केन्द्रीय सरकार कितना राजस्व व्यय वहन करती है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

(ग) जैसा कि दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 के खण्ड 36 के अन्तर्गत अपेक्षित है, केन्द्रीय सरकार ने बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं के लिए, 50 प्रतिशत व्यय-वहन किया है जो कि 14 करोड़ रुपये के अन्दर अन्दर ही है ।

(घ) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 के खण्ड 37 के उप-खण्ड (2) के उपबन्ध के अन्तर्गत कुछ नहीं ।

दामोदर घाटी निगम

2073. **श्री प्रभात कार :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम के नौवहन को छोड़कर अन्य सहायक कार्यों से पश्चिम बंगाल सरकार को उसके द्वारा उन पर किये गये खर्च की तुलना में कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सहायक कार्यों के लिए दामोदर घाटी निगम द्वारा व्यय किये

जाने के कारण फालतू बिजली में बहुत कमी हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप पश्चिमी बंगाल को बिजली से कम लाभ होता है, जिसका अर्थ यह है कि बाढ़ नियन्त्रण और सिंचाई के लिए उस मात्रा तक पश्चिमी बंगाल का वित्तीय दायित्व कम नहीं होता, और यदि हां, तो इस अधिकार को प्रारम्भ से ही ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस विषमतापूर्ण स्थिति को ठीक करने के हेतु दामोदर घाटी निगम अधिनियम में संशोधन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) निगम की मुख्य उपक्रियाकलाप निम्नलिखित हैं :—

(i) दामोदर नदी और उसकी उपनदियों व नालियों में, यदि कोई हो, नौपरिवहन को उन्नत व नियन्त्रित करना ।

(ii) दामोदर घाटी में भू-कटाव का नियन्त्रण करना, बनरोपन में गहनता लाना, और

(iii) दामोदर घाटी व इसके प्रचालन क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य, कृषि सम्बन्धी, औद्योगिक, आर्थिक तथा उनकी आम भलाई के लिए व्यवस्था करना ।

नौपरिवहन को छोड़कर निगम के अन्य क्रियाकलाप ऐसे नहीं हैं जिनसे कोई महत्वपूर्ण सीधा लाभ होता हो और उसको सहभागी सरकारों में आबंटित किया जा सके । परन्तु इन क्रियाकलापों से समस्त क्षेत्र को दीर्घकालीन लाभ पहुंचेगा और अधिक काल तक जलाशय के जीवन की रक्षा होगी ।

(ख) और (ग). उपक्रियाकलापों पर हुए खर्च को दामोदर घाटी निगम अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत सिंचाई, बिजली और बाढ़ नियन्त्रन के तीन मुख्य पक्षों में अनुपाततः बांटा जाता है । क्योंकि सिंचाई व बाढ़ नियन्त्रन की अपेक्षा बिजली पक्ष में अधिक पूंजी लगी है इसलिए यह स्वाभाविक है कि उपक्रियाकलापों पर हुए खर्च का अधिक भाग बिजली पक्ष में आबंटित हो । दामोदर घाटी निगम के कार्यात्मक पुर्नगठन के प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए इस स्थिति का पुनरवलोकन किया जा रहा है ।

सरकारी मुद्रणालय, संत्रागाची में कागज का स्टाक

2074. **श्री प्रभात कार** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के मुद्रणालय, संत्रागाची, हावड़ा में लगभग 50,000 वर्गफुट स्थान (फ्लोर एरिया) में छत तक भरा हुआ लगभग 10 लाख रुपये की लागत के करोड़ों छपी कागज की शीटों के ढेरों की ओर लगभग तीन वर्ष तक कोई ध्यान न दिये जाने के कारण सरकारी धन की बड़ी भारी हानि हुई है ;

(ख) उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन छपी हुई शीटों को निकालने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) से (ग). संचयन का संबंध अधिकतर परिपत्रों (फार्मों) से है। इसका कारण यह है कि जब कि मशीन रूम का उत्पादन तेज रोटरियों के लग जाने के कारण बढ़ा हुआ है, बाइन्ड्री सेक्शन की क्षमता को अब भी हाथ के कार्य करने वालों पर बहुत कुछ अंशों तक निर्भर रहना पड़ता है, जोकि उत्पादन का साथ नहीं दे पाते। विदेशी मुद्रा की कमी होने के कारण बाइन्ड्री सेक्शन में स्वचलित तेज मशीनें लगाना सम्भव नहीं हुआ है। 1,300 वर्ग फुट स्थान (फ्लोर एरिया) को घेरे हुये छपे कागजों की शीटों का संचयन हो गया था किन्तु अवशिष्टों की सफाई के लिए अतिरिक्त स्टाफ स्वीकृत कर दिया गया है। सरकारी धन की कोई हानि नहीं हुई है।

हेस्टिंग्स स्ट्रीट प्रेस, कलकत्ता

2075. **श्री प्रभात कार** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संत्रागाची में नई परियोजना की असन्तोषजनक प्रगति के कारण हेस्टिंग्स स्ट्रीट प्रेस, कलकत्ता को उसके नये स्थान पर ले जाने में विलम्ब हुआ है यद्यपि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने हेस्टिंग्स स्ट्रीट प्रेस इमारत को 1960 से पहले ही अनुपयोगी घोषित कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) हेस्टिंग्स स्ट्रीट प्रेस को उसके नये स्थान संत्रागाची में ले जाने का काम कब तक पूरा हो जायगा ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). भारत सरकार मुद्रणालय संत्रागाची का निर्माण मार्च, 1966 के अन्त तक पूरा हो जाना था ; किन्तु स्टील तथा अन्य भवन निर्माण सामग्री तथा तकनीकी बाधाओं के कारण इस समयावधि का पालन नहीं किया जा सका। जब तक कि मुद्रणालय संत्रागाची के नये भवन में नहीं जाता तब तक उपयोग के लिए ठीक बनाये रखने के लिए हेस्टिंग्स स्ट्रीट पर वर्तमान मुद्रणालय भवन की समय समय पर मरम्मत की जाती है।

(ग) आशा की जाती है कि भवन एक वर्ष में तैयार हो जायेगा।

संत्रागाची स्थित सरकारी मुद्रणालय

2076. **श्री प्रभात कार** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय ।वकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संत्रागाची स्थित सरकारी मुद्रणालय में 12 रोटरी मशीनों में से केवल एक या दो मशीनों को ही दूसरी पारी में चलाया जाता है और शेष 10 मशीनें बेकार

पड़ी रहती हैं जिससे सरकार को बाहर के ठेकेदारों के माध्यम से काम कराने पर प्रति वर्ष खर्च की जाने वाली सार्वजनिक धनराशि की आवर्ती हानि होती है ; और

(ख) शेष 10 मशीनों को दूसरी पारी में चलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). मुद्रणालयों में सामान्य रूप से दूसरी पारी नहीं चलाई जाती । वह केवल तभी चलाई जाती है जब कि उत्पादन के हित में आवश्यक हो । इस समय भारत सरकार मुद्रणालय संत्रागाची की दूसरी पारी में 2 रोटरी चलती हैं जब कि पहली पारी में 12 रोटरी चलती हैं । मुद्रणालय की दूसरी पारी में 8 और मशीन चलाने का निर्णय ले लिया गया है । आवश्यक कर्मचारियों के लिए निधियों की स्वीकृति होते ही इसे कार्यान्वित किया जायेगा ।

संतति निग्रह के लिए "गर्भाधान परिहार अवधि (सेफ पीरियड)" प्रणाली

2077. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया के डा० जान विलिंग्स ने हाल में दिल्ली का दौरा किया था और संतति निग्रह के लिए गर्भाधान परिहार अवधि (सेफ पीरियड) प्रणाली अपनाये जाने की सिफारिश की थी ; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) जी नहीं । हमें मालूम नहीं ।

(ख) 'सुरक्षित' काल वाली विधि पहले से ही संतति निग्रह की एक विधि के रूप में प्रयुक्त हो रही है ।

मद्रास में पिछड़े लोग

2078. **डा० श्री निवासन** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में कुछ वर्गों के लोगों को पिछड़े तथा सबसे अधिक पिछड़े घोषित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ग-वार उनकी संख्या कितनी कितनी है ; और

(ग) क्या उन लोगों को कोई सुविधा अथवा रियायत दी जाती है ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) (क) से (ग). भारत सरकार ने अपनी योजनाओं के प्रयोजन के लिए पिछड़ापन आंकने के लिए एक आर्थिक कसौटी विहित

की है। पर, राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के बारे में राज्य सरकारें अपनी अपनी कसौटियां अपना सकती हैं तथा इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की नीतियों में भारत सरकार दखल नहीं देती है।

लोकटक झील योजना (मनीपुर)

2079. **श्री रिशांग किशिंग**: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने लोकटक झील के सम्बन्ध में एक बहुप्रयोजनीय योजना प्रस्तावित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने इस योजना की व्यावहार्यता की जांच-पड़ताल कर ली है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) इस योजना पर कितना धन खर्च होने का अनुमान है; और

(ङ) इस योजना को कब से आरम्भ किया जायगा और वह कब पूरी होगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) मणिपुर सरकार द्वारा केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के साथ सलाह करके किया जाने वाला अनुसन्धान कार्य अभी प्रगति कर रहा है।

(ग) तथा (घ). इस समय इनका प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रि-मेडिकल तथा एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम

2080. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रि-मेडिकल तथा एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के स्थानों की व्यवस्था करनी होती है;

(ख) इन दो पाठ्यक्रम के लिए चालू वर्ष में उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कितने-कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा कितने-कितने विद्यार्थी चुने गये;

(ग) उन क्षेत्रों की आवश्यकता की तुलना में वर्तमान स्थानों से सरकार कहां तक संतुष्ट है; और

(घ) उन क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) भारत सरकार विभिन्न राज्यों में जम्मू व कश्मीर राज्य तथा उन संघ क्षेत्रों के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित

करने की व्यवस्था करती है जहां कोई मेडिकल कालेज नहीं हैं। उदाहरण के लिए मणिपुर, त्रिपुरा, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षदिवी द्वीपसमूह, उपूसी, नागा प्रदेश और दादर एवं नागर हवेली। जम्मू व कश्मीर में तथा हाल ही में शिमला में एक-एक मेडिकल कालेज खोल दिये गये हैं किन्तु जम्मू व कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ उम्मीदवारों को अभी भी अन्य मेडिकल कालेजों में रखा जा रहा है।

(ख) सूचना देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**6754/66]

(ग) और (घ). दाखिला पाने के आवेदन-पत्रों की संख्या उपलब्ध सीटों की संख्या से अधिक है। भारत में मेडिकल कालेजों में दाखिले की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए तथा योग्यता प्राप्त डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में देश में 20 से 25 तक नए मेडिकल कालेज खोलने का विचार है। इस मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों को भी लिखा है कि वे आपातकालीन विस्तार योजना के अन्तर्गत मौजूदा मेडिकल कालेजों की प्रवेश क्षमता को जहां कहीं चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण को आंच आये बिना बढ़ाना सम्भव हो यथाशीघ्र बढ़ा दें।

Charas and Opium Recovered in Tilak Nagar, Delhi

2081. **Shri Bade:** **Shri Sonavane:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya: **Shri Y. D. Singh:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that charas and opium worth Rs. 40 thousand has been recovered in Tilak Nagar, Delhi;

(b) if so, the place from where they had been brought; and

(c) the action taken in the matter?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) Yes, Sir. Delhi Police raided a house in Mukhram Park under the jurisdiction of Tilak Nagar Police Station, on 7th July, 1966 and recovered 19.100 kilogrammes of charas valued at about Rs. 15,000/-and 29.800 kilogrammes of opium valued at Rs. 25,000/-.

(b) Charas was brought presumably from Nepal and the opium probably from Madhya Pradesh.

(c) Three persons have been arrested by the Delhi Police and the two cases registered under Excise and Opium Acts are still under investigation.

अलंकार हाउसिंग कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

2082. **श्री मधु लिमये :**

श्री किशन पटनायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 जुलाई, 1966 को कर अपवंचन तथा अन्य (कानून के)

उल्लंघनों के सम्बन्ध में सरकारी जांच अधिकारियों ने एम—47, कनाट सरकस, नई दिल्ली स्थित अलंकार हाउसिंग कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में छापा मारा था;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई दस्तावेज, नकदी और जेवरात जब्त किये गए थे;

(ग) क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही चलाई गई है; और

(घ) उपरोक्त भाग (ख) तथा (ग) में उल्लिखित मामलों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां, कर की चोरी के सन्देह के सम्बन्ध में छापा मारा गया था।

(ख) नकदी और दस्तावेज पकड़े गये थे ।

(ग) जी हां ।

(घ) 51,939.68 रुपये की नकदी और कई बही खाते तथा दस्तावेज पकड़े गये थे। पकड़े गये कागजों की जांच की जा रही है। आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।

त्रिपुरा में अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

2083. **श्री दशरथ देव :**

श्री वीरेन दत्त :

क्या **योजना तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले 10 वर्षों में त्रिपुरा में अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए नियत की गई कोई धनराशि सामान्य कार्यों पर खर्च की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि खर्च की गई और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख). यह सूचना त्रिपुरा सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा जैसे ही यह प्राप्त होगी सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

त्रिपुरा में आदिम जाति विकास खण्ड

2084. **श्री दशरथ देव :**

श्री वीरेन दत्त :

क्या **योजना तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के प्रत्येक आदिम जाति विकास खण्ड में कितने प्रतिशत आदिम जाति लोग रखे गये हैं;

(ख) क्या यह प्रतिशतता संतोषजनक है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) से (ग). यह सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

जापान से सहायता

2085. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भारत को 14 करोड़ डालर का ऋण देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस ऋण का किस प्रकार उपयोग करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

मैसूर में ग्राम जल सम्भरण योजनाएं

2086. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने मैसूर के देहाती क्षेत्रों में पेय जल का सम्भरण करने वाली योजनायें, जिन पर 20 करोड़ रुपये खर्च आयेंगे , मंजूरी के लिये भेजी हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के बीच इन योजनाओं के बारे में मंत्री स्तर अथवा अधिकारी स्तर पर कोई बातचीत हुई थी;

(ग) क्या इन योजनाओं में पेय जल के कुओं सम्बन्धी योजनाओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्राम जल सम्भरण योजनायें भी सम्मिलित हैं;

(घ) केन्द्रीय सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना में मैसूर राज्य के सभी गांवों में पेय जल के कुओं की व्यवस्था करने में कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) जी नहीं । तथापि अगस्त, 1963 में मुख्य अभियन्ता मैसूर से मूल्यांकन रिपोर्ट की एक रूप-रेखा मिली थी जिसमें यह बतलाया गया था कि राज्य की सारी ग्रामीण आबादी के लिए जल व्यवस्था करने पर लगभग 24 करोड़ रुपये की लागत आयेगी । तीसरी योजना अवधि में मैसूर सरकार से 2.30 करोड़ रुपये की लागत की योजनाओं के प्रारूप और प्राक्कलन प्राप्त हुए थे ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) 2.30 करोड़ रुपये की लागत वाली योजनाओं के प्रारूप और प्राक्कलनों को मंजूर कर लिया गया था ।

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करना मुख्यतया राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्हें इसके लिए राज्य योजना के सीलिंग में से आवश्यक धन की व्यवस्था करनी होती है। राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के रूप में 50 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान देने का जो सामान्य पैटर्न है वह राज्य सरकार को उनकी मांग के अनुसार दे दिया जायेगा।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास एवं सहकार मंत्रालय (सामुदायिक विकास विभाग) भी स्थानीय विकास कार्यों के अधीन साधारण कुओं की व्यवस्था के लिए केन्द्रीय सहायता दे रहा है।

दिल्ली में सहकारी औद्योगिक बस्तियों के लिये भूमि

2087. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्रत्येक सहकारी औद्योगिक बस्ती को कितनी भूमि दी गई है ;

(ख) बस्ती के सदस्यों को आवंटित किये जाने वाले प्लाटों के आकार के सम्बन्ध में कोई शर्तें निर्धारित की गई हैं अथवा उनके सदस्यों को आवंटित किये जाने वाले प्लाटों अथवा उनके आकार के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई नियंत्रण अथवा रोक लगाई जाती है ;

(ग) क्या सरकार को कुछ ऐसी शिकायतों के बारे में पता चला है कि कुछ सदस्यों को काफी ज्यादा जमीन दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). निम्नांकित छः सहकारी औद्योगिक बस्तियों को 486 एकड़ भूमि आवंटित की गयी है :—

(1) मोहन कोअपरेटिव इन्डस्ट्रीयल एस्टेट (225 एकड़)

(2) मैन्यूफैक्चरर्स कोअपरेटिव इन्डस्ट्रीयल एस्टेट (106 एकड़)

(3) राजस्थानी कोअपरेटिव इन्डस्ट्रीयल एस्टेट (40 एकड़)

(4) एस० एम० ए० कोअपरेटिव इन्डस्ट्रीयल एस्टेट (35 एकड़)

(5) प्लान्ट मैन्यूफैक्चरर्स कोअपरेटिव इन्डस्ट्रीयल एस्टेट (35 एकड़)

(6) स्माल स्केल कोअपरेटिव इन्डस्ट्रीयल एस्टेट (35 एकड़)

अन्तिम तीन औद्योगिक बस्तियों को भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है। बस्ती के सदस्यों को आवंटित किये जाने वाले प्लाटों का आकार प्रत्येक मामले की पात्रता तथा वे किस प्रकार का उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उसके प्रसंग में तय किया जाता है।

(ग) जी नहीं, किन्तु यदि इस मंत्रालय के नोटिस में कोई विशेष मामला लाया जाये तो उस मामले की जांच की जायेगी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में विकास सम्बन्धी विषमतायें

2088. **श्री पोट्टेकाट्ट** :

श्री अ० व० राघवन :

श्री मुहम्मद कोया :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल के तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण में बताई गई त्रावनकोर-कोचीन और मलाबार में वर्तमान विषमताओं को कम से कम करने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो निम्नलिखित मदों के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में विषमताओं को कम से कम करने के लिये मंजूर की गई योजनाओं का स्वरूप क्या है :

(1) शिक्षा, (2) सड़कें, (3) स्वास्थ्य, (4) रोजगार, (5) विद्युत, (6) उद्योग, (7) सिंचाई और (8) कृषि ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) (क) और (ख). विस्तृत कार्यक्रम के बारे में राज्य सरकार से ठीक ठीक सूचना मांगी गई है । जैसे ही सूचना प्राप्त होगी वह सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

लूप (आई० यू० सी० डी०) प्रणाली द्वारा परिवार नियोजन

2089. **डा० श्रीनिवासन**:

श्री परमशिवन:

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में परिवार नियोजन की "लूप" प्रणाली को क्रियान्वित नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) (क) जी नहीं, सभी राज्य गर्भाशयी गर्भरोधक (लूप) कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहे हैं । जहां कुछ राज्यों ने इस दिशा में काफी अच्छा काम किया है वहां कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां इतना अच्छा काम नहीं हुआ है ।

(ख) मद्रास, उड़ीसा, जम्मू व काश्मीर, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गर्भाशयी गर्भरोधकों के प्रयोग की निष्पति इतनी अच्छी नहीं है ।

(ग) इन सम्बन्धित राज्यों से यह कार्यक्रम तेजी से चलाने का अनुरोध किया गया है ।

जहां कहीं डाक्टरों की कमी होती है, जिससे कि इस कार्यक्रम की प्रगति में बाधा पड़ती है, भारत सरकार वहां डाक्टरों की व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है। इस कार्य के लिए डाक्टरों की एक टास्क फोर्स बना दी गई है।

मंहगाई भत्ता आयोग

2090. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों ने सरकार द्वारा घोषित किये गये महंगाई भत्ता आयोग के निर्देश-पदों का स्वागत नहीं किया है और उन्होंने उसमें कुछ संशोधन करने की मांग की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारियों ने इस आयोग में कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि लिये जाने की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां। कर्मचारियों की कुछ संस्थाएं निर्देश-पदों को संतोषजनक नहीं समझतीं।

(ख) यह मांग कुछ संस्थाओं द्वारा की गई है।

(ग) निर्देश-पदों में इस बात की काफी गुंजाइश है कि आयोग अपनी सिफारिशें करने में सभी सम्बन्धित बातों को ध्यान में रख सके।

अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव करते समय सर्वाधिक निरपेक्षता का पूरा ध्यान रखा गया है जिससे आयोग को सभी सम्बन्धित पार्टियों का पूरा विश्वास प्राप्त हो सके। इसी सिद्धान्त के आधार पर सरकार अथवा कर्मचारियों के किसी प्रतिनिधि को आयोग में शामिल करना आवश्यक नहीं समझा गया।

उठाऊ सिंचाई योजनाओं के लिये बिजली

2091. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात का पता है कि बिजली के कनेक्शन देने में देरी हो जाने के कारण तीसरी योजना में मंजूरशुदा उठाऊ सिंचाई योजनाएं पूरी नहीं हो सकी हैं; और

(ख) यदि हां, तो सिंचाई और खाद्य उत्पादन की उपेक्षा करके घरेलू प्रयोग के लिये बिजली का दिया जाना रोकने और उठाऊ सिंचाई योजनाओं के लिये बिजली देने तथा इन योजनाओं को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). जानकारी राज्यों से एकत्रित की जा रही है और इसको यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

केरल में सिंचाई परियोजनायें

2092. **श्री अ० क० गोपालन :**

श्री प० कुन्हन :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के लिये 30 करोड़ रुपये नियत किये जाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). मुख्य अभियन्ता (सिंचाई) केरल, ने एक कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें चौथी योजना में बड़ी तथा मंझली परियोजनाओं के लिये 30 करोड़ रुपये के खर्च की परिकल्पना की गई है । इस पर विचार किया जा रहा है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल में उद्योग

2093. **श्री प० कुन्हन :**

श्री अ० क० गोपालन :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार को चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल में कोई नये और बड़े उद्योग स्थापित करने के लिये सुझाव दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित उद्योगों के नाम क्या हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता). (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र में केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित नई मुख्य औद्योगिक परियोजनाएं निम्न प्रकार हैं :—

(1) बाल और रोलर बेयरिंग परियोजना ;

(2) बायलर संयंत्र ;

(3) जरकोनियम और उसके उपकरणों के निर्माण के लिए संयंत्र ;

(4) सफेद फासफोरस परियोजना ;

(5) उर्वरक परियोजना ;

(6) फार्म उपकरण और मशीनरी के निर्माण के लिए परियोजना ;

(7) दूसरी केबल यूनिट ।

दिल्ली में राज्य भवन

2094. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने नई दिल्ली में राज्य भवन बनाने के लिये भूमि की मांग की है अथवा उसके लिये आवेदन पत्र दिये हैं ;

(ख) कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं और कितने नामंजूर कर दिये गये हैं ;

(ग) आवेदकों को भूमि उपलब्ध कराने की कितनी संभावना है ; और

(घ) भूमि के लिये आवेदन पत्रों को नामंजूर करने के यदि कोई कारण हैं तो क्या ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (घ). निम्नांकित राज्यों/संघ क्षेत्रों ने राज्य भवनों/अतिथि भवनों के निर्माण के लिए नई दिल्ली में भूमि के आवंटन की मांग की थी :—

1. असम
2. मध्य प्रदेश
3. उत्तर प्रदेश
4. उड़ीसा
5. बिहार
6. मद्रास
7. जम्मू तथा कश्मीर
8. मैसूर
9. गुजरात
10. पंजाब
11. मनीपुर
12. हिमाचल प्रदेश
13. नागालैन्ड
14. पाँडचेरी

क्रम संख्या 1 से 9 तक की राज्य सरकारों को डिप्लोमैटिक एन्क्लेव, नई दिल्ली में भूमि आवंटित कर दी गयी है। क्रम संख्या 10 से 12 तक की राज्य सरकारों/प्रशासनों के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि उपयुक्त प्लाट उपलब्ध नहीं थे नागालैन्ड की सरकार तथा पाँडचेरी प्रशासन के अनुरोध विचाराधीन हैं।

नई दिल्ली स्थित नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यालय में रिक्त पद

2095. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के कार्यालय में इस समय कितने पद रिक्त पड़े हैं ; और

(ख) सरकार ने इन पदों को भरने के लिये क्या प्रबन्ध किया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 20

(ख) ये पद नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा भरे जाने हैं न कि सरकार द्वारा। ये पद नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा प्रशासनिक सुविधा अनुसार भरे जायेंगे।

उड़ीसा में आयकर की बकाया राशि

2096. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1966 तक उड़ीसा में आयकर की कितनी राशि बकाया थी ; और

(ख) सरकार ने इस बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 30-6-1966 को उड़ीसा में बकाया आयकर की कुल बाकी रकम 3.92 करोड़ रुपये थी।

(ख) प्रत्येक मामले के गुण-दोष तथा परिस्थिति के अनुसार, कानून के अन्तर्गत सभी सम्भव कार्यवाही सरकार द्वारा की जा रही है।

भुवनेश्वर स्थित महा लेखापाल के कार्यालय में रिक्त पद

2097. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर (उड़ीसा) स्थित महा-लेखापाल के कार्यालय में इस समय सभी श्रेणियों के कितने पद रिक्त पड़े हैं ; और

(ख) इन रिक्त पदों को भरने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना मांगी गई है और मिलते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

भुवनेश्वर में महा-लेखापाल (अकाउन्टेन्ट जनरल) का कार्यालय

2098. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर (उड़ीसा) में महा-लेखापाल के कार्यालय में इस समय सभी वर्गों के कितने कर्मचारी हैं ; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) और (ख). आज तक की सूचना महालेखाकार, उड़ीसा से मंगवाई गयी है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी। बहरहाल, 9 दिसम्बर 1965 को माननीय सदस्यों द्वारा इसी विषय पर पूछे गये प्रश्न संख्या 2171 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

नई दिल्ली स्थित नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक के कार्यालय में कर्मचारी

2099. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यालय में इस समय सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 454

(ख) अनुसूचित जातियों के कर्मचारी	31
अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	2

केरल में इन्जीनियरी कर्मचारी

2100. **श्री प० कुन्हन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल सरकार के विद्युत् तथा लोक निर्माण विभागों में इन्जीनियरी कर्मचारियों के वेतनक्रमों में असमानता है; और

(ख) क्या इन दोनों विभागों के इंजीनियरी कर्मचारियों के वेतन क्रमों को एकसा करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के कुछ वर्गों के वेतन-मानों में कुछ अन्तर है ।

(ख) जी नहीं ।

राजौरी गार्डन नई दिल्ली में श्मशान भूमि

2101. **श्री बाल्मीकी** : क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राजौरी गार्डन, नई दिल्ली में ब्लाक नं० जे-11 एक्स-टेंशन में एक 'श्मशान भूमि' है ;

(ख) क्या उस क्षेत्र के निवासियों ने इस बारे में सरकार को कोई शिकायत भेजी है ;

(ग) क्या कुछ लोगों ने श्मशान भूमि के कारण अपने मकान छोड़ दिये हैं ;

(घ) क्या इस श्मशान घाट को किसी अन्य स्थान पर ले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) इसकी सूचना न तो सरकार को है और न दिल्ली नगर निगम को ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) उस क्षेत्र में कोई वैकल्पिक उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं है ।

कलकत्ता के अस्पताल

2102. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या 12 जून 1966 के "स्टेट्स-मैन" में 'कलकत्ता के अस्पतालों में अव्यवस्था' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक समाचार की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पुर्जों के अभाव में कीमती उपकरण बेकार पड़े हुए हैं ; और

(ग) पुर्जों को प्राप्त करने में विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). यह विषय राज्य सरकार से सम्बन्धित है, जिन्होंने तथ्य जानने तथा

उपकरणों के उचित उपयोग के मार्गोपाय सुझाने के लिए एक समिति नियुक्त की है। राज्य सरकार इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है।

Smuggling of Gold in Model Town, Delhi

2103. **Shri Mohan Swarup:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that some residents of Model Town, Delhi are carrying on gold smuggling on a large scale;

(b) if so, the steps taken in this regard; and

(c) if not, the reasons for the failure of his Ministry to put an end to the activities of such gangs?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) The Government are aware that some residents of Model Town, Delhi and their associates were engaged in gold smuggling.

(b) One person has been prosecuted and convicted. The question of prosecuting a few others is at present under consideration.

(c) Does not arise.

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

वामपक्षी साम्यवादी दल द्वारा कथित "तोड़-फोड़ की नीति"

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): श्रीमान्, मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं:

"वामपक्षी साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति की तेनाली में हुई बैठक में निश्चित की गई कथित "तोड़-फोड़ की नीति" (स्ट्रेटेजी आफ सेबोटाज) के बारे में दिनांक 10 अगस्त, 1966 के **स्टेट्समैन** में प्रकाशित समाचार।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): यह आश्चर्य की बात है कि इस समाचार के सम्बन्ध में यह दावा किया गया है कि वह गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना पर आधारित है। समाचार में बतायी गई किसी प्रकार की सूचना गृह-कार्य मंत्रालय ने नहीं दी है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): यद्यपि गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि गृह-कार्य मंत्रालय ने कोई सूचना नहीं दी है, तथापि यह समाचार एक विशेष राजनैतिक दल के विरुद्ध जनता में असन्तोष फैलाने के लिए जानबूझ कर किया गया प्रयत्न है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय ने उसका खण्डन किया है।

श्री नन्दा : मैंने इस बारे में "स्टेट्समैन" को सूचित कर दिया है ।

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड): मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह समाचार कैसे छपा है और गृह-कार्य मंत्री इसका खण्डन करने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री नन्दा : इस सम्बन्ध में मैं काफी कह चुका हूं । मैं उस बैठक में उपस्थित तो था नहीं। उसमें हुई कार्यवाही का अधिकृत निर्वचन मैं कैसे दे सकता हूं ।

श्री उमानाथ (पुद्दकोटै): क्या मैं जान सकता हूं कि आगामी चुनावों में कांग्रेस के विरुद्ध गठजोड़ करने से विरोधी दलों को रोकने के लिए गृह-कार्य मंत्रालय के कुछ अफसरों ने यह जानकारी कुछ संवाददाताओं को दी है ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि): 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार गृह-कार्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि गुप्त सूचना के अनुसार वामपक्षी साम्यवादी दल की कार्यकारिणी में तोड़-फोड़ की एक योजना पर विचार किया गया था परन्तु बहुमत ने उसे अस्वीकार कर दिया था । क्या गृह-कार्य मंत्री इसका भी खण्डन करेंगे ?

श्री नन्दा : मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । माननीय सदस्य ने पूरा समाचार पढ़कर नहीं सुनाया है । इसमें आगे लिखा हुआ है कि वामपक्षी नेताओं के विचार में डांगे ग्रुप ऐसे समाचार प्रसारित कर रहा है ताकि उन्हें गिरफ्तार कराया जाये ।

श्री म० ना० स्वामी (ओंगोल): क्या गृह-कार्य मंत्री जांच कराने के लिए तैयार हैं ताकि यह मालूम हो सके कि कौन से अधिकारी ने यह जानकारी दी है ?

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा): सरकार इस प्रकार के शरारत भरी समाचारों के लिए उकला रही है। उन्हें यह समझ लेना चाहिए** **(अन्तर्बाधायें)**

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार आक्षेप नहीं किया जाना चाहिए **(अन्तर्बाधायें)** । उन्हें मंत्री महोदय के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहिए न ही मैं मंत्री महोदय को किसी सदस्य के विरुद्ध ऐसी बात कहने की अनुमति दूंगा । मैं माननीय सदस्य को यह शब्द वापिस लेने के लिए कहता हूं ।

श्री वासुदेवन नायर : मैं यह शब्द वापिस लेने के लिए तैयार नहीं हूं ।

अध्यक्ष महोदय : तब माननीय सदस्य सभा से उठकर चले जाएं **(अन्तर्बाधायें)** ।

**अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

इसके बाद श्री वासुदेवन नायर सभा से उठकर चले गये ।
(Shri Vasudevan Nair then left the House)

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य): क्या सरकार किसी ऐसे षडयंत्र की बातें करती चली जायेगी जिसका हमारे दल के सभी सम्बन्धित लोगों ने खण्डन किया है। इस देश में कार्य कर रहे विरोधी दलों के विरुद्ध, जो अब सरकार का सामना करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, इस प्रकार अखिल भारतीय पैमाने पर प्रचार किया जा रहा है।

श्री नन्दा : मैंने इस प्रकार का कोई प्रचार नहीं किया है।

श्री दाजी (इन्दौर): इस समाचार में यह भी कहा गया है कि मंत्रालय के अनुसार रेलवे में हाल ही की तोड़-फोड़ की कार्यवाही इस योजना का पहला परिणाम है। इस समाचार में जगह-जगह पर सरकारी स्रोतों, मंत्रियों तथा अफसरों द्वारा दी गई सूचना का उल्लेख है। इसे देखते हुए "स्टेट्समैन" को केवल पत्र लिख देना ही पर्याप्त नहीं है। क्या सरकार इस समाचार का सरकारी तौर पर खण्डन करेगी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर): मैं यह जानना चाहती हूं की क्या न केवल अफसरों बल्कि गृह-कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित अन्य लोगों के विरुद्ध भी जांच की जायेगी।

श्री नन्दा : मुझे इनके पूरे रिकार्ड और कार्यवाही आदि कि जांच करनी पड़ेगी। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : प्रश्न हमारे रिकार्ड की जांच करने का नहीं बल्कि मंत्री महोदय के सहयोगी के रिकार्ड की जांच करने का है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): प्रजा समाजवादी दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य प्रो० दंडावते ने समाचार सम्मेलन में एक वक्तव्य में कहा है कि वह साम्यवादियों को चुनौती देते हैं कि वे उन पर मुकदमा चला कर यह सिद्ध करें कि उन पर लगाया गया तोड़-फोड़ का आरोप गलत है।

श्री नन्दा : इस चुनौती से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है ?

स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में
Re. MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES

अध्यक्ष महोदय : 10 अगस्त को शिलांग में हुई गोलाबारी के सम्बन्ध में मुझे कई स्थगन तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनायें प्राप्त हुई हैं। श्री स्वैल यह बतायें कि यह स्थगन प्रस्ताव का विषय कैसे बन सकता है।

श्री स्वैल (आसाम-स्वायत्तशाली जिले): कल शिलांग में जो घटनायें घटी हैं, उनसे केन्द्रीय सरकार की असफलता स्पष्ट प्रगट होती है। प्रथम बात तो यह है कि लोगों पर सीमावर्ती सुरक्षा-

दल ने गोली चलाई है जिसके कारण 5 व्यक्ति मरे तथा 117 घायल हुए। सीमावर्ती सुरक्षा सेना राज्य सरकार की नहीं, बल्कि केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरे, यह समाचार आ रहे हैं कि शिलांग नगर में शान्ति तथा व्यवस्था का नियंत्रण सेना ने अपने हाथ में ले लिया है और सिख रेजीमेन्ट का दस्ता शिलांग के सचिवालय की सुरक्षा कर रहा है।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी): असम के सीमावर्ती राज्य में सांवैधानिक तंत्र लगभग समाप्त हो चुका है। इन उपद्रवों का मूल कारण खाद्यान्न की कमी और मूल्य बढ़ना है। यह जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है कि देश के किसी भी हिस्से में ऐसा न हो।

आसाम में सत्तारूढ़ दल तथा विशेष रूप से मंत्रिमन्डल के बीच मतभेद है और इन सभी उपद्रवों के लिए यह भी जिम्मेदार है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): अनुच्छेद 353 (क) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के आवश्यक निदेश जारी न करने से मेरा स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धित है। वह अनुच्छेद 355 की आवश्यकतायें पूरी करने में भी असफल रही है जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आन्तरिक उपद्रव से बचाना केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है। केन्द्रीय सरकार पर्याप्त मात्रा में उचित मूल्यों पर चावल देने में असफल रही है और इस उपद्रव का मूल कारण यही है। इसलिए, इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी जानी चाहिए।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : A part of the state of Assam is scheduled area and, therefore, Articles 244 and 359 and Fifth Schedule are applicable to the state and the Central Government is responsible through the Governor.

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): यह कहा गया है कि सेना ने सिविल अधिकारियों से नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। हमारी सूचना के अनुसार यह ठीक नहीं है। जिस विशेष दल को गोली चलानी पड़ी, वह आसाम सशस्त्र पुलिस का अंग है, न कि सेना का। सीमावर्ती सुरक्षा सेना को उनके काम में सहायता करने के लिये दिया गया था। अन्यथा संविहित रूप से उस पर आसाम सरकार का नियंत्रण है। यदि कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र हो तो जो कुछ भी वहां होता है, उसके लिए केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी नहीं हो जाती। इसके अतिरिक्त, इस विशेष मामले में मेरी सूचना यह है कि जहां गोली चलाई गई है, वह अनुसूचित क्षेत्र का भाग नहीं है।

श्री स्वैल : यह गलत है। बड़ा बाजार खासी जैंतिया पहाड़ी जिलों के जिला परिषद् के अधीन है और यह संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत आता है, अतः मंत्री महोदय का कथन भ्रांतिपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक अनुच्छेद 356 और 244 का सम्बन्ध है, वह इस मामले में लागू नहीं हो सकते। माननीय मंत्री ने इस बात से इन्कार किया है कि वहां सेना ने कार्यभार सम्भाला है, जिस क्षेत्र में गोली चलाई गई है, उसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय आज दिन के दौरान पता लगायें कि क्या वह अनुसूचित क्षेत्र है अथवा नहीं ताकि मैं इस प्रश्न पर विचार क

सकूं । यद्यपि यह सुरक्षा सेना है, फिर भी यह कहा गया है कि उसने सेना के निदेश व नियंत्रण में कार्य किया है । इसकी जटिलताओं पर भी विचार करना होगा । इसलिए, मैं इस मामले को कल सुबह तक के लिए स्थगित करता हूं । आशा है कि मंत्री महोदय कल तक सूचना प्राप्त कर लेंगे ।

Shri Rameshwaranand (Karnal) : Kindly permit me to speak. You listen everybody but you are not allowing me to speak. I don't understand why you consider us untouchable when you want to abolish untouchability. You kindly listen to me.

Mr. Speaker : Being a member of this House and Swami otherwise, I fully respect you. You should not prevent the proceedings of the House like this. You are obstructing the proceedings every day and then complain that I do not listen to you. At this time I will listen only those from whom I have received notices. If you insist, I will request that you leave the House.

Shri Rameshwaranand : My going out will not solve the question. Hundreds of Sadhus are drenching in the rains.

Mr. Speaker : Will you go or not?

Shri Rameshwaranand : I am going but this will not satisfy us.

[**Shri Rameshwaranand left the House**
श्री रामेश्वरानन्द सदन से बाहर चले गये]

श्री मं० रं० कृष्ण (पेछपल्लि) : स्वामी जी ने कहा कि हम को अछूत समझ रखा है और आपने उत्तर में कहा कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं । इसका अर्थ यह है कि आप केवल स्वामी का आदर करते हैं और हरिजनों का अनादर करते हैं । संसद के अधिनियम के अधीन यदि कोई जाति के आधार पर अनादर करता है तो उसे सजा दी जाती है । आप स्वामियों का आदर क्यों करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं विपक्षी दलों से अनुरोध करता हूं कि वे सभा की मर्यादा बनाये रखने में सहयोग दें ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know about cow-slaughter.

Mr. Speaker : Will you go out or not?

[**Shri Hukam Chand Kachhavaiya left the House**
श्री हुकम चन्द कछवाय सदन से बाहर चले गये]

विशेषाधिकार के बारे में

QUESTION OF PRIVILEGE

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Two statements have been circulated by Shri C. Subramaniam. In one statement he says: "In the end, I would like to submit that no **prima facie** case has been made out for reference to the Privileges Committee". In the other statement this sentence has been omitted. I want to know whether such a statement was made by him?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया जिसमें यह पंक्ति हो।

Shri Madhu Limaye : Under rule 368 of the Rules of Procedure, if a Minister quotes in the House a despatch or a government document which has not been presented to the House, he shall lay the relevant paper on the Table. The Hon. Minister has quoted two documents in his statement in the House yesterday and this, as said by him, led him to commit a mistake in his statement on 18th May, 1966. These two documents should be presented before the House so that it can be decided whether the privilege has been breached or not.

Secondly you had permitted the Hon. Minister to appear before P. A. C. But according to our traditions, "A Minister shall not be called before the committee either to give evidence or for consultation in connection with the examination of estimates or accounts by the committee.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को बुलाया नहीं गया था। इस मामले में उन्होंने समिति के सामने उपस्थित होने की इच्छा प्रकट की थी। लोक लेखा समिति ने उसे नहीं बुलाया था।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : नियम संख्या 275 जिसका स्पष्टीकरण अध्यक्षपीठ से दिये गये निदेश 58 के अन्तर्गत किया गया है उसमें कहा गया है कि जब साक्षी समिति के सामने साक्ष्य देने आयें तो सभापति साक्षियों को यह स्पष्ट कर देगा कि उनका साक्ष्य सार्वजनिक समझा जायेगा और प्रकाशित किया जा सकता है जब तक कि वे स्पष्टतः यह न चाहें कि उनके द्वारा दिया गया पूरा साक्ष्य या उसका कोई अंश गोपनीय समझा जाये। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या उन साक्षियों ने, जो लोक लेखा समिति के सामने उपस्थित हुए थे, समिति को यह बताया था कि उनका पूरा साक्ष्य अथवा उसका कोई भाग गोपनीय रखा जाएगा। यदि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था तो उस साक्ष्य को सार्वजनिक रूप में प्रकट किया जाए।

निदेश के अन्तिम भाग के अनुसार साक्षियों को यह भी स्पष्ट बताया जाना था कि भले ही वे यह चाहें कि उनका साक्ष्य गोपनीय समझा जाए, वह साक्ष्य संसद-सदस्यों को उपलब्ध किया जा सकेगा। अतः "जनता" तथा "संसद-सदस्यों" में भेद किया गया है। यदि उसे सार्वजनिक रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता तो भी संसद-सदस्यों को साक्ष्य लेने का पूरा अधिकार है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप निदेश दें कि इस सभा के प्रत्येक सदस्य को पूरा अधिकार है कि वह समिति के समक्ष दिये गये 55 वें तथा 50 वें प्रतिवेदन से सम्बन्धित साक्ष्य ले सकते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : यह सत्य है कि समिति के सामने दिये गये साक्ष्य को संसद-सदस्यों से गोपनीय नहीं रखा जा सकता। तथापि सभा की समितियों के सदस्यों ने अपने आप अपने ऊपर कुछ प्रतिबन्ध लगाये हुये हैं। प्राक्कलन समिति के सभापति ने समिति के सामने आने वाले साक्षियों को यह अनिवार्यतः बता दिया था कि वे आश्वस्त रहें कि उनका साक्ष्य गोपनीय रखा जायेगा। यदि यह प्रतिबन्ध न रखा जाये तो सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों तथा गैर-

सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए यह सम्भव नहीं होगा कि वे समिति के सामने स्वतंत्र तथा स्पष्ट रूप से बोल सकें। प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति तथा लोक-लेखा समिति इस प्रकार कार्य करती हैं कि जो साक्षी उनके सामने साक्ष्य देने आते हैं, वे अपना साक्ष्य स्वतंत्र, स्पष्ट तथा निर्भीक रूप से दे सकते हैं क्योंकि वे यह जानते हैं कि उनका साक्ष्य गोपनीय रखा जायेगा। यदि सभा यह चाहती है कि ऐसे साक्ष्य को सार्वजनिक रूप में प्रकट किया जाए तो यह पूर्णतया स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि आगे से इन समितियों के सामने दिये गये साक्ष्य को सार्वजनिक रूप में प्रगट किया जायेगा। ऐसा करने से समिति को सरकारी कर्मचारियों का स्पष्ट दृष्टिकोण जानने में कठिनाई होगी।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : जहां तक मंत्री के साक्ष्य का सम्बन्ध है, आपने विनिर्णय दिया था कि साक्ष्य का वह अंश सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। तब मैने विशेष तौर से अनुरोध किया था कि 50वें प्रतिवेदन पर मंत्रालय द्वारा समिति के सामने भेजे गये पूरे साक्ष्य को सभा-पटल पर रखा जाना चाहिये। उसके उत्तर में आपने कहा था कि 'मैं इस पर विचार करूंगा' अभिलेखों का जहां तक सम्बन्ध है , यह स्थिति है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : यह कहना ठीक नहीं है कि देश के संसद सदस्यों को साक्ष्य उपलब्ध कराने से कर्मचारी सच्चाई छोड़ देंगे। यह उन कर्मचारियों के मस्तिष्क में कुछ पूर्व धारणायें भरने के बराबर है। समिति के सभापति को यह अधिकार नहीं है कि वह कर्मचारी को बतायें कि उनका साक्ष्य गोपनीय रखा जायगा जब कि यह निदेश के प्रतिकूल है। सच्चाई का पता लगाना तथा यह देखना हमारा कर्तव्य है कि वे प्रश्नों का उत्तर टालते नहीं हैं। समिति इस आधार पर अपनी रिपोर्ट देती है कि उसके सदस्य किस बात को ठीक समझते हैं। इसलिए संसद सदस्यों से किसी बात को गोपनीय न रखा जाय। हमने केवल प्रस्तुत मामले के संम्बन्ध में निर्णय देना होता है। यदि कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक हैं तो यह उचित है कि वे अभिलेख इत्यादि उपलब्ध कराये जायें। इस विषय पर निदेश बिल्कुल साफ है। आप उस प्रलेख को अपने प्रकोष्ठ में रख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने प्रकोष्ठ में प्रलेख का अध्ययन करने के लिए किसी माननीय सदस्य को अनुमति दे सकता हूं। यदि वह इसे प्रयोग करता है तो वह सार्वजनिक बन जाता है यदि सदस्य इसका प्रयोग नहीं करते तो वह उनके लिए व्यर्थ है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : मुझे तथा, मेरा विश्वास है कि सारी सभा को, इस बात को चिन्ता है कि देश में ऐसी भावना पैदा होने नहीं देना चाहिए कि कुछ छिपाया जा रहा है। संसद सदस्यों को यह अधिकार है कि वे प्रत्येक दस्तावेज को देख सकते हैं यद्यपि जनता को यह अधिकार नहीं है। हमें यह अधिकार उपयोग में लाना चाहिए। नियम तथा आपके निदेश इस सम्बन्ध में बड़े स्पष्ट हैं। अध्यक्ष महोदय को यह निदेश देना चाहिए कि इस मामले में संसद-सदस्यों को प्रत्येक सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध कराई जाय।

श्री जी० भा० कृपालानी (अमरोहा) : मेरा सुझाव यह है कि यह एक अपवाद वाला

मामला है और पहले कभी ऐसा दृष्टांत उपस्थित नहीं हुआ था। कोई मंत्री इससे पूर्व लोक-लेखा समिति के सामने उपस्थित नहीं हुआ है। इन परिस्थितियों में, कोई पूर्वोदाहरण बनाये बिना संसद-सदस्यों को साक्ष्य उपलब्ध किया जाना चाहिए।

श्री खाडिलकर (खेड) : यह अनुरोध किया जा रहा है कि लोक-लेखा समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य संसद-सदस्यों को उपलब्ध कराया जाय। समिति के सामने दिये जाने वाले प्रत्येक साक्ष्य पर बड़े शान्तिपूर्वक तथा संतुलित तरीके से विचार किया जाता है और फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। यदि साक्ष्य के सम्बन्ध में इस समय कोई छानबीन की जायगी तो उसका परिणाम यह होगा कि लोक-लेखा समिति के निष्कर्षों को चुनौती दी जायगी। कुछ प्रथाओं को छोड़कर, जिनका यह समिति पालन करती है, इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विशेषाधिकार का प्रश्न समिति के निष्कर्षों के आधार पर उठाया गया है। क्या अब सदस्यों को अनुमति दी जा रही है कि वे साक्ष्य पर पुन: विचार करें और कुछ तर्क प्रस्तुत करें। क्या यह समिति के प्रतिवेदन के अन्तिम रूप को चुनौती देना नहीं होगा।

श्री दाजी (इन्दौर) : इस प्रश्न का सम्बन्ध संसद-सदस्यों के अधिकारों से है। सभा के समक्ष विशेषाधिकार के प्रश्न के अतिरिक्त यह संसद-सदस्यों के अधिकारों का एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय जो कुछ निर्णय देंगे, वह सुस्थापित प्रथा बन जायगी। इसलिए, हमें निर्णय में जल्दी नहीं करनी चाहिए अपितु इस विषय पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कल हमने आपसे निवेदन किया था कि मंत्री महोदय के साक्ष्य सहित, समूचा साक्ष्य सभा-पटल पर रखा जाय। नियमों में स्पष्ट रूप से यह अध्यक्ष के विवेक में है कि समिति के सामने दिया गया साक्ष्य संसद-सदस्यों को उपलब्ध किया जाय अथवा नहीं। न्याय और निष्पक्ष व्यवहार की दृष्टि से और सभी को पर्याप्त अवसर देने के लिए यह आवश्यक है कि हमको सब अभिलेख देखने का अवसर दिया जाय।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : हमारे नियमों में यह उल्लिखित है कि यदि कोई सदस्य सभा के समक्ष किसी प्रस्ताव के बारे में जानकारी चाहता है तो वह किसी विशेष दस्तावेज को देखने के लिए आपसे प्रार्थना कर सकता है, साक्ष्य सम्बन्धी समूचा मामला नियम 275 (2) द्वारा नियंत्रित होता है। उस नियम के अन्तर्गत आप इस पर विचार कर सकते हैं कि क्या उसे दस्तावेज देखने अथवा उसकी जांच करने की अनुमति दी जाय।

निदेश 58 को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि वह साक्ष्य, जो कि सरकारी साक्षियों के अनुसार गोपनीय रखा जाता था, संसद-सदस्यों को उपलब्ध किया जा सकेगा यद्यपि ऐसा नियम 275 के उप-नियम (2) के अधीन अपवाद द्वारा किया जा सकेगा।

जहां तक इस मामले में मंत्री के साक्ष्य का सम्बन्ध है, वह बिना किसी आपत्ति के प्रकाशित किया जाना चाहिए क्योंकि मंत्री महोदय स्वयं समिति के समक्ष उपस्थित हुए थे। कर्मचारियों के

साक्ष्य के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय को नियम 275 (2) तथा निदेश 58, दोनों ही के अन्तर्गत निर्णय देना है, इस विषय में अध्यक्ष महोदय सदस्यों को देखने या निरीक्षण करने की आज्ञा दे सकते हैं। मेरा निवेदन है कि इस विशेष मामले में आपको इस प्रकार निरीक्षण करने की अनुमति देनी चाहिए।

Shri Maurya (Aligarh) : It has been argued that if the members are permitted to go through the evidence, it will obstruct independent and clear expression by the Government officers. It has also been said that there is no precedent of making available the evidence of the Committee. There is no precedent of a Minister having appeared before the Public Accounts Committee and, therefore, the question of the precedence regarding showing the evidence does not arise. Apart from that there is no reason why other members of Parliament be deprived of the knowledge of whole evidence while 22 members of the committee are aware of it. So far as the employees are concerned, they generally do not disclose the fact and the Members of the committee have to obtain the information tactfully, wherever there is any irregularity.

श्री मुरारका (झुंझुनू): जहां तक लोक-लेखा समिति का सम्बन्ध है, उसके समक्ष कोई निर्धारित नियम न होकर कुछ प्रथायें हैं जिनके आधार पर किसी साक्ष्य को गुप्त या प्रकट समझा जा सकता है। समिति के सामने उपस्थित हुए सभी अधिकारियों को इन प्रथाओं की जानकारी थी जिनके अनुसार समिति की कार्यवाही की जाती है। उन सबने उन प्रथाओं को माना है।

निर्देश 58 केवल गवाहों के लिए ही बनाया गया है। इसके अनुसार समिति का सभापति गवाह को यह चेतावनी देगा कि जो भी वह कहेगा, उसे प्रकाशित किया जा सकता है। यदि वे अपने साक्ष्य के किसी भी भाग को गुप्त रखना चाहें, तो वह भाग भी संसद-सदस्यों को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। उस निदेश का संसद-सदस्यों के अधिकारों से बिलकुल कोई सम्बन्ध नहीं है। उनके अधिकार तो केवल नियम 275 के अन्तर्गत ही होते हैं। उस नियम के अधीन समिति साक्ष्य के किसी भाग को गुप्त अथवा प्रकट रख सकती है। सभा-पटल पर रखा जाने वाला भाग सार्वजनिक बन जाता है और सभा-पटल पर न रखा जाने वाला भाग गुप्त माना जाता है। अध्यक्ष महोदय की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति उसे जान नहीं सकता। नियम 275 तथा निदेश 258 में कोई विरोध नहीं है। यदि अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निदेश तथा प्रक्रिया सम्बन्धी नियम में कोई विरोध है तो अध्यक्ष के निदेशों की तुलना में प्रक्रिया नियमों को ऊंचा स्थान मिलना चाहिए।

इस मामले में नियम तथा निदेश में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि नियम 275 द्वारा संसद सदस्यों के अधिकार शासित किये जाते हैं जबकि निदेश 58 सभापति को यह शक्ति देता है कि वह गवाह को सचेत कर सके। प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के बारे में उठाये गये प्रश्न कुछ भिन्न प्रकार के हैं। इसका निदेश 58 से कोई सम्बन्ध नहीं है यह निर्णय सभा करेगी कि भविष्य के लिए नियम किस प्रकार बनाये जायें, वर्तमान नियम बिलकुल स्पष्ट हैं।

अध्यक्ष महोदय अपने विवेक से यह निर्णय करेंगे कि गोपनीय कार्यवाही का कौन सा भाग सार्वजनिक बनाया जाये। आप अपना निर्णय देने से पहले कृपया इस पर सावधानी से विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। श्री त्रिदिब कुमार चौधरी द्वारा विशेषाधिकार का प्रस्ताव कल लिया जायेगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

पूंजी इजरा (सम्पत्ति के लिए आवेदन) नियम, 1966

(वित्त मंत्री श्री शचीन्द्र चौधरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) पूंजी-इजरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 12 की उपधारा (2) के अन्तर्गत पूंजी-इजरा (सम्पत्ति के लिए आवेदन) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 23 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 600 में प्रकाशित हुए थे।

(2) ऊपर की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 6745/66]

पट्टाजी देवास्वम भूमि (निहित तथा मुक्त करना) संशोधन अधिनियम, 1966

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ला० राव): मैं, श्री ल० ना० मिश्र की ओर से केरल राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1965 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत पट्टाजी देवास्वम् भूमि (निहित तथा मुक्त करना) संशोधन अधिनियम, 1966 (राष्ट्रपति का 1966 का अधिनियम संख्या 5) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 6746/66]

भारतीय विमान (लोक स्वास्थ्य) संशोधन नियम, 1965

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) भारतीय विमान अधिनियम, 1934 की धारा 14 क के अन्तर्गत भारतीय विमान (लोक स्वास्थ्य) संशोधन नियम, 1965 की एक प्रति जो दिनांक 4 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2735 में प्रकाशित हुए थे।

(2) ऊपर की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 6747/66]

लोक-लेखा समिति की अठाईसवीं बैठक की शब्दशः कार्यवाही

VERBATION PROCEEDINGS OF THE 28th SITTING OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

श्री मुरारका (झुंझुनू): मैं लोक लेखा समिति की 1 अगस्त, 1966 को 17.30 बजे हुई 28 वीं बैठक (55वें प्रतिवेदन—तीसरी लोक सभा—के बारे में) की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति, अध्यक्ष महोदय के निदेशानुसार सभा-पटल पर रखता हूं, जिसमें खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री द्वारा दिया गया साक्ष्य दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 6755/66]

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव-जारी

MOTION Re: ECONOMIC SITUATION—Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री शचीन्द्र चौधरी द्वारा 26 जुलाई, 1966 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, अर्थात्–"कि देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर विचार किया जाये।"

श्री बाकर अली मिर्जा (वारंगल): हमारा महान् लक्ष्य देश का शीघ्रता से विकास करना है। जनता पर अधिक से अधिक कर भार डाला जा रहा है। देश की जनता तथा विदेशियों से अत्याधिक उधार लिया जा रहा है। हमने घाटे की अर्थ-व्यवस्था भी अपनाई हुई है। यह सब होते हुए भी हमने अपने यहां शान्ति बनाये रखी। परन्तु इसी समय चीन तथा पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया और साथ ही यहां अकाल पड़ गया। हमारी योजना पर इस सबका बुरा प्रभाव पड़ा और योजना खटाई में पड़ गई। यद्यपि हम योजना को सफल बनाना चाहते हैं और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करना चाहते हैं, फिर भी हम शान्तिपूर्ण अर्थ-व्यवस्था का निर्माण न कर सकेंगे।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

हम आजकल युद्ध जैसी स्थिति में हैं और दोनों शत्रुओं की ओर से खतरा बना हुआ है। हमें यह महत्वपूर्ण निर्णय इसलिए लेना था कि क्या हम प्रतिकूल शर्तों पर भी शान्ति तथा समय प्राप्त कर सकते हैं।

हमारे सामने एक लगातार युद्ध की स्थिति थी। यदि हमें उस आधार पर योजना बनानी है तो उसमें कुछ अनुशासन हैं और हमें वे अनुशासन मंजूर करने होंगे। सब चीजों पर नियंत्रण करना होगा और समूचा अनावश्यक व्यय समाप्त करना होगा। उसके साथ ही राष्ट्रपति से लेकर कृषक तक के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। संयम भी सभी को समान रूप से करना चाहिए।

अमरीकी सहायता ने अभी हाल ही में एक नया रूप ले लिया है जो अधिक आकर्षक

नहीं है । इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अवमूल्यन के मामले में दबाव डाला गया और उसके बाद भी वह दबाव डाला जा रहा है ।

चीन बहुत वर्षों से बिना विदेशी सहायता के कार्य चला रहा है । हमारे विदेशी सहायता पर अधिक आधारित रहने का कोई कारण नहीं है । खाद्यान्न की समस्या के बारे में हम पी० एल० 480 की सहायता के बिना अच्छा कार्य चला सकते थे ।

वैसे तो खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में उर्वरक तथा अन्य वस्तुयें महत्वपूर्ण हैं परन्तु हम जब तक भूमि सुधार का काम पूरा नहीं करेंगे, यह समस्या हल नहीं होगी । हम भूमि सुधार का काम बहुत दिनों से कर रहे हैं परन्तु मूल स्थिति दो वर्ष पहले की स्थिति से भिन्न नहीं है।

हमारी नीति भले ही कुछ भी हो, हमारी कार्यान्वित करने वाली मशीनरी अच्छी तथा पूर्ण होनी चाहिए । हम कागजों पर कुछ भी करें, यदि उसे व्यवहार में न लायें तो इसके परिणाम कुछ नहीं होंगे । प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने श्री मुरारजी देसाई की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक सुधार आयोग स्थापित किया है ।

हमारा लक्ष्य इस देश में समाजवादी समाज का निर्माण करना है और इस लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त किया जाना चाहिए । अतः इस लक्ष्य को प्राप्त करने के हेतु हमें सरकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक उपक्रम चालू करने हैं ।और उन उपक्रमों को कार्य कुशलता से चलाना भी हमारा उत्तरदायित्व है । इस प्रकार के किसी निकाय का निर्माण किया जाना चाहिए जो यह देखें कि इस तरह चलते हुए हम समाजवाद की ओर कितना बढ़ सकते हैं । हमें इस बात का पता लगना चाहिये कि यह समाजवाद केवल आदर्श ही रहेगा अथवा इसे हम अपने जीवन में प्राप्त भी कर पायेंगे ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : देश की वित्त, कूटनीति और विकास की समस्याओं में से हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था की झलक दिखाई देती है । और आज इन तीनों ही क्षेत्रों में जो कुछ हुआ है उसके परिणाम स्वरूप ही देश में निराशा और विकृति का वातावरण दिखाई देता है । कुछ ऐसा लगता है कि हम अपने नेतृत्व में विशेषतः आर्थिक क्षेत्र में, वार्ता करने का कौशल प्रदर्शित नहीं कर सके हैं । विस्तार में न जाकर मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि स्वयं सरकार ने इस बात को स्वीकार किया था कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के बढ़ रहे दबाव के परिणाम स्वरूप अवमूल्यन किया गया । लगता यह है कि सरकार को इस स्थिति से निकलने का विकल्प दिखाई न दिया और बैल मिशन की सिफारिशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और अमरीकी सरकार के दबाव के फलस्वरूप सरकार को झुकना पड़ गया । इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमारी अर्थ-व्यवस्था ठप्प होने की स्थिति में पहुंच गई थी । और जो देश हमें सहायता दे रहे थे उन्होंने उस सहायता पर रोक लगा दी थी और स्थिति बड़ी विकट हो गई थी । एक बात इससे और भी स्पष्ट हो गई थी कि हम किस प्रकार बुरी तरह विदेशी सहायता पर आश्रित रह गये हैं । यह स्थिति तो ठीक ही थी, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता, परन्तु प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि सारी समस्या को हल करने का क्या एक ही हल था कि अवमूल्यन कर दिया जाय ।

अवमूल्यन का घाव कर देने के बाद भी हमारी सरकार नहीं सम्भली। उस घाव को भरने का कोई प्रयास नहीं किया गया। सरकार को यह बताना चाहिए कि अवमूल्यन के बाद सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिससे हालात सुधरे हैं और उस कार्यवाही का अनुमोदन करने के लिए सभा को कहा जा रहा है। इस दिशा में सरकार की अकर्मण्यता पर मुझे हार्दिक खेद है। अवमूल्यन के द्वारा हमारे भविष्य के आर्थिक विकास की सभी आशाओं पर पानी फिर गया है। हमारी आर्थिक नीति का बुरा हाल हो रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमें अमरीका से 3000 करोड़ की सहायता उपलब्ध हुई है। चाहिए यह था कि हम इस सहायता का प्रयोग इस प्रकार करते कि भविष्य में विदेशी सहायता पर निर्भर रहने का प्रश्न ही उत्पन्न न होता। इसमें अमरीका का कोई दोष नहीं है, दोष तो सारा हमारा ही है।

एक ओर हमारी सरकार कहती है कि अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप आयात में कमी हो जायगी और दूसरी ओर सरकार व्यापारियों से भी कह रही है कि आयात भारी मात्रा में किया जायगा। इस बात का तो सरकार की ओर से पूरा आश्वासन दिया गया है। हमारी इस दिशा में जो नीति है उसमें यह परस्पर विरोध काफी देर से चल रहा है और यह अभी तक दूर हो नहीं पाया। शायद हमारी सरकार यह सोचती रही है कि यह जो हम सहायता प्राप्त कर रहे हैं यह हमेशा मिलती ही रहेगी और इसके बदले में हमें कुछ देना नहीं होगा। हमें यह समझ लेना चाहिए कि इस ऋण को हमारे आने वाली सन्तान बड़ी कठिनाई से चुका सकेगी। देश के हित की बात यह है कि हमें यह निश्चित कर देना चाहिए कि अमुक तिथि के बाद हम सहायता नहीं लेंगे। मैं यह भी कहता हूं यदि सम्भव हो तो हमें इससे अधिक सहायता लेनी चाहिए परन्तु इस सबके लिए एक निश्चित समय निर्धारित कर लेना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो शीघ्र ही हम इस योग्य हो जायेंगे कि इस सहायता को बन्द कर दें।

प्रथम योजना के अन्तर्गत हमें 380·3 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई थी। दूसरी योजना के काल में हमें 2,731·3 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध हुई। तीसरी योजना में यह ऋण सहायता 3·937 करोड़ रुपये तक बढ़ गयी। प्रथम योजना में हमने केवल 53 प्रतिशत सहायता का प्रयोग किया। दूसरी में यह प्रयोग 52·6 प्रतिशत था और तीसरी में यह सहायता 64 प्रतिशत के लगभग काम में आई। इससे यह भी लगता है कि यद्यपि सहायता काफी मात्रा में मिल रही है, फिर भी उसका प्रयोग ठीक मात्रा में नहीं हो पा रहा। हमने जो गलत प्राथमिकतायें निर्धारित की हैं, उसके कारण हमारी अर्थ व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी हो रही है। और इस स्थिति को सुधरने में काफी समय लगेगा।

हमारी सरकार ने देश को यह आश्वासन दिया था कि घाटे की अर्थ व्यवस्था चालू नहीं की जाएगी। इस आश्वासन के बावजूद गत वर्ष 435 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ व्यवस्था की गयी। इससे सामान्य व्यक्ति को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। मूल्यों को स्थिर करने में भी सरकार प्राय: असफल ही रही है। और इसका मुख्य कारण अस्थिरता और असावधानी है। इसी स्थिति के कारण देश में प्रगति की दर भी बढ़ नहीं सकी है। यह बात काफी दु:ख और आश्चर्य की है कि संसार भर में तो हमारी दर कम है ही समस्त एशिया में भी हमारी प्रगति की दर केवल एक इन्डोनेशिया को छोड़ कर बाकी सबसे कम है।

सरकारी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भी घाटे में ही चल रही है। सरकारी क्षेत्र में लोगों का लगभग 2000 करोड़ रुपया विनियोजित है। परन्तु इसे देखते हुए औसतन लाभ बहुत ही कम है। मेरा निवेदन यह है कि यदि हमें अपनी अर्थ व्यवस्था को शक्तिशाली बनाना है तो सरकारी क्षेत्र में तनिक जागरूकता से काम लेना होगा और इस क्षेत्र की कार्य कुशलता को तीव्र करना होगा। इस समय हमने जो कर प्रणाली अपना रखी है, वह देश के प्रत्येक वर्ग पर एक बोझ बनी हुई है। और उससे ही मुद्रास्फीति को भी हवा मिल रही है। अतः हमें इस दिशा में भी काफी अपेक्षित परिवर्तन करने होंगे।

यदि हम देश से गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो हमें मूल्यों तथा मजूरी को स्थिर करना होगा। इस संसद के लिए भी यह उचित नहीं लगता कि वह मूल्यों को स्थिर किए बिना मजूरी को ही स्थिर करे। इस समय देश की आर्थिक स्थिति की व्यापक जांच की जानी चाहिए। एक आर्थिक सुधार आयोग स्थापित किया जाए जो हमारी वर्तमान समस्याओं का राष्ट्रीय स्तर पर विश्लेषण करे। देश का प्रशासन भी कुछ इस प्रकार का है कि उसके कारण भारी आर्थिक प्रगति हमारे लक्ष्यों तथा हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं हुई। हमारी नौकरशाही का आधार ठीक नहीं है। हमें अपनी प्रशासनिक सेवाओं को नया रूप देना होगा ताकि वे समाज-कल्याण राज्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। परन्तु यह बड़े खेद की बात है कि प्रशासन को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है।

अवमूल्यन तो मानों हमें एक अवसर मिला है और वह एक चुनौती है। यह कोई जादू की पुड़िया नहीं है। यह एक साधन से अधिक कुछ नहीं है। सरकार ने अवमूल्यन के द्वारा देश के आर्थिक इतिहास को बदलने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया है। सरकार को चाहिए था कि वह आर्थिक व्यवस्था को बदलने के लिए कुछ निश्चित कार्यक्रम तथा प्रस्ताव रखती। सरकार बताए कि मूल्यों को नियन्त्रण में रखने, निर्यात को बढ़ाने, आयात को कम करने तथा स्थिति का सामना करने के लिए वह क्या उपाय कर रही है? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि मूल्यों को स्थिर करने के बारे में बोर्ड स्थापित करने का विचार क्यों छोड़ दिया गया है? ये कुछ ऐसे आधार भूत प्रश्न हैं जिनका कोई उत्तर मिल नहीं रहा, और इस देश में एक निराशा का वातावरण निर्माण हो रहा हैं। मेरा निवेदन यह है कि ये ऐसे मामले हैं जिन्हें हमारे वित्त मंत्री महोदय को स्पष्ट करना चाहिए। यह मामले राष्ट्रीय महत्व के हैं और देश के भविष्य का इससे सम्बन्ध है।

Shri Tyagi (Dehra Dun): I am afraid, I shall not be able to say anything new on this subject of devaluation. Much has been said about it. I agree that the intention of our Government were quite good while adopting this drastic step of devaluation. There was no pressure from any country, but our circumstances compelled us to accept the conditions of the World Bank. I agree that this is a very painful decision which our Government had to take. But it is also a fact that this was done with very heavy heart. It has affected the self respect of the country. It has also become the cause of some financial losses, this is a fact that the amount of foreign debts have increased. We will have to pay now

Rs. 1,899 crores more. We are now under the debt of 5,187 crores of rupees. It is a very sad State of affairs. Every family in this country is under the debt of 575 Rupees. Government ought to have thought out beforehand the remedy of such a devastating situation. It is also very sad that States have been with drawing money very wrecklessly.

Let me also refer to a painful fact that our Government committed a blunder by agreeing to the cease fire in Kashmir in 1947. If we had not agreed to this cease fire, Pakistan would have been cleared out of Kashmir. In the recent conflict with Pakistan also we again liberated the Pak-occupied Kashmir. It was done because of the intervention of certain countries. This question of saving the self-respect of Pakistan was the main issue before those powers. Tashkent Declaration was also nothing but an active help to Pakistan.

This is a fact that the value of our rupee had fallen in the international market. Government ought to have taken steps earlier to restore its value. Now when the decision to devalue the rupee is a settled fact Government should take follow-up steps boldly. I wonder that Government have not been able to stop deficit financing. And without that it is not possible to check inflation. My submission is that the Government should not allow these overdrafts by the State.

It is also very significant that inspite of this fact that our foreign debts have increased, our production have nof increased so far. In this connection we shall have to do through probe and see what is wrong with our planning. I would like to impress that the Government should not go in for big projects like the Bokharo Steel plants for present. We are at present spending huge amounts on food imports every year. We must pay more attention to the agricultural product. In this connection irrigation is a very important matter, which should be attended to very seriously. Even if the Government have spent a part of the amount which we are spending on food imports on providing irrigation facilities, there would have been sufficient increase in agricultural production. There should be the arrangement of tube wells also, and for them the provision of power is very essential. I shall also urge upon the Government to concentrate in implementing the irrigation schemes. This is the only way to increase the food production. Top priority should be given to the irrigation. In the end I may only state that if the interest of the farmers are looked down upon, they know the remedy very well.

श्री सेझियान (पैरम्बलूर): केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों द्वारा भाषण दिये जाने अथवा दूसरे तरीकों से प्रचार किये जाने के बावजूद देश की अधिकांश जनता यह नहीं समझ सकी है कि अवमूल्यन से लाभ होने वाले हैं अथवा नहीं।

मैं इस बात से सहमत हूं कि अवमूल्यन के बारे में सरकार पहले से सूचना नहीं दे सकती थी। परन्तु मेरा तो कहना यह है कि अवमूल्यन के पश्चात भी सरकार ने ईमानदारी से कार्य नहीं किया है। अवमूल्यन सम्बन्धी निर्णय लेने के पश्चात सरकार को जनता को विश्वास में लेना चाहिये था। सरकार को अवमूल्यन के वास्तविक कारण बताने चाहिये थे।

सरकार ने अपने 5 जून के प्रसारण में यह नहीं बताया कि विदेशों से सहायता प्राप्त करने के लिये ऐसा करना आवश्यक हो गया था। परन्तु समूचा विश्व यह चीज जानता है।

6 जून के न्यूयार्क टाइम्स में यह प्रकाशित हुआ था कि अमरीका तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक अवमूल्यन के लिये भारत पर जोर दे रहे थे। परन्तु हमारी सरकार अब भी यह मानने में शर्म महसूस कर रही है कि उन्होंने हमारे ऊपर कोई दबाव डाला है।

वाणिज्य मंत्रालय ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में यह बताया है कि हमारा 80 से 82 प्रतिशत निर्यात बिना किसी विशेष सहायता के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर ही हो रहा है इसलिये हमें अवमूल्यन करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा विचार है कि अभी तक उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परन्तु अभी पिछले ही दिन योजना मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि लगभग 70 प्रतिशत निर्यात को सहायता देना पड़ती थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन दोनों बातों में से कौन सी बात ठीक है।

केन्द्रीय सरकार के मंत्री तथा अन्य नेता यह कहते नहीं थकते कि अवमूल्यन से मूल्यों में अधिक वृद्धि नहीं होगी क्योंकि खाद्य, मिट्टी का तेल तथा ऐसी ही दूसरी वस्तुओं के लिये सरकार सहायता देगी। मैं नहीं जानता कि इससे देश को किस प्रकार लाभ होगा। 1965 में 290 करोड़ रुपये के अनाज का आयात किया गया था यदि हम 1966 में भी उतनी ही मात्रा में अनाज का आयात करते हैं तो हमें 167 करोड़ रुपये अधिक देने पड़ेंगे। और जब सरकार यह कहती है कि वह इन वस्तुओं के लिये सहायता देगी तो यह प्रत्यक्ष है कि सरकार उस सहायता के लिये लोगों पर अप्रत्यक्ष रूप से किन्हीं वस्तुओं पर कर लगायेगी।

सरकार का प्रशासन तंत्र देश की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं का ठीक ठीक अनुमान लगाने के योग्य नहीं है। सभी साधन होते हुए भी सरकार देश की खाद्य आवश्यकताओं का ठीक से अनुमान नहीं लगा सकी है। यह केवल इसी मंत्रालय तक ही सीमित नहीं है बल्कि अन्य मंत्रालयों में भी ऐसी ही स्थिति है। दिवालियेपन और अवमूल्यन का यह भी एक कारण है। सरकार को स्थिति पर काबू पा लेने के लिये इसका अनुमान पहले ही लगा लेना चाहिये था जिससे कि यह संकट ही टल जाता।

प्रत्येक योजना के साथ साथ विदेशी सहायता पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है। आन्तरिक साधनों पर भरोसा करने की बजाय हम अधिक से अधिक विदेशी सहायता ले रहे हैं। यह आत्म-निर्भरता नहीं है। हम विदेशी सहायता पर अधिक से अधिक निर्भर होते जा रहे हैं।

यह कहा जाता है कि कीमतों के बढ़ जाने के कारण अवमूल्यन करना पड़ता है। परन्तु यह वृद्धि जनसाधारण ने नहीं की बल्कि यह तो सरकार द्वारा अपनाई गई अस्पष्ट तथा गलत नीतियों के कारण हुई है।

सरकार वर्षों से घाटे की अर्थ-व्यवस्था चला रही है। यह इस बात से स्पष्ट है कि पहली पंच वर्षीय योजना में कुल 644 करोड़ रुपये का घाटा था। दूसरी योजना में यह घाटा 1156 करोड़ रुपये तथा तीसरी योजना में 1730 करोड़ रुपये हो गया। अनुमान है कि चौथी योजना में यह घाटा

बढ़कर 2,000 करोड़ रुपये हो जायेगा । इसलिये हम न केवल विदेशों से ही अत्यधिक सहायता ले रहे हैं बल्कि अपने देश में भी अधिक नोटों का मुद्रण कर रहे हैं।

सरकार ऐसा कार्य कर रही है जोकि उसको नहीं करना चाहिये और जो कार्य सरकार को नहीं करना चाहिये वह यह सरकार कर रही है। यह दोनों बातें ही हानिकारक हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) सभा की भावना को जानने के लिये माननीय वित्त तथा योजना मंत्री में से एक को यहां पर अवश्य उपस्थित होना चाहिये।

जहां तक आदर्शवादों का सम्बन्ध है हम अपने मन में बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हम लोकतंत्रात्मक समाजवाद चाहते हैं। इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि हम समाजवाद को वास्तविक रूप दें और इसको उस ओर आगे बढ़ायें जहां भारत सरकार की नीतियों के बारे में कहीं कोई सन्देह न हो। हमें लोगों को बताना चाहिये कि हम समाजवाद के क्या अर्थ लेते हैं और हम इस ओर किस हद तक आगे जाने को तैयार हैं।

यह बात बिल्कुल ही निराधार है कि अवमूल्यन का निर्णय अमरीका अथवा रूस के दबाव के कारण किया गया है। यह निर्णय भारत सरकार का है और निष्पक्ष रूप से लिया गया है। यह कहना भी बिल्कुल गलत है कि पिछले 15 वर्षों से देश में आर्थिक अव्यवस्था रही है। जैसा मैंने अविश्वास के प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था हमारी कठिनाइयां 1962 में शुरू हुई थीं। उस समय तक मूल्यों में वृद्धि केवल 2 से $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक की ही थी। 1962 के पश्चात मूल्य सूचकांक 120 अथवा 125 बिन्दुओं से बढ़ कर 180 अथवा 182 बिन्दु हो गया था। यह एक बिल्कुल ही असाधारण स्थिति है जिसको ध्यान में रखना होगा। इसके लिये सर्व श्री मालवीय तथा मेनन की नीतियों को दोष देना ठीक नहीं है क्योंकि 1962 के बाद वे सरकार में नहीं थे।

मैं इस बात का भी खंडन करता हूं कि सरकार ने देश का दिवाला निकाल दिया है। यह कहना भी गलत है कि 1941 में हमारे पास लगभग एक हजार करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा थी और कि आज हम लगभग 2500 करोड़ रुपये के ऋणी हैं। परन्तु मेरे मित्र यह भूल जाते हैं कि उस समय हमारे पास इस्पात कारखाने, तेल शोधक कारखाने तथा अन्य दूसरे बड़े कारखाने नहीं थे। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि भारत की रक्षा का बोझ आज हम पर है और हम 300 करोड़ रुपये की बजाय अब प्रतिरक्षा पर एक हजार करोड़ रुपये व्यय कर रहे हैं।

बहुत से माननीय मित्र इस आधार पर कि सरकारी क्षेत्र से बहुत कम लाभ हो रहा है इसकी आलोचना करते हैं परन्तु मैं यह कहूंगा कि यह आलोचना निराधार है। यदि सरकारी क्षेत्र की देख भाल ठीक तरीके से की गई तो कुछ वर्षों पश्चात यह सोने की खान सिद्ध होगा। आज हमें 30 से 40 करोड़ रुपये मूल्यह्रास निधि में रखना पड़ता है। इस प्रकार दस वर्ष पश्चात इसमें 300 से 400 करोड़ रुपये हो जायेगा जोकि हमारा कुल पूंजी परिव्यय है। इसके पश्चात इनसे लाभ होना आरम्भ हो जायेगा। यदि कोई इस बात पर ध्यान दे कि टाटा इस्पात कारखाने ने किस प्रकार प्रगति की थी तो मालूम होगा कि उसकी स्थिति सरकारी क्षेत्र के तीनों इस्पात कारखानों से भी खराब थी।

जहां तक योजना के आकार का सम्बन्ध है हम अपनी इच्छानुसार इसका आकार निश्चित नहीं कर सकते। प्रश्न योजना के आकार नहीं बल्कि उसके लिये साधन जुटाने का है। योजना आयोग उसके लिये किस प्रकार आवश्यक साधन तथा विदेशी सहायता प्राप्ता करेगा।

मैं यह चाहता हूं कि योजना आयोग योजना इस प्रकार बनाये जिससे मूल्य कम हो जायें और मूल्य सूचकांक 185 बिन्दु से 145 बिन्दु पर आ जाये। ऐसा केवल उत्पादन बढ़ाने से ही सम्भव हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि हमें योजना इस उद्देश्य से बनानी चाहिये जिससे चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान जनसाधारण को अत्यावश्यक वस्तुएं उचित मूल्यों पर उपलब्ध हो सकें।

हमने जो साधन जुटाये हैं उनसे बहुत से लोगों को कष्ट उठाने पड़े हैं परन्तु लाभ किसी को नहीं हुआ है। मैं माननीय वित्त और योजना मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि तीसरी योजना में हमने कुल कितने साधन जुटाये थे तथा उनका किस प्रकार प्रयोग किया गया था। हम उत्पादन बढ़ाने के लिये नहीं बल्कि मंहगाई भत्ता देने के लिये ही साधन जुटा रहे हैं। और यदि सरकार इस प्रकार की योजना तैयार करना चाहती है तो देश इसे रद्द कर देगा।

प्रशासन के खर्च को कम करने की बहुत आवश्यकता है। इसके लिये सभी ओर से मांग की जा रही है। प्रशासन में मितव्ययिता का यह अर्थ नहीं कि छटनी कर दी जाये। यह कहना ठीक नहीं है कि केन्द्र तथा राज्यों को 500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष बचाने चाहिये। परन्तु यदि हम इस समस्या पर व्यवस्थित दृष्टि कोण अपनायें तो तीन वर्षों में केन्द्र तथा राज्य सरकारें अवश्य ही 200 करोड़ रुपये बचा सकती हैं। इस उद्देश्य हेतु हमें योजना बनानी चाहिये। फालतू कर्मचारियों के उपयोग के बारे में भी हमें एक समन्वित योजना बनानी चाहिये।

आज बढ़ते हुए मूल्यों के कारण सरकारी कर्मचारियों में असन्तोष उत्पन्न हो रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे देश भक्त हैं। वस्तु स्थित की केवल जानकारी देने की आवश्यकता है। उन पर विश्वास किया जाना चाहिए। हमें अपनी योजना इस प्रकार बनानी चाहिये कि जिन वस्तुओं की उन्हें आवश्यकता है वह उन्हें 10 से 15 प्रतिशत कम पर दी जायें और हम अपना सभी सामर्थ्य उत्पादन बढ़ाने में लगा दें।

[**श्री श्याम लाल सर्राफ पीठासीन हुए**
Shri Sham Lal Saraf in the Chair]

जहां तक अनुशासन की बात है, कठिनाई यह है कि सर्वोच्च स्तर पर कोई अनुशासन नहीं है। जब ऐसी स्थिति है तो निम्न स्तर पर अनुशासन की क्या आशा की जा सकती है। जब सचिवों का तबादला किया जाता है तो वह इसे मानने से इनकार कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को जब देहली का मुख्य आयुक्त नियुक्त किया जाता है तो वह उस पद पर जाने के लिए तैयार नहीं होता। वरिष्ठतम अधिकारी जब इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो निम्म-स्तर के कर्मचारियों से किसी अनुशासन की आशा रखना व्यर्थ है। इस समय नेतृत्व के लिए

वांछित विश्वास और आदर की कमी है। पहले उच्च अधिकारियों और निम्न अधिकारियों में ऐसा भेद नहीं पाया जाता था जैसा अब पाया जाता है। इसलिए अनुशासन लाने के लिए यह आवश्यक है कि इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाये। जब तक प्रशासन कामगर रूप से कार्य नहीं करेगा किसी प्रकार का सुधार नहीं हो सकता।

जहां तक विकास कार्य-क्रम का सम्बन्ध है, इस समय कृषि पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि कम व्यय पर उत्पादन बढ़े। यदि हम मूल्यों को स्थिर करना चाहते हैं तो किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभप्रद मूल्य देना होगा। यदि कृषि-उत्पाद बढ़ गया तो फिर हमारे उद्योग, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा निर्यात की स्थिति भी सुधर जायेगी। हमारा 80 प्रतिशत निर्यात कृषि उत्पादों से होता है।

कृषि उद्योग में सुधार लाना आवश्यक है। इस दिशा में सबसे पहला आवश्यक कदम यह है कि प्रति एकड़ उपज बढ़ायी जाये। उसके बाद हमें सारे राज्यों के लिए छोटी सिंचाई योजनायें और ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों के बारे में एक रूप-रेखा बनानी चाहिए और उसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रत्येक राज्य की सभी छोटी सिंचाई योजनाओं को पूर्ण स्वीकृति दी जानी चाहिए। ग्रामों में पीने के पानी की भी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि दूर-दूर से पानी न लाना पड़े। यह आश्चर्य की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 19 वर्ष पश्चात् भी हम यह कार्य भी नहीं कर सके। इन कार्यों पर अधिक व्यय नहीं होगा परन्तु इनसे उत्पादन बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी और उत्पादन लागत काफी गिर जायेगी जिससे वस्तुएं सस्ती हो जायेंगी।

हमें शिक्षा की ओर भी ध्यान देना चाहिए। हमें ऐसे लोगों को तैयार करना चाहिए जिन्हें रोजगार दिया जा सके। शिक्षा आयोग का कहना है कि ऐसे लोगों की संख्या चौगुनी बढ़ा देनी चाहिए। किन्तु ऐसे करने से पहले हमें नौकरियों की संख्या चौगुनी बढ़ानी चाहिए। यदि सरकार वास्तव में लोगों की सहानुभूति तथा समझदारी चाहती है तो उसे उनकी मांगों और आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि ऐसा किया जाए तो सारा देश इसका पूरा समर्थन करेगा। पाकिस्तानी आक्रमण के समय लोगों ने ऐसा समर्थन दिया था। आर्थिक क्षेत्र में भी, यदि कोई चुनौती दी जाती है और हम लोगों को अपील करते हैं और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं तो इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं है कि उनका हमें पूरा समर्थन मिलेगा।

श्री अब्दुल गनी गोनी (जम्मू तथा काश्मीर) : अवमूल्यन के निर्णय से आम जनता को एक भारी धक्का लगा है। देश के सम्मान को भी इससे ठेस पहुंची है। यह खेद की बात है कि स्थिति के मुख्य आर्थिक पहलू का ठीक प्रकार से मूल्यांकन नहीं किया गया है।

जहां तक प्रगति का प्रश्न है हमारा देश धीरे-धीरे सब क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। जिस गति से प्रगति करने की आशा थी उस गति से तो प्रगति नहीं हो रही किन्तु उद्योग, कृषि, विद्या तथा समाज-सेवाएं अथवा चिकित्सा सेवाओं आदि का लगातार देश भर में विकास हो रहा है।

हम लोग यहां पर गरीब जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं । इस समय देश की उन्नति के लिए आर्थिक समस्या का प्रश्न हमारे सामने है किन्तु इस प्रश्न को राजनीति मे उलझा दिया जाता है । कभी काश्मीर की समस्या और कभी चुनावों का प्रश्न लाया जाता है । इस समय भ्रष्टाचार, पिछड़ापन, निरक्षरता तथा कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने की आवश्यकता है जिससे हम उन्नति कर सकें ।

यह खेद की बात है कि सदस्यगण इस चर्चा को राजनीति के रंग में रंग रहे हैं । इससे साधारण व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होगा । चुनाव की चर्चा से साधारण व्यक्ति, जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, का कोई सुधार नहीं हो सकता । हमारे देश की मूल नीति समाजवाद पर आधारित समाजवादी नीति है । इस समय इस नीति पर पूरा अमल किया जाये और जनसाधारण को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाये ।

यह कहना कि रूस अथवा अमरीका ने रुपये के अवमूल्यन की कार्यवाही की प्रशंसा की है, उचित नहीं है । रुपये के अवमूल्यन पर अपने देश के लोगों का विश्वास प्राप्त करने की आवश्यकता है । भारत की जनता तथा उनके नेताओं ने स्वतंत्रता के लिए काफी संघर्ष और त्याग किया है और वह पूरे देश भक्त हैं । सत्ताधारी दल के सदस्य भी देश भक्त हैं क्योंकि उन्होंने भी देश के हित के लिए संघर्ष तथा त्याग किया है । वे लोगों का हित तथा कल्याण चाहते हैं और देश में समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि जनसाधारण की दशा सुधारने का प्रयास किया जाए ।

एक सदस्य ने यह कहा है कि नेशनल कान्फ्रेंस का 'नया काश्मीर' नामक कार्यक्रम पाकिस्तान का समर्थक है । प्रारम्भ से ही नेशलन कान्फ्रेंस का कार्यक्रम समाजवादी रहा है और उसका सम्बन्ध सदा से भारतीय नेशनल कांग्रेस से रहा है । नेशनल कान्फ्रेंस ने जिन्ना, मुस्लिम लीग अथवा पाकिस्तान का कभी भी समर्थन नहीं किया है तो यह कार्यक्रम पाकिस्तान की वकालत कैसे कर सकता है ? यह दल सदैव कांग्रेस पार्टी और भारत देश के साथ रहा है और रहेगा ।

काश्मीर की जनता धर्मनिर्पेक्षता में विश्वास रखती है । वास्तव में उन्होंने धर्मनिर्पेक्षता का उदाहरण देश के सामने रखा है । जब पाकिस्तान ने काश्मीर पर सन् 1947 और गत वर्ष आक्रमण किया तो वहां की जनता ने जाति, समुदाय, वर्ग अथवा रंग का ध्यान रखते हुए शत्रु का एक होकर सामना किया । यत्र-तत्र कुछ उपद्रवियों को छोड़कर जम्मू तथा काश्मीर की अधिकांश जनता भारत के साथ है ।

काश्मीर को विभाजित करने की और उसके कुछ भाग को किसी अन्य राज्य में मिलाने की बात भी कही गई है । किसी अन्य राज्य के कुछ भाग को काश्मीर के साथ मिला देने की बात भी कही गई है । ऐसा करना वांछनीय नहीं है । जम्मू तथा काश्मीर को पहले की भांति ही एक पृथक राज्य बना रहने दिया जाए क्योंकि यह देश का एक सुन्दर भाग है ।

श्री दाजी (इन्दौर) : आज हमारी अर्थ व्यवस्था गड़बड़ी में है । यह लगभग समाप्त हो गई है और अर्थ-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में 10,000 करोड़ रुपया व्यय करने के पश्चात हमारी राष्ट्रीय आय में 4.7 प्रतिशत कमी हुई है तथा प्रति व्यक्ति आय 7 प्रतिशत कम हो गई है। 1960-61 में एक व्यक्ति की औसत आय 293 रुपये थी, 1964-65 में यह केवल 294 रुपये है । इसका अभिप्राय यह है कि 10,000 करोड़ रुपये खर्च करने के पश्चात इस देश की प्रति व्यक्ति आय में केवल एक रुपये की वृद्धि हुई है । 1951-61 के दस वर्षों में मूल्य 23 विन्दु बढ़े जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में 39 विन्दुओं की वृद्धि हुई । यह भी पता चलता है कि योजना में 400 करोड़ रुपये के घाटे की वित्त व्यवस्था की गई थी परन्तु वास्तव में वह 1450 करोड़ रुपये हुई जो कि योजना में की गई व्यवस्था से तीन गुना था । परिणाम वही निकला जो निकलना था—मूल्यों में वृद्धि होना, अर्थ-व्यवस्था का समाप्त होना तथा अधिक मुद्रास्फीति । घाटे की वित्त व्यवस्था योजना में नहीं होनी चाहिए ।

1950-51 में निगमित क्षेत्र के कुल लाभ 39 करोड़ रुपये था जोकि 1963-64 में बढ़कर 139 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष हो गया अर्थात 350 प्रतिशत की वृद्धि हुई । प्रति व्यक्ति आय कम हो गई है, राष्ट्रीय आय कम हो गई है किन्तु लाभ 350 प्रतिशत बढ़ गये है । इसके अतिरिक्त विदेशी ऋण बढ़ता जा रहा है । दूसरी योजना में विदेशी ऋण की रकम केवल 750 करोड़ रुपये थी । किन्तु तीसरी योजना की समाप्ति पर विदेशी ऋण 2600 करोड़ रुपये था । इस पृष्टभूमि में हमें अवमूल्यन करना पड़ा ।

कहा जाता है कि अवमूल्यन से निर्यात बढ़ेंगे । कौनसी वस्तुओं का निर्यात बढ़ेगा, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता । हमें बताया जाता है कि आयात के मामले में हम उदार नीति अपनायेंगे । ऐसी कौनसी आयात की मदें है जिसमें उदार नीति अपनायी जायेगी ? कौनसे सम्बद्ध उद्योग हैं और किस रोजगार को लाभ होगा । इसके परिणामस्वरूप कौनसी उत्पाद होंगी । क्या इससे योजना की प्राथमिकताओं को सहायता मिलेगी अथवा इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

अवमूल्यन स्वयं खराब है परन्तु अवमूल्यन के पश्चात् आर्थिक नीतियां जो अपनायी जा रही हैं उससे स्थिति और भी खराब हो गई है । यह कहना बेईमानी है कि अवमूल्यन के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह गया था । सरकार अमरीकी सामाज्यवाद के सामने झुक गई है । विदेशी सहायता और विदेशी ऋण का काफी प्रचार किया गया है । वास्तविकता यह है कि सभी विदेशी निवेश के अतिरिक्त 7.5 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष विकास होता है । अवमूल्यन के पश्चात् समस्त अर्थव्यवस्था विदेशी पूंजी लगाने वालों के पक्ष में हो जायेगी और हमारे विपक्ष में हो जाएगी । एक बार पहले जब कर ढांचे को विदेशी निवेशकों के अनुकूल तथा भारतीय निवेशकों के प्रतिकूल बदला गया तो मैंने आवाज उठाई थी कि भारतीय निवेशकों से विदेशी निवेशकों को अधिक कर राहत न दी जाये । अब अवमूल्यन करने से विदेशी पूंजी लगाने वालों के लिए दरवाजे खुल गये हैं और हम इसी नीति को रोकना चाहते थे ।

अभी तक हम पी० एल० 480 पर केवल कृषि के लिए निर्भर करते थे । अवमूल्यन के

पश्चात् नई नीति यह है कि उद्योगों के लिए भी पी० एल० 480 पर निर्भर करेंगे। यदि उद्योग अधिकाधिक विदेशी पूंजी पर निर्भर करेंगे तो उद्योग प्रगति नहीं कर सकेंगे। इसमें राजनीतिक खतरे भी हैं। पी० एल० 480 निधि में से 15 करोड़ रुपये अमरीका राजदूतावास सूचना सेवाओं पर खर्च करता है। खेद की बात है कि भारत सरकार इतना रुपया सूचना और प्रसारण मंत्रालय पर भी नहीं खर्च करती है। पी० एल० निधि का ऐसा लेखा संतोषजनक नहीं है। इससे अमरीकी हस्तक्षेप का डर है। अत: विदेशी सहायता के लिए हमें दूसरों पर निरन्तर निर्भर रहना पड़ेगा। यह नीति समाजवाद के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध है।

चौथी योजना के लिए संसाधनों के जुटाने का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। सामान्य संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। और अधिक कर लगाये जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वस्तुओं पर लगाए गए कर अब चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। घाटे की अर्थ-व्यवस्था से मूल्यों में उच्छृंखलता आ गई है। अत: या तो हम पूर्णतया विदेशी सहायता पर निर्भर करें या घरेलू संसाधनों को गतिशीलता दें। आज साधनों को गतिशीलता देने का अर्थ है कि हम उस धन को लें जो 75 व्यापार संस्थाओं में एकत्रित हो गया है। एकाधिकार की वृद्धि से राजनीतिक लोकतंत्र को खतरा हो गया है। सरकार की वर्तमान आर्थिक नीतियों से देश के लिए खतरा तथा बरबादी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वे नीतियां आत्मनिर्भरता तथा साहस की नीतियां नहीं हैं। जब तक सरकार इन नीतियों को नहीं बदलती देश कठिनाइयों का सामना करेगा और जनता इसको सहन नहीं करेगी। 'बन्ध' होते हैं तो उन्हें राष्ट्र-विरोधी बताया जाता है। बन्ध राष्ट्र-विरोधी नहीं है। राष्ट्र-विरोधी तो अवमूल्यन की कार्यवाही है जिसके द्वारा 400 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष अमरीका को भेंट कर दिये गये हैं। यदि इस राष्ट्र-विरोधी नीति को न बदला गया तो और अधिक बन्द होंगे। भूख-प्यास को जनता और अधिक सहन नहीं कर सकती।

Shri M. L. Dwivedi (Hamirpur): Whatever may have been the circumstances the devaluation is a settled fact. It has very terribly affected the economy of the country. I feel it was the duty of the Government to find ways and means to improve our economy. It is really very unfortunate that some members belonging to the opposition are using sabotaging tactics. These bundhs and strikes will not take the country anywhere. I would request that instead of adopting destructive attitude the opposition leaders should adopt constructive ways. Their destructive attitude is really deplorable. I am very sorry to note that at a time when the country is facing an eternal threat from two sides and economic situation is fast deteriorating, we are having disarraying climate in the country. It is an occasion when we should all stand united as one man to preserve the unity and integrity of our motherland. I would also say that it is no use criticising the Prime Minister who have very recently taken the charge of the work, and have not been able to implement any plan so far.

It is a solid fact which nobody can repudiate that country has marched towards the progress since independence. The standard of living has gone up considerably. Country has more prosperity today as compared with the pre-independence era. We should open our eyes and look to the changing world outside. We should not refuse to recognise facts. But I admit that there is nothing wrong to criticise the Government. Opposition is meant for criticism. But we must see that whatever criticism we put in should be constructive. The destructive criticism will lead us nowhere.

I would also like to urge upon the Government, that they should be more realistic in its approach while formulating the plans. The Minister of Planning should have close contact of the masses and try to understand their problems. We should also try to have smaller plans according to our readily available sources. It is also very essential that the project already taken in hand should be completed first. We should not be utterly callous towards the public money. We should see that public money is not put to improper use. That should be sacred trust. If we donot act realistically we shall be ruined.

Let me also state that the Finance Minister should realize that the common man is faced with Great hardships. The prices of essential commodities are rising day by day. It is allright that he has taken the decision regarding devaluation, but let me state that before doing it, it was his duty to see what step he had to take in this connection to check the rise of prices. Today we find open black marketing and profiteering going on in the country. In this connection nothing effective has been done so far to curtail the rise of prices. I am of the opinion that until our Government took strong steps to curtail the rise of prices, prices will not come down. Only establishment of one Super Bazar in Delhi will not go very far to help the people in general. I would again urge upon the people in the opposition to resort to methods which are constructive and ultimately do not effect the general interests of the country. With this country will positively march towards progress.

श्री रमापति राव (करीम नगर) : प्रथम पंचवर्षीय योजना सबसे पहले "अधिक अन्न उपजाओ" के लिए प्रयोग में लाई गई थी । विचार यही था कि खाद्यान्नों के लिए विदेशों पर आश्रित न रहना पड़े । दूसरा इसका मतलब यह भी था व्यापारी फसलों के होने से हमें कुछ विदेशी विनिमय भी उपलब्ध होगा और उस विदेशी विनिमय से प्राप्त आय को किसी दूसरी तरह लगा कर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा, जिसमें हम आत्म निर्भर नहीं हैं । पंचवर्षीय योजनायें बनाने का यही तो मुख्य कारण था ।

हमारे 15 वर्षों के योजना काल में कृषि पर कुल 4939 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं । सरकार ने इस तर्क को देते हुए पी० एल० 480 के अधीन विदेशी अन्न आयात किया कि बफर स्टाक बनाना आवश्यक है । सन् 1962 में उस समय के खाद्य और कृषि मंत्री ने यह कहा था कि आगामी वर्ष 850 लाख टन अन्न पैदा होगा और प्रयास यह किया जायगा कि प्रत्येक वर्ष का उत्पादन पहले वर्ष के मुकाबले बढ़ता जाय । इस आश्वासन का क्या हुआ ? एक फसल में उचित वर्षा न होने के कारण ही देश की यह दशा नहीं होनी चाहिए थी ।

1962 में कहा गया था कि अगले वर्ष फसल 850 लाख टन होगी । परन्तु इस दिशा में कुछ भी न हो सका । ऐसा नहीं है कि भारतीय किसान खेती के बारे में कुछ जानता ही नहीं । योजनाओं के माध्यम से उसे अच्छे औजार, उर्वरक आदि दिये जाने चाहिए और उसके कृषि सम्बन्धी ज्ञान को पूरा किया जाना चाहिए । किसान आज प्रत्येक योजना से सबसे अधिक इस बात की आशा करता है कि उसे सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जायं । योजनाकारों को इस बात की खोज बीन करनी चाहिए कि किसानों को थोड़ी बहुत सहायता जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है, समय पर दी जाती है या नहीं । यदि भारतीय किसान को हम सिंचाई सुविधाएं प्रदान कर दें तो वह हमें पर्याप्त अन्न दे सकता है ।

अमरीकी फर्मों के सहयोग से उर्वरक पैदा करने का विरोध समझ में नहीं आता। यदि उर्वरक उत्पादन को अधिक बढ़ाने के लिए हमें विदेशी सहयोग प्राप्त होता है तो उसमें क्या अनौचित्य है? हमें प्रत्येक राज्य में दो या तीन उर्वरक कारखाने स्थापित करने चाहिए। अवमूल्यन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों ने जो कारण बताये हैं वे यह हैं कि कृषि-उत्पादन नहीं हुआ है और विदेशी मुद्रा के रिजर्व में कमी आ गई थी। उन्होंने सभा को यह आश्वासन दिया था कि अवमूल्यन के बाद की कार्यवाही प्रभावी होगी। यह आवश्यक है कि सरकार प्रभावी ढंग से मूल्य स्तर पर नियंत्रण करे। जो व्यापारी अनाचार करे उसे दंड दिया जाये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): मैंने अपने स्थानापन्न प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस ओर से जो भाषण सभा में हुए हैं उससे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। अवमूल्यन पर चर्चा करते हुए योजना मंत्री और प्रधान मंत्री ने स्पष्ट कहा था कि हमने किसी भी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह ठीक है कि विश्व बैंक ने इस बात का अल्टीमेटम दे दिया था कि यदि भारत सरकार ने 1 जून 1966 तक अवमूल्यन के बारे में कोई निश्चित निर्णय न किया तो सब सहायता बन्द कर दी जायेगी। मेरा आग्रह है कि इस बात का उत्तर वित्त मंत्री अथवा योजना मंत्री दें। यदि सम्भव हो तो प्रधान मंत्री इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें। क्योंकि इस बारे में मुझे ही नहीं, सारे देश भर में यही धारणा है।

हमने चीन का सामना किया। पाकिस्तान के आक्रमण को भी हम सहन कर गये, पर यह डालर हमला बहुत ही भयंकर रूप में आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि इस दिशा में क्या कदम उठाया जाय। क्या ईस्ट इंडिया कम्पनी जैसा मामला तो नहीं होगा कि ये लोग भारत की अर्थ व्यवस्था पर ही छा जायेंगे। हमने अन्ततोगत्वा अमरीका के दान पर जीवन यापन करना होगा। स्वतन्त्रता को बेचकर कर्जे लेने में भला क्या तुक है।

इस दिशा में स्थिति बहुत ही स्पष्ट है। तीसरी योजना के अन्त में बेरोजगारी 80 लाख से 120 लाख हो गई है। आज जन विरोधी तथा अत्यन्त घृणित स्वर्ण नियन्त्रण के कारण 20 लाख स्वर्णकार बेकार हैं। सभी प्रतिष्ठानों में चाहे वे सरकारी क्षेत्र में हों अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में, मध्यम वर्ग के कर्मचारियों की छटनी हो रही है। इलेक्ट्रोनिक संगणक को प्रयोग में लाये जाने पर जीवन बीमा निगम के लगभग 24,000 कर्मचारियों को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मेरा निवेदन यह है कि मजूरी स्थिर करने के लिए अभी कोई कदम उठाया नहीं जाना चाहिए। मेरा विचार है कि यदि मजूरी में कमी की गई तो सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में एक अखिल भारतीय हड़ताल होगी। स्थिति बड़ी शोचनीय है। यदि उन व्यक्तियों को जो पहले ही गुजारे लायक मजूरी पा रहे हैं, मजूरी में कटौती का सामना करना पड़ा तो उनके लिए यह सहन करना प्रायः असम्भव हो जायेगा।

हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। श्री दाजी नये मुन्द्रड़ों की बातें कर रहे हैं। मैसर्ज अमीचन्द प्यारेलाल की फर्म के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। 1961 में भी इस फर्म ने इसी तरह कुछ किया था। 12 लाख और 7 लाख की लोहे की चादरों का ब्रिटेन से आयात किया

था और यह सारा आयात अनधिकृत था इस पर कोई शुल्क इत्यादि नहीं दिया गया था। परन्तु इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। उस समय के लोहा और इस्पात नियन्त्रक को पूछा तक न गया। एक अमीचन्द प्यारेलाल की क्या बात है, यहां कई व्यापारी घरानों ने लूट मचा रखी है। मेरी मांग यह है कि यदि आपने देश की अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाना है तो हमें इस बात का ध्यान करना होगा कि हमारी योजना नियोजकों के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए हों। इस संदर्भ में ही मेरा निवेदन यह है कि हमें एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन पर ध्यान पूर्वक ढंग से विचार करना चाहिए। अमीचन्द प्यारेलाल कम्पनी के कार्यों की जांच होनी चाहिए। और मेरा निवेदन है कि उसके लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए। इसमें मेरा मतलब श्री भूथालिंगम से नहीं है, परन्तु इस बात के संकेत मिले हैं कि जिनसे लगता है कि शायद इस मामले में एक मंत्रि मंडलीय स्तर के किसी व्यक्ति का भी हाथ हो। और यह साजिश उसी की लगती है कि अध्यक्ष महोदय को भी उसमें घसीटा जाय। एक दफा जांच हो गई तो मामला साफ हो जायेगा और लोगों के सन्देह दूर हो जायेंगे।

इस संदर्भ में मेरा यह भी कहना है कि हमारे योजना आयोग का आयोजन देश के सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। लोगों को इस बात का विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि जो कुछ वे दुःखी होकर करों के रूप में अदा करते हैं, वह उनकी भलाई के लिए ही प्रयोग होगा। हमें अपनी अर्थनीति के लिए अन्य देशों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। हमारी सरकार इस दिशा में असफल रही है। देश गरीबी और भुखमरी में पिस रहा है।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): At the time of devaluation our Planning Minister was in America. Japan had a complaint that nobody is taking seriously the grant of 10 crores of rupees given by her. I am of the opinion that Government may say anything but it is a fact that devaluation has been done under the pressure of U.S.A. It has brought a great humiliation to the nation and the country. It is really very sad that the Government's economic policies have made the country bank-rupt. It is the wasteful expenditure and unimaginative fiscal measures which have led the country to this present day crisis.

With one voice our Government talk about economy in the use of foreign exchange and with the other voice they allow it to be frittered away. There are instances where the foreign exchange have been refused even for the most urgent and important work, while it have been freely given for so many such items which could be avoided. I donot think our Government will be able to solve the present day difficulties by adopting such tactics.

Rajasthan Government are thinking of retrenching about 80 lakhs of labour. I am of the opinion that Government will be taking most ill-advised action if they decide to take any action which will result in the retrenchment of labour. I would also urge that Government should see that devaluation should not have any adverse effect on the just demand of the workers for an increase in their wages. We should never try to equate ourselves with America. As long as we eat American wheat the American pressure will stay.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कल इसका उत्तर देंगे।

आधे घण्टे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

राजस्थान की विकास योजनायें

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैं आधे घण्टे की चर्चा आरम्भ कर रहा हूं। इसका कारण यह है कि सभा में जो प्रश्नों के उत्तर सामान्यतः दिये जाते हैं वे बहुत असंतोषजनक और तर्क हीन होते हैं। अतः योजना के अन्तर्गत जो आधार भूत समस्यायें हैं और जिन्हें प्राथमिकता दी जाने वाली है उनकी यहां चर्चा करना आवश्यक है। वैसे तो राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है। क्या योजना का उद्देश्य इसे पिछड़ा हुआ रखना है अथवा सन्तुलित रूप में इसका विकास करना है। बिजली के क्षेत्र में राजस्थान के पिछड़ेपन की स्थिति बहुत ही दयनीय है। स्थिति यह है कि राजस्थान में केवल 3·9 प्रतिशत बस्तियों में आपको बिजली दिखाई देगी। अखिल भारतीय स्तर पर इस प्रकार का औसत आंकड़ा 9·3 प्रतिशत है। मद्रास में यह 64·5 है, केरल में यह स्थिति 48·2 प्रतिशत है। पंजाब में 30·7 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश में 16 प्रतिशत है। मेरा कहने का मतलब यह है कि राजस्थान में ही यह 3·9 प्रतिशत की स्थिति में है। इस पर हमारे माननीय मंत्री यह फरमाते हैं कि राजस्थान सरकार एक साथ ग्रामीण विद्युतीकरण की कई योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। हम नहीं चाहते कि कागजी योजनायें बनाई जायँ। हमारा मतलब यह है कि इस तरह की योजनायें हों जो तुरन्त चालू हो सकें, और अपने परिणामों से हमें लाभान्वित कर सकें।

मैं सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाओं को बनाया जा रहा है। और इससे न केवल घरेलू कार्यों के लिए बिजली उपलब्ध होगी प्रत्युत कृषि के लिए भी इसकी व्यवस्था की जायगी। इस दिशा में थोड़ा-सा नियतन किया गया था कि इस आधार पर यह औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि क्योंकि राजस्थान में बहुत अधिक योजनायें चल रही हैं, अतः सरकार उनकी विशेष सहायता नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त एक और बात भी कही जाती है कि राजस्थान को ऐसी योजनायें निर्माण करनी चाहिए जिनसे तुरन्त लाभ हो सके, परन्तु ऐसा करने के लिए जो धनराशि दी गई है वह बहुत अल्प है। कहा गया है कि 2 अक्तूबर, 1969 को जब कि महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी है, भारत के एक लाख गांवों में बिजली पहुंचा दी जायगी। हर राज्य के 20 प्रतिशत गांव इस तिथि तक बिजली का सुख प्राप्त करने लगेंगे। इसके लिए लगभग 1000 एककों को स्थानीय तौर पर बिजली देनी होगी। यह तो 1966-67 को करना होगा, और चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में 1500 गांवों को बिजली देनी होगी। पहले वर्ष में 650 लाख का व्यय होगा फिर हर वर्ष 750 लाख रुपये का व्यय होगा। परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि इस सबके लिए व्यवस्था 250 लाख की की गई है।

इस सन्दर्भ में मैं मरुस्थल विकास बोर्ड का भी उल्लेख करना चाहता हूं। मरुस्थल विकास बोर्ड के बारे में राजस्थान के संसद-सदस्यों द्वारा प्रधान मंत्री को दिये गये ज्ञापन पत्र में एक यह सिफारिश की गई थी कि बोर्ड का गठन इस ढंग से किया जाना चाहिए कि वह एक गतिशील

और प्रभावशाली विकास हो । दूसरी सिफारिश जो इसी सिलसिले में की गई थी वह यह थी कि इसके लिए पर्याप्त निधि भी दी जायगी । चालू वर्ष के लिए मरुस्थल विकास बोर्ड को केवल 10 लाख रुपये की अल्प राशि दी गई है । और बोर्ड में अफसरों की भीड़ लगा दी गई । यदि ऐसा ही है तो क्या कोई परियोजनाओं का कार्य इस तरह से चल सकेगा ।

मरुस्थल विकास प्राधिकरण को केवल 10 लाख रुपये की रकम चौथी योजना के पहले वर्ष के लिए दी गई है । क्या इस प्रकार अनेक ऐसी परियोजनाओं को नहीं त्यागना पड़ेगा जिन के बारे में बोर्ड का विचार था ?

राजस्थान नहर के सम्बन्ध में सरकार की क्या स्थिति है ? राजस्थान नहर के बनाने के लिए वित्तीय उत्तरदायित्व लेने का वचन वित्त मंत्री ने दिया था । राजस्थान के संसद-सदस्यों द्वारा दिये गये ज्ञापन में इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया गया था कि कम से कम समय में पूरा करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों से परामर्श करके एक योजना तैयार की जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि उसके कार्य में धन के अभाव के कारण बाधा न पड़े । अब स्थिति यह कि नहर का जो च रण चालू होना था उसे अब बिल्कुल त्याग दिया गया है ।

एक तरफ तो सरकार कृषि को प्राथमिकता देना चाहती है और कृषि के क्षेत्र में शीघ्र उत्पादन करने वाली योजनायें लागू करना चाहती है, दूसरी ओर राजस्थान नहर जैसी योजना के लिए सरकार के पास धन नहीं है ।

राजस्थान में लोगों को पीने के पानी की बड़ी कठिनाई है। लोग ऐसा पानी पीते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक है । निधि में कमी करके, उन योजनाओं को समाप्त करके जिनके अन्तर्गत निर्माण कार्य हो रहा है अथवा किसी योजना को लागू न करके, ग्रामों में पानी की सप्लाई का कार्यक्रम किस प्रकार आगे बढ़ाया जा सकता है ? राष्ट्रीय जल और सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू योजनाओं को पूरा करने के लिए 57.85 लाख रुपये की मांग की गई थी । 30.55 लाख रुपये स्थानीय विकास के लिए मांगे गये थे और 40 लाख नई योजनाओं के लिए मांगे गये थे । इन सब आवश्यकताओं के विरुद्ध केवल 22 लाख रुपये की छोटी-सी रकम उपलब्ध की गई है । इस प्रकार के आयोजन का क्या अर्थ है ? जब तक ग्रामों में पानी की सप्लाई की योजना पूरी नहीं हो जाती तथा यदि तीसरी योजना में आरम्भ किये गये विकास कार्य की गति को नहीं बनाये रखा जाता, तो राजस्थान में क्रान्ति हो जायगी । यदि लोगों के जीवन की आवश्यक आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो समाजवाद अथवा कल्याण राज्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता ? राजस्थान के खुश्क इलाके में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए सरकार क्या कार्य करने का विचार रखती है । क्या विकास कार्य को राजस्थान में जारी रखा जायगा ?

पिछले भारत-पाक संघर्ष के अनुभव से यह पता चल गया है कि सीमा पर सड़कों के जाल बिछाने की आवश्यकता है जिससे हमारी सेनायें सुविधापूर्वक ढंग से आ-जा सकें और बहुत से ट्यूब-वेल लगाये जायें ताकि कुछ क्षेत्र गैर-आबाद न रहें जैसा कि इस समय है, और जिसके

कारण पाकिस्तान घुसपैठ कर सकता है। लघु सिंचाई के बारे में कोई 'मास्टर प्लान' नहीं है जिससे कि राजस्थान में भी लघु सिंचाई की कुछ योजनाओं की व्यवस्था हो जाय। जब तक इस प्रकार की कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जायगी, राजस्थान पिछड़ेपन से नहीं निकल सकेगा।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : यद्यपि राजस्थान में ग्राम जल सप्लाई के लिए 1 करोड़ रुपये की सिफारिश की गई है, किन्तु केवल 30 लाख रुपये दिया गया है जिसमें से 7 लाख रुपया सिब्बंदी पर खर्च हो जायगा जब कि चल रहे कार्य को पूरा करने के लिए 80 लाख रुपये की आवश्यकता है। ग्रामों में बिजली लगाने की व्यवस्था का और भी बुरा हाल है। बताया गया है कि देहाती विद्युतीकरण के लिए राजस्थान को 2.50 करोड़ रुपये दिये गये हैं किन्तु राजस्थान सरकार ने अभी तक केवल 95 लाख रुपये प्राप्त किये हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि आरम्भ का नियोजन ही गलत था ? कठिनाई इस कारण उत्पन्न हुई है कि सरकार ने विद्युत-जनन तथा ट्रांसमिशन के लिए जो कुछ कर दिया है उसमें मेल नहीं है। करीब 10,000 कुयें ऐसे हैं जिनमें बिजली लगाई जा सकती है और जहां बिजली ग्रामों में पहुंच चुकी है परन्तु कुओं तक नहीं ले जाई जा सकती। केवल मद्रास राज्य में 3.5 लाख कुओं में बिजली लगाई जा चुकी है। राजस्थान में यदि प्रतिवर्ष 10,000 कुओं में बिजली लगाई जाय तो जिस स्थिति पर मद्रास पहुंच चुका है, उसी स्थिति पर पहुंचने के लिए राजस्थान को 25 वर्ष लगेंगे। जिस गति से कुओं में बिजली लगाने का सुझाव माननीय मंत्री ने दिया है उससे हमें 250 वर्ष लगेंगे। क्या हम इतने दिवालिया हो गये हैं कि इस सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्य के लिए रुपया नहीं निकाल सकते ?

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): Had the Government implemented any of the suggestions given by the Japanese experts in regard to making the desert land fertile and cultivable? If so, which of the suggestions had been implemented and what were the reasons for not implementing the other suggestions?

योजना तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : राजस्थान की आवश्यकताओं को देखते हुए, इस राज्य की मांगों के सम्बन्ध में कोई अपवाद नहीं हो सकता। 1966-67 में हमें आयात योजना बनानी पड़ी थी। केन्द्र के पास संसाधन सीमित मात्रा में थे। पिछले और इस वर्ष केन्द्र और बहुत से राज्यों ने अतिरिक्त संसाधनों की काफी रकम जुटाई है। सब कुछ करने के अतिरिक्त भी इस वर्ष के लिए छोटी योजना बनानी पड़ी। इस छोटी योजना से केन्द्रीय सहायता में भी काफी कमी हुई है। पिछले वर्ष केन्द्रीय सहायता 650 करोड़ रुपये की थी। इस वर्ष केन्द्रीय सहायता 500 करोड़ रुपये दी गई है जो कि 150 करोड़ रुपये कम है। सभी राज्यों की सहायता में कटौती की गई है। जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है, अन्य राज्यों की अपेक्षा राजस्थान के लिए केन्द्रीय सहायता में कटौती कुछ कम है। बहुत से ऐसे अन्य राज्य हैं जहां केन्द्रीय सहायता में भारी कटौती की गई है। सीमित संसाधनों तथा कई मांगें होने के कारण योजना में प्राथमिकता को नहीं दर्शाया गया। वास्तव में होना यह चाहिए कि अधिक संसाधन उपलब्ध हों और जो गति आरम्भ की गई है वह और बढ़ाई जाय, परन्तु प्रश्न यह है कि केन्द्र के पास इस काम को पूरा करने के लिए संसाधन हों।

केन्द्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति की सबको जानकारी है । सरकार की यह इच्छा है कि घाटे की वित्त व्यवस्था न हो और बजट संतुलित रहे । इस समय बचत करने के आन्दोलन को तेज करने की आवश्यकता है । इसलिए किसी विशेष कार्य के लिए अतिरिक्त संसाधन की व्यवस्था करना संभव नहीं है । एकाध कार्य के लिए तो व्यवस्था की जा सकती है किन्तु प्रत्येक राज्य से प्रत्येक दिन अविलम्बनीय मांगें की जा रही हैं ।

ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए लगभग 800 करोड़ से 900 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है । यदि इसमें शहरी क्षेत्र के लिए पानी की व्यवस्था की मांग को शामिल कर लिया जाये तो 1,500 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । इसको कई दौरों में पूरा करना होगा । किसी समय केवल कुछ धनराशि उपलब्ध की जा सकती है जिसको देश के विभिन्न भागों में वितरित करना होता है । विभिन्न राज्यों की अलग-अलग मांगें हैं जिनके लिए अविलम्बनीय मांगें आ रही हैं । हम कुछ कटौतियों के आधार पर केन्द्रीय निधि से वितरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं । यह ठीक है कि मरुस्थल विकास बोर्ड एक महत्वपूर्ण कार्यवाही है किन्तु यह अभी आरम्भ की जा रही है । इस वर्ष केवल पायलेट कार्य किया जायेगा । इस वर्ष तथा अगले वर्ष हमारी यह नीति रहेगी कि जहां कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं हम उन्हें यथाशीघ्र पूरा करने का प्रयत्न करेंगे । नये कार्यक्रम को आरम्भ करने के लिए हम अभी प्रतीक्षा करेंगे क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं हैं । हो सकता है कि किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम को भी स्थगित रखना पड़े ।

जहां तक राजस्थान में बिजली लगाने के कार्यक्रम का सम्बन्ध है कुछ क्षेत्रों में कुओं को बिजली देना ठीक रहेगा जिससे उस क्षेत्र में कुछ पम्प कार्य करने लगें और कुओं से सिंचाई की जा सके । बजाय इसके कि दो वर्षों में वितरण किया जाये । हमें उन कुओं को लेना चाहिए जिनको एक वर्ष में बिजली दी जा सकती है जिससे कुछ उत्पादन हो सके और कुछ कुओं को अगले वर्ष बिजली दी जाये । मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि सीमित संसाधनों तथा विभिन्न मांगों को देखते हुए 1968 तक 1,00,000 ग्रामों में बिजली की व्यवस्था करना संभव नहीं होगा । इस आधार पर कोई गणना करना उचित नहीं होगा । इसलिए राजस्थान में प्रस्तुत गति को बनाये रखना चाहिए ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर): मरुस्थल विकास प्राधिकार की नौकरशाही स्थापना के बारे में क्या किया जा रहा है ?

श्री अशोक मेहता : इसमें चार गैर-सरकारी अधिकारी हैं । यदि गैर-सरकारी अवयव को बढ़ाना चाहते हैं तो मामले के बारे में कृषि मंत्री से बातचीत की जाये जो कि इस विषय के कार्यभारी हैं । कृषि सचिव बोर्ड के सभापति हैं ।

राज्यों की मांगों के बारे में प्रश्न उठता है कि क्या उन मांगों के लिए संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं ? यदि संसाधन उपलब्ध हो गये तो हम चाहेंगे कि उनका कुछ भाग राजस्थान को भी मिले ।

श्री कमलनयन बजाज (वर्धा): दक्षिणी भारत संभवतः तामिलनाद में एक लाख कुओं में बिजली लगायी गई थी। राजस्थान में केवल कुछ सैकड़े कुओं में बिजली दी गई थी। पिछड़े इलाकों को पूरा वजन देने के पश्चात् तथा इस तथ्य को भी देखते हुए कि दक्षिण भारत में कुओं में बिजली लगाने में कम खर्च आता है क्योंकि पानी का स्तर काफी गहरा नहीं है। मैं आयोजना मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या कुओं में बिजली देने के लिए धन का साम्यिक वितरण होता है ?

श्री अशोक मेहता : साम्यिक वितरण के बारे में ठीक-ठीक बताना कठिन है। विभिन्न राज्य अपने साधनों, अतिरिक्त साधनों और केन्द्रीय सहायता के आधार पर अपनी योजनाएं बनाते हैं। राज्य आयोजना में से कृषि, विद्युतीकरण, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए धन की मांग की जाती है। देहाती विद्युतीकरण के लिए रकम निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार और योजना आयोग फैसला करते हैं। चौथी योजना में देहाती विद्युतीकरण के लिए 250 करोड़ रुपये खर्च करने तथा 7 लाख कुओं में विद्युतीकरण करने की व्यवस्था की गई है। कितने कुओं में विद्युतीकरण किया जायेगा और 250 करोड़ रुपये में से एक विशेष राज्य को कितनी धनराशि मिलेगी, इसका निर्णय अन्ततः राज्य योजना के आकार और प्रतियोगी प्राथमिकताओं द्वारा किया जायेगा इसलिए मेरे लिए यह कहना कठिन है कि 250 करोड़ रुपये में से कितना रुपया राजस्थान में कुओं में बिजली लगाने के लिए उपलब्ध होगा।

इसके पश्चात् लोकसभा, शुक्रवार, 12 अगस्त, 1966/21 श्रावण, 1888 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 12th August 1966/Sravana 21, 1888 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow—12-1-68—565